Haryana Vidhan Sabha

Debates

25th August, 1970

Vol. II— No. 1

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 25th August, 1970

	Page
Starred Questions and Answers	(1)1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45	(1)30
Unstarred Questions and Answers	(1)49
First Report of the Business Advisory Committee	(1)58

Call Attention. Notices (1)74

Panel of Chairmen (1)75

Announcements –

By the Speaker leg. Committee on Petitions (1)76

By the Secretary reg.-Bills. (1)76

By the Speaker reg.-death of Major Amir Singh (1)76

Obituary References (1)77

Adjournment of the House (1)97

Papers laid on the Table (1)98

Presentation of Supplementary Estimates (1st Instalment) and for the year 1970-71 and the Report of the Estimates Committee on the Supplementary Estimates (1)99

Presentation of Excess Demands over Grants and Appropriations for the years 1966-67 & 1967-68 (1)99

official Resolution reg. raising of limit of loan to State Electricity Board (1)100

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, the 27th August, 1970

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Chandigarh-I, at 2.00 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ban Singh) in the Chair.

*** SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 806**

लाला बलवन्त राय तायल : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन पटवारियों ने जमींदारों से मालिया वसूल करके रसीदें इशु कीं क्या वे रसीदें जायज थीं?

राजस्व मन्त्री (श्री नेकी राम) : पटवारियों ने जो पैसा वसूल किया था वह उन्होंने खजाना में दाखिल नहीं किया, सारें का सारा अपने पास रख लिया इस लिए रसीदों के जायज होने का सवाल ही नहीं है ।

लाला बलवन्त राय तायल : मेरा सप्लीमेटरी यह था कि जिन जमींदारों को रसीदें दी गईं क्या वे रसीदें जायज थीं ? इन्होंने कहा कि जायज नहीं थीं । इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी मालिया पटवारियों ने जमींदारों से वसूल किया वह जमींदारों को दोबारा देना पड़ेगा, क्या यह ठीक है?

श्री नेकी राम : नहीं, दोबारा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वे एक बार दे चुके दूं । जिन पटवारियों ने पैसा जमा नहीं

करवाया उन के विरुद्ध मुकद्दमें दायर हैं, मुकद्दमों का फैसला होने के बाद मामला साफ हो जाएगा ।

महन्त गंगा सागर : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि सरकार जमींदारों से दोबारा मालिया वसूल करने के लिए प्रैस कर रही है और पटवारियों के विरुद्ध जमींदारों मे मुकद्दमे दायर करने के लिए कह रही है जब कि मुकद्दमें सरकार की तरफ से हो ने चाहिएं, क्योंकि मालिया सरकार के हुक्म से इक्टठा किया गया था? क्या यह बात ठीक है कि सरकार की तरफ से इस किस्म की हिदायतें जारी की गई हैं?

श्री नेकी राम : यह बात मेरे नोटिस में लाई जाए कि ऐसा किस जगह पर हुआ है ?

श्रीमती चन्द्रावती : क्या यह ठीक है कि मेरे हल्के में लोगों को नोटिस सर्वे हुए हैं कि दोबारा पैसे जमा करवाओ?

श्री नेकी राम : आप मेरे नोटिस में लाएं, इन्क्वायरी करवाई जाएगी ।

श्रीमती चन्द्रावती : आप आश्वासन दें कि दोबारा पैसा नहीं लिया जाएगा ।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : जिस जगह पटवारियों को मालिया इकट्ठा करने के लिए अथोराइज किया गया था उनकी इन्कावयरी करने वाली बात को मैं ऐक्सैट करता हूं और

उन के बारे में लीगली ऐग्जामिन कराया जाएगा कि लीगली क्या बात है । ले किन जहां पटवारियों को अथोराइज नहीं किया गया था और जमींदारों ने पटवारियों को पैसे दिए हैं, अगर इस किस्म के कोई केसिज होगें तो इस बारे में सोचा जाएगा । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि जिन पटवारियों को अथोराइज किया गया था उन से दोबारा मालिया वसूल नही किया जाएगा, ठीक है कोई जरूरत नहीं और न ही कोई जरूरत होगी । ले किन जिन लोगों को अथोराइज नहीं किया गया था उन के बारे में यह सोचेंगे ।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि किम किस जिले में पटवारियों को मालिया इकट्ठा करने के लिए अथोराइज किया गया था ?

श्री नेकी राम इसके लिए अलग नोटिस दें ।

श्री सत्यनारायण सिंगोल : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि गामोली गांव में पटवारियों ने लोगो से पैसे वसूल करके रसीदें दी थीं और फिर उस के बाद दोबारा उन्हीं लोगों से पैसे वसूल किये गए है?

श्री नेकी राम : इस के लिए नोटिस दें, इन्क्वायरी करवाई जाएगी । आप लिख कर दे कौन कौन से केसिज हैं ।

श्री बंसी लाल : अगर लिख कर न भी दें तो भी इक्वायरी करवाई जाएगी ।

लाला बलवन्त राय तायल : स्पीकर साहिब, 25–8–70 को हाउस में यह अश्योरेंस दी गई थी कि 27–8–70 को मन्त्री साहब तैयारी करके पूरी स्टेटमेंट देंगे ।

श्री अध्यक्ष : किस चीज की स्टेटमेंट?

लाला बलवन्त राय तायल : जिन पटवारियों ने गवर्नमेंट के हुक्म से पैसे वसूल किए और खुद खा कर खजाने में जमा नहीं करवाए उनके बारे में जमींदारों से कहा जा रहा है कि तुम पटवारियों पर 420 का दावा करके पैसा वसूल करो जब कि यह पैसा गवर्नमेंट को वसूल करना चाहिए, जमींदारों को नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने हुक्म दिया था ।

श्री अध्यक्ष : उस दिन ऐसा था कि the hon. Minister was not fully

prepared and there were certain questions which were not adequately answered. So, I said that I will allow you to ask Supplementary questions, उस दिन की प्रोसीडिंग को निकलवाकर मैं देख लू गा कि किस किस्म की अश्योरेंस दी गई थी । मेरे ख्याल में स्टेटमेंट का कोई जिक्र नहीं था ।

लाल बलवन्त राय तायल : अगर चीफ मिनिस्टर साहिब इस के बारे में स्टेटमेंट दे सकें तो ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष : अभी अभी इन्होंने मान लिया है कि जिन्होंने रुपया दिया और उनके पास रसीदें हैं तो उन से दोबारा नहीं लिया जाएगा अगर कहीं दोबारा लिया गया है तो केस बतायें, इन्क्वायरी की जाएगी ।

श्री सत्यनारायण सिंगोल : स्पीकर साहब, छरू हजार रुपया इकट्ठा किया गया है और उन लोगों से कहा गया है कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी, तुम 420 का केस करो ।

श्री अध्यक्ष : चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इन्क्वायरी करवायेंगे।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब इन्होंने उस दिन कहा था कि पटवारियों के पटवारियों, जरिए मालेया वसूल करना जायज नहीं था । तो क्या उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाई की गई है जिन्होंने पटवारियों को मालिया वसूल करने की इजाजत दी थी? क्या उन तहसीलदारों या नायब तहसीलदारों के खिलाफ कोई कार्यवाई हुई है जो इसके लिए जिम्मेवार है ?

श्री नेकी राम : इन्क्वायरी तो नहीं की लेकिन अब पूछा जाएगा कि किन किन अफसरान ने इजाजत दी और क्यों दी?

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मैं माल मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इस किस्म की कोई शिकायत आई है जिस में यह लिखा हो कि जिन पटवारियों को अख्तियार दिया गया था कि मालिया वसूल करो और उन्होंने वसूल कर लया

अ उस क बाद जब दबारा कसाना स वसूल करन क मागा गया तो उन्होंने पिछली रसीदें पेश कीं कि उन्होंने मालिया दे दिया है और इसके बावजूद भी मालिया वसूल किया जा रहा है । क्या इस किस्म के केसिज सरकार के पास आए हैं? अगर आये हैं तो उन के ऊपर क्या कार्यवाई हुई है?

श्री नेकी राम : मेरी नौलज में नहीं है कि ऐसा कोई केस आया हो ।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या माल मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन जिलों के नाम पहले दिन बताये गए थे कि फलां फलां जिले में पटवारियों को मालिया वसूल करने के लिए अधिकार दिया गया था, क्या उन जिलों के माली अफसरों यानी तहसीलदारों से पूछेंगे कि रसीदें पेश करने के बावजूद भी उन से दोबारा मालिया वसूल किया गया है? क्या ऐसे केसों की माल मन्त्री जानकारी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं?

श्री नेकी राम : ऐसा पूछ लिया जाएगा ।

Shri Satya Narain Syngol : The other day, the hon. Minister had said that two patwaris were acquitted. I want to know whether it is correct that those patwaris were acquitted on the ground that they were not authorised to collect land revenue or any other amount ?

Mr. Speaker : I think, this supplementary may be answered tomorrow.

श्री नेकी राम : जी नहीं ।

लाला बलवन्त राय तायल : स्पीकर साहब, अगर गवर्नमेंट इसके बारे मे श्री स्टेटमेंट दे तो बहुत अच्छा रहेगा । मुख्य मन्त्री जी से आप पूछ लें । इसमें स्टेट के फायदे की बात है और जमीदारों के भी फायदे की बात है जिन्होंने मालिया पे किया है ।

श्री बंसी लाल : स्टेटमेन्ट की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मेन थिंग इस में यह है कि कुछ जमींदार हैं, किसन हैं, जो मालिया दे चुके हैं और रसीट्स उनके पास हैं । अब यह देखना है कि उन्से मालिया दोबारा न लिया जाए और जिन पटवारियों ने पैसा लेकर जमा नही किया उन के खिलाफ कार्यवाही की जाए । इस के बारे में वह एश्योर करा चुके हैं मौर उन्होंने कहा है कि जो बात आप उन के नोटिस में लायेंगे उसके ऊपर ये इन्क्वाय री भी करायेंगे और एक्शन भी लेंगे ।

लाला बलवन्त राय तायल : उन्होंने तो कहा है कि किसान अदालतों में जाकर पैसा वसूल करें ।

महन्त गंगा सागर : स्पीकर साहब, आम पब्लिक के आदमी को यह पता नहीं होता कि इस पटवारी को अथोराइज कर रखा है और इसको नहीं किया हुआ । इसलिए जिन लोगों ने

तकावी या कोई और दूसरा पैसा पटवारियों को दे दिया है उन से दुबारा पैसा वसूल नहीं किया जाना चाहिए,

श्री अध्यक्ष : आप की सजैशन क्या है?

महन्त गंगा सागर : आप के थ्रु स्पीकर साहब, मैं यही चाहता हूं कि कोई भी पटवारी जो सर्विस के अन्दर है

Chaudhri Hardwari Lai : You cannot receive suggestions during the question hour. No suggestions are permitted. In fact, we can only ask questions but no suggestions.

Mr. Speaker : The hon. Member got up and he was making a point

Chaudhri Hardwari Lai : The suggestions are out of order.

Mr. Speaker : What are we trying to do here through the questions ? We are trying to help the poor kisans who have already paid.

Chaudhri Hardwari Lai : But, under the Rules, of course, no suggestions are allowed.

Mr. Speaker : Under the Rules ? But, you have heard, there are so many members who have been giving suggestions. But what for are we here ? We are working for the good of the people.

Chaudhri Hardwari Lai : If you take such a liberal interpretation then it is entirely a different matter. But, we should know where we stand ?

Mr. Speaker : I am taking a stand which is in the interest of the public and that is what the hon. Members are trying to do.

Chaudhri Hardwari Lai : Quite right. I entirely sympathise with the hon. Members and with this view also. In that case, we should know the rules exist subject to this liberal interpretation.

Mr. Speaker : I have told you very clearly. If you want to waste your time, it is a different matter.

Chaudhri Hardwari Lai : It is not I who is wasting the time. It is some body else.

महन्त गंगा सागर : स्पीकर साहब, चौधरी हरद्वारी लाल जी ने अभी अभी रूल्ज का जिक्र किया लेकिन सारी बातें रूल्ज की ही नहीं हुआ करतीं । आपने जिस तरीके से बात को लिया है वह पंचायती ढंग की एक बैस्ट चीज थी । बात यह हूँ कि हम तो सप्लीमेन्टरी सवाल करें किसी और ढंग से. और गवर्नमेट की उससे बचने की कोशिश हो तो उससे कोई फायदा नहीं होता । —इस लिए आपने तौ बडी सीधी बात कही थी कि आप कोई सजैशन देना चाहते है' तो दें । खैर, मैं तो सिर्फ यह बात चाहता हूं कि सरकार को यह बात लिबरली मान लेनी चाहिए कि जो पटवारी सर्विस के अन्दर हूँ और किसान से तकावी या लैण्ड

रैवेन्यू वसूल कर चुका है, चाहे उसको अथोराइज किया गया था या नहीं किया गया था, सरकार अपने तौर पर ही उसके खिलाफ एक्शन ले बजाय इस के कि जमींदार उसके खिलाफ कोई मुकद्दमा दायर करने के, और जिस जमींदार के पास दिए गए पैसे की रसीद है उससे दोबारा पैसा वसूल नहीं किया जाए । यह सिम्पल सी चीज मैं सरकार से चाहता हूं ।

Shri Bansi Lai : I entirely agree with Chaudhri Hardwari Lai that only supplementaries should be asked during the question hour and no suggestion should be invited. Mr. Speaker, the question had ended there where you gave a ruling that a particular supplementary would be answered tomorrow. After that there should be no suggestion. Suggestion after suggestion is nothing.

Mr. Speaker : The point is that there is a problem which is agitating the public. They are trying to help the people, the poor kisans. Only to that end, we are trying to help the hon. Members. Now, here he himself has said that suggestion cannot be given. I think, all the members of his party share his views. The supplementaries are asked only on the main question posed by the hon. Members earlier on and, you will agree, that the answers given by the Hon. Ministers are about the same what Mahant Ganga Sagar has said now.

Shri Bansi Lai : There was no question and there was nothing to suggest as Mahant Ganga Sagar has suggested. He could give suggestions on the demands. He could do so on the Appropriation Bill. There are so many other

occasions. There is no occasion to give suggestions during the question hour.

Chaudhri Hardwari Lai : Besides, there are better methods of serving the public interest. Half-an-hour discussion is the very adequate answer.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं । जिन पटवारियों को सरकार ने अधिकार नहीं दिया है मगर उन्हेंने नाजायज तौर पर किसानों से पैसा वसूल किया है उन से, इन्कवायरी करके अपनी तसल्ली करने के बाद, अगर बात सही निकले. तो क्या लिया गया पैसा वसूल करने की कोशिश करेगी और गरीब और अनभिज्ञ किसान को दुबारा रकम अदा करने से मुक्त करेगी?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, इसमें कानूनी राय लेंगे और जैसा कानून इजाजत देगा वैसा किया जाएगा ।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, आप को याद होगा कि कल माल मन्त्री और मुख्य मन्त्री दोनों ने मान लिया था कि कानूनी तौर पर पटवारियों को लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत कोई मालिया आदि की रकम वसूल करने का अधिकार नहीं दिय। जा सकता था और मेरे सवाल के जवाब में मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो कुछ बेकायदगी हुई है उसको कायदे की शक्ल. देने की सरकार कोशिश करेगी । प्रश्न तो सिर्फ इतना है कि वह बेकायदगी आया सरकार के महकमे से हो गई या

किसान की लाइल्मी से हो गई, उसमें किसान की मदद करने की सरकार कोशिश करेगी या नहीं?

Shri Bansi Lai : Nothing to reply.

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आप के द्वारा सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं । पहले पटवारखाना गांव में होता था लेकिन अब शहर में होने लग पड़ा है । अब किसी जमींदार को अगर फर्द लेनी हो तो हफ्ता हफ्ता पटवारी नहीं मिलता । हालांकि गांव में पटवारखानो के लिए जगहें छुटी हुई हैं परन्तु फिर भी उन्हें शहरों में बना दिया गया है । इसलिए मेरा सुझाव है कि पटवारखाने गांव में ही रहने चाहिए । (हंसी)

चौधरी राज सिंह दलाल : स्पीकर साहब, अगर कोई आनरेबल मैम्बर हाउस की तवज्जुह किसी रूल कीं तरफ दिलाए तो क्या उससे हाउस का टाईम वेस्ट होता हुऐ?

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल नहीं ।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Land with Panchayats

***829. Chaudhry Ora Parkash** : Will the Minister for < Development be pleased to state the total area of land with the Panchayats in Haryana State ?

Development Minister (Shri Sarup Singh) : The total area of land with the Panchayats in Haryana State is 8,79,019 acres.

श्री दया कृष्ण : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जिस वक्त हरियाणा बना उस वक्त पंचायतों के पास कितनी जमीन थी और अब कितनी है?

श्री सरूप सिंह : इस सप्लीमेटरी प्रश्न के लिए अलग से नोटिस दें ।

श्री दया कृष्ण : क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि गांवों के आदमी पंचायत से मिल कर पंचायत की जमीन को घर की । मलकियत बना लेते हैं और अब पंचायत के पास बहुत कम जमीन रह गयी है?

श्री सरूप सिंह : इस सवाल से यह प्रश्न पैदा नही होता ।

मलिक सतराम दास बत्तरा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हरियाणा में कोई ऐसा गांव है जहां पर गांव की शामलात जमीन पर कब्जा लोगों ने न कर रखा हो? किसी एक ऐसे गांव का नाम बतायें?

Shri Sarup Singh: This supplementary does not arise out of this question. A separate notice be given for that.

श्री दया कृष्ण : क्या वजीर साहब इस चीज के मुताल्लिक इन्क्वायरी करेंगे कि पंचायतों की कितनी जमीन कम हो गई है और किस वजह से कम हुई है?

श्री सरूप सिह : यह नैक्सट क्वैश्चन में आज ही आ रहा है । उस वक्त जवाब दूंगा ।

श्री रणधीर सिह : क्या मन्त महोदय यह बताने का कृपा करगें पंचायत को जमीन हरिजनों को देने के लिंए बी० डी० ओ० के पास कोई इन्सटूक्शनज

भेजी गयी हैं?

Shri Samp Singh : Question docs not arise. It is not a supplementary question.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब का यह तरजे जवाब बड़ा गलत है । He is no body to say like this. After all we are honourable members (Interruptions)

श्री सरूप सिंह : जरा आप क्वेश्चन देख लें ।

मलिक सतराम दास बत्तरा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि कंसोलीडेशन में छुटी हुई जमीन और वह जमीन जिन को शामलात मालिकान कहते हैं उन के इन्तकाल पंचायतों के नाम चढ़ चुके हैं या नहीं?

श्री सरूप सिंह : दो तरह की जमीनें होती है एक शामलात लैण्ड जो कन्योलीडेशन के वक्त छोड़ी गई थी और अब वह विलेज कौमन लैण्ड पंचायत के अन्दर वैस्ट हुई है

मलिक सतराम दास बत्तरा : यह जो शामलात मालिकान बताई यह कौमन लैण्ड एक्ट में नहीं आती है । कौमन लैण्ड एक्ट में तो शामलात पाना, शामलात पट्टी आती है । यह शामत्रात मालिकान जो है इसकी फर्दें तो रैवेन्यू मिनिस्टर को एस०डी०ओज० की मीटिंग में पेश कर दी गयी थीं कि वह जमीन खाली पड़ी है और उनका इन्तकाल नहीं चढा है । मेरा क्वैश्चन यह है कि इंतकाल पंचायत के नाम चढेगा भी या कि नहीं?

श्री सरूप सिंह : यह डिफरेन्ट एक्ट है । कन्सोलीडेशन एक्ट एंड विलेज कौमन लैण्ड,एक्ट के तहत जो कानूनी कार्यवाही होगी वह हो जायेगी ।

मलिक सतराम दास बत्तरा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जो कार्यवाही एस० डी० एम० करता है उसके अनुसार हरेक सब–डिवीजन में बैठ कर कितने एस०डी०ओज० ने नाजायज कब्जा की हुई जमीन को मौके पर जा कर छुडवाया है?

श्री सरूप सिंह : यह नाजायज कब्जे का सवाल नहीं है ।

श्री दया कृष्ण : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि कितनी जमीन पर पंचायत का कब्जा है और कितनी जमीन पर ट्रेस पासर्ज का कब्जा है?

Shri Sarnp Singh: The reply to this question will be coming before the House to nor row. This supplementary relates to that question.

श्री दया कृष्ण : स्पीकर साहब इसी क्वैश्चन से यह एराइज होता इसका जवाब मिलना चाहिए । Sir, the question asked was about "the total area of land with the Panchayats in the Haryana State". My supplementary is covered by this. Therefore, the Minister should reply to it.

Shri Sarnp Singh : Sir, I will read the question, which is,-

"Will the Minister for Development be pleased to state the total area of land with the Panchayats in the Haryana State ?"

I have given this total area. The question regarding illegal possession of Panchayat lands will be coming up before the House tomorrow. Then I will reply to it.

Mr. Speaker : Which is that question ?

Shri Samp Singh : *832.

Mr. Speaker : The honourable Member may put that supplementary tomorrow.

Complaint made by the Haryana Public Service Commission

***965. Shri Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Haryana Public Service Commission has made any correspondece with the Governer during the years 1968, 1969 and 1970 against the attitude of

Government and the expenditure incurred on calling the experts ; if so, the details of the complaints made therein together with the steps taken by the Government in the matter ?

मुख्य मन्त्री (श्री बसी लाल) : सरकार का यह विचार है कि यह लोक हित में नहीं है कि आदरणीय सदस्य विधान सभा ने. जो सूचना माँगी है वह दी जाये इस लिये खेद है कि सूचना नहीं दी जा सकती ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है । मैं अपने क्वैश्चन को थोड़ा सा दोबारा रीपीट कर देता हूं । मैने पूछा है कि –

"Will the Chief Minister be pleased to state whether th< Haryatea Public Service Commission has msde any correspondence with the Government, during the year 1968, 1969 anu 1970 against theat attitude of Government and the expenditure incarudon calling thetxpuris: if so, he derails of the complains made therein her with the steps takn by the Govemmert in the matter.

तो स्पीकर साहब मेरी सबमिशन यह है कि मैने मुख्य मन्त्री जी से दो वति पूछी हैं कि क्या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीश्न ने सरकार के एटी यूड के खिलाफ कोई शिकायत के रूप में कोई कौरसपोन्डेन्स की है? सैकन्डली मैने यह पूछा है कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन इन्टरव्यू लेता है तो एक्सपर्ट को बुलाया जाता है । उन एक्सपर्टस को आने जाने का जो टी० ए० और

डी०ए ० दिया जाता है वह पिछले तीन वर्ष में कितना रुपया दिया गया? तो चीफ मिनिस्टर साहब उत्तर में फरमाते हैं कि यह जनहित में नहीं है इसलिए बताना उचित नहीं है । स्पीकर साहब अब आप ही इस बात का निर्णय कीजिए । यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीश्न ने राज्यपाल महोदय से कौरसपोन्डेंस की है तो गवर्नँमेट के साथ की है । गवर्नर साहव हैड आफ दी स्टेट है और कांस्टीच्यूशनल पोजीच्यूशनल है कि गवर्नर जो भी काम करता है यह गवर्नमेंट उस के लिए आनसरेबल है । इसलिए मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं और यह मेरा बड़ा इम्पारटेन्ट क्वैश्चन है । इस के बारे में आप अपनी रुलिंग दीजिए ।

Mr. Speaker : As you know. Doctor Sahib, a Minister can decline to answer a question in the public interest. So the honourable Chief Minister feels that it is not in the public interest to reply to this question.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह है अगर कोई बात डिफेन्स के साथ सम्बन्ध रखने वाली हो या जनता के बीच ला एण्ड आर्डर को डिसटरब करने वाली बात हो तो बेशक चीफ मिनिस्टर साहब जवाब न दें लेकिन जो बात एक्सपेंडीचर की है जिस में मैंने पूछा है कि 1968, 1969 और 1970 में एक्सपर्टस पर कुल कितना खर्च हुआ है उसका तो जवाब मिलना चाहिए ।

श्री बंसी लाल : आप एक्सपेंडीचर का सवाल अलग से पूछिए । यहां पर तो कौरसपोंडेन्स का सवाल पूछ रखा है ।

श्री मंगल सैन : अगर मुख्य मन्त्री महोदय जरा ऐनक को साफ करके पढ़ें तो उन्हें पता लग जायेगा । मैं दोबारा फिर रीपीट कर देता हूं । मैने पूछा है कि

"and the expenditure incurred on calling the experts."

स्पीकर साहब आप न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे है और आपने ही न्याय करना है । मैने करना ववैश्चन विदिन टाईम पूछा है और विदिन टाईम यह एडमिट हुआ है और फिर वे. इसका जवाब देने से डिनाई कर रहे हैं ।

Mr. Speaker: I will read the ruling :

“Normally i is he function of he Government to see what ought to be disclosed and what ought not be disclosed. The Speaker does not sir in judgement over his.”

श्री मंगल सैन : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की क्रपा करेंगे कि जो यह पब्लिक सर्विस कमीश्न की रिपोर्ट सदन के टेबल पर रखी है इस के बारे में अब तक क्या कोई एक्शन लिया गया है?

कोई उत्तर नहीं दिया गया

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को जो चिट्ठियां लिखी गयी हैं, उन के बारे में, मुख्य मन्त्री जी बताना लोगों के हित की बात नहीं मानते हों तो मैं क्या उन से यह पूछ सकता हूं कि सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से एक्सपर्ट बुलाने के खर्च के सिलसिले में या उनके सैक्रेटरी को अप्यायंटमेंन्ट के सिलसिले में कोई लिखा–पढ़ी की है कि नहीं?

Shri Bansi Lai : This supplementary does not arise out of this question. A separate notice may be given.

School Books Sales Depot.

***913. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Labour be pleased to state :

(a) whether any School Books Sales Depot has been opened at Chandigarh ;

(b) whether this depot was originally sanctioned to be opened at Ambala ;

(c) if so, the reasons necessitating the change of venue from Ambala to Chandigarh;

(d) whether any additional expenditure has been incurred by the Government on carriage charges, rent of building, salaries of employees etc. by opening the depot, referred to in part (a) above, at Chandigarh; if so, details thereof; and

(e) whether any representations have been received from any of the booksellers of Kalka, Mustafabad, Shahjadpur,

Shahabad Markanda, Yamunanagar, Jagadhri, Ambala Cantt. and Ambala City for opening the book depot referred to in part (a) above, in Ambala City instead of at Chandigarh ; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken thereon ?

Labour Minister (Shri Harpal Singh) : (a) Yes.

(b) No.

(c) The question does not arise.

(d) No additional expenditure has been incurred.

(e) Yes, the matter was considered and the booksellers concerned were informed that a Sales Depot had already been opened at Chandigarh where it existed before Reorganisation.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, क्या इस बात के पेशे नजर कि अम्बाला सैट्रली सीचुएटिड है और डिफरेन्ट प्लेसिज से रिप्रेजैटेशनें आयी हैं, गवर्नमेंट इन वात पर विचार करेगी कि वह डिपो चण्डीगढ के बजाये अम्बाला में खोला जाये?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, गवर्नमेंट ने जिस समय डीसियन लिया उस समय भी यह प्रस्ताव हुआ था कि डिपो अम्बाला में ही खोला जाये लेकिन क्योंकि चग्डीगढ में खोलने से एक्सपैडिचर में सेविंग थी इस लिए यहां खोलना बैटर समझा गया था ।

चौधरी चांद राम : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस तरह गवर्नमेंट को कितनी सेविंग है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, बारह हजार तीन सौ रुपये की सेविंग है ।

चौधरी चांद राम : क्या मैं जान सकता हूं कि डिपो के लिये जो बिल्डिंग किराये पर ली गयी है उसका कराया कितना है और वह किस आदमी की है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इस के लिये सैप्रेट नोटिस चाहिए ।

चौधरी चाँद राम. स्पीकर साहब, बिल्डिंग का किराया भी पैड नोट में जरूर होगा । कृपा करके बता दें ।

गृह मन्त्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : स्पीकर साहब, डिटेल्ड तो इस सवाल के उत्तर मे मौजूद नहीं है ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब 12 हजार तीन सौ रूपए की किफायत की बात कह रहे हैं । यदि वह अम्बाला में डिपो खोलें तो पब्लिक को सहूलियत होगी । शाहाबाद, मारकण्डा जगाधरी इत्यादि सब जगह के लोगों को अम्बाला से किताबें लेने में सहूलियत रहेगी । सरकार लोगों की सहूलियत को देखती है या सरकारी खर्चे को देखती है? चण्डीगढ़ में सरकार का खर्चा किन्तु कारणों से कम है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, अम्बाला में पहले भी हमारा कोई डिपो नहीं और वहां के लोग किताबें इत्यादि लने के लिए चण्डीगढ ही आते थे । बाद में हरियाणा के हिस्से में टैक्सट बुकस का एक सैल आया । टैवसट बुकस के सैल का जो स्टाफ था उसको यूटेलाईज करने. के लिये गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि नया स्टाफ न रखने से सेविंग हो जायेगी ।

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, दुकानदार तो बच्चों को किताबें बेचते वक्त 15–20 परसैन्ट कमीशन देते हैं । क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि किताबें परचेज करने में जो कमीशन मिलता है, उसमें से बच्चों को भी कुछ कमीशन दिया जाएगा या नही या सारा मुनाफा गवर्नमेंट खुद ही ले लेगी ।

श्री हरपाल सिह . स्पीकर साहब, वहाँ जो बुक्स सेल होती हैं उन पर 10 परसेंट कमीशन दिया जाता है ।

चौधरी चांद राम : क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि गवर्नमेंट पब्लिक सहूलियत को ध्यान में रखती है या केवल अपनी इकौनोमी का ध्यान रखती है? श्री

हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, सारे फैक्टर्ज कन्यीडर करने पड़ते हैं ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, गवर्नमेंट 12 हजार कुछ रुपये की सेविंग को मुख्य रखेगी या बच्चों की सहूलियत को आगे रखेगी? गवर्नमेंट कौन सी बात पसन्द करेगी?

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, लोगों को जितना दूर अम्बाला पड़ता है, लगभग उतना ही चण्डीगढ पड़ता है ।

श्री हरपाल सिह : स्पीकर साहब, 1968 मैं यह फैसला हुआ था । जून, 1969 के बाद जनता से इस बारे में कोई शिकायत या तकलीफ नहीं आयी ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि डिपो खोलने का क्या यह कारण है कि किसी खास आदमी की बिल्डिग किराये पर लेनी थी और उसको किराया देना था । मैं इसलिये कह रहा हूं कि यहां डीलर

श्री हरपाल सिंह स्पीकर : साहब, यह सवाल इस लिए पैदा हुआ है क्योंकि यह किसी डीलर के साथ बात करके आये हैं ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मै प्रोटैस्ट करता हूं आज तक मुझे डीलर का पता भी नहीं कि वह रहता कहां है और कौन सा डिपो डीलर है? मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि महज एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिये यानि उसकी बिल्डिंग किराये पर लेने के लिये यह डिपो अम्बाला में नहीं खोला गया । यह मेरा सुझाव है और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वहू चाहे कितने ही ताकत के नशे में हों उन्हें चाहिए कि

महज एक बिल्डिग ओनर को फायदा पहुंचाने की बात को छोड्कर लोगों की सहूलियत के लिये डिपो अम्बाला में खोलें ।

श्री बंसी लाल स्पीकर साहब : यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्रीमती लेखवती जैन : स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वे इस बात को मानते हैं कि अम्बाला का कोई डैपुटेशन उन्हें मिला और कहा कि अम्बाला वालों की यह डिमान्ड है कि अम्बाला के अन्दर किताबों का डिपो होना चाहिए?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे पास अम्बाला के लोगों का कोई डैपुटेशन नहीं आया तै ।

श्रीमती लेखवती जैन : स्पीकर साहब, अगर उनके पास नहीं आया तो ही सकता है यह डैपुटेशन चीफ मिनिस्टर या किसी दूसरे मिनिस्टर से मिला हो जिस वक्त श्री हरपाल सिंह जी मिनिस्टर न हों । तो क्या वाकई वह इस वात को मानते हैं कि अम्बाला वालों का डेपुटेशन अगर उन से मिले तो अम्बाला के अन्दर डिपो खोल दिया जायेगा?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, यदि डैपुटेशन आयेगा तो विचार कर लेंगे ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरा यह प्वायंट आफ आर्डर है और मैं आपकी रुलिग चाहता हूं कि क्या एक मिनिस्टर जो अभी बना है और इन के बनने से पहले भी गवर्नमेंट थी क्या इस हाउस में एक आनरेवल मैम्बर ही नहीं, डिप्टी स्पीकर महोदया से यह कह सकता है जब कि यह कहती डैपुटैशन मिलने आया, कि मेरे पास तो कोई डैपुटेशन नहीं आया? यह पहले वजीर नहीं थे पिछले समय का इन को पता नहीं और अम्बाला में डिपो खोलने के लिये भी तैयार नहीं हैं ? इनको तो यह भी पता नहीं ? जब डैपुटशन मिलने आया तो पहले वाली गवर्नमेंट थी या अब वाली गवर्नमेंट थी ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, गवर्नमेट ने सब की बात सुन कर जो मुनासिब समझा, फैसला किया है ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, यह जो प्रश्न का भाग है, उसकी तरफ आप की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं । उस में मैने यह सवाल किया हुआ है–

(e) whether any representations have been received from any of the booksellers of Kalka, Mustafabad, Shahjadpur, Shahabad Markanda, Yamunanager, Jagadhri, Ambala Cantt. and Ambala City for opening the book depot, referred to in part (a) above, in Ambala City instead of at Chandigarh ; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken thereon ?"

The reply given was :

"Yes the matter was considered"

It means that the representations were received from those people.

स्पीकर साहब मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने बताया है कि अम्बाला सिटी या अम्बाला केन्ट से लोगों की कोई शिकायत नहीं आई है this is just to mislead the House.

Mr. Speaker : It has been stated by the Leader of the House that whosoever came, they were heard and necessary action was taken.

Chaudhri Chand Ram : What I was pointing out to you, Sir, was that the reply given by the Minister to the question put by the Deputy Speaker was wrong and misleading.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब आनरेबल मिनिस्टर ने यह कहा है कि जून 1969 के बाद से अम्बाला के लोगों की तरफ से कोई रिप्रेंजैटेशन नहीं आयी । यह सब रिप्रेजैंटेशनज उनके आने से पहले आ चुकी हैं ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, उन्होंने अपने जवाब में कहा और उनके पास लिखा हुआ भी होगा कि डैपुटेशन भी आये थे । उस में यह भी लिखों होगा कि इन रिप्रैजैन्टेशनज पर विचार किया गया था । फिर इन्होंने यह कैसे कह दिया कि डैपुटेशन आया ही नहीं । मैं तो यह समझता हूं कि हरपाल सिंह यह समझते हैं कि उन के आने के बाद गवर्नगेट नई शुरू हुई है

इसी लिए वे कहते हैं कि कोई डैपुटेशन नहीं मिला । उन को यह बात जाननी चाहिए थी ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब यह तो सजैशन ही नहीं, बल्कि स्पीच शुरु हो गई है ।

चौधरी चांद : रामय स्पीकर साहब, मैं तो एक सवाल कर रहा था । मिस्टर हरपाल सिह ने कहा कि डैपुटेशन आया नहीं, तो क्या यह पहले वाली कान्टीन्यूइंग गवर्नमेंट है या कोई और?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहव, उन्होंने पहले कहा था कि जून, 1969 के पश्चात कोई रिप्रेजैन्टैशन नहीं आया ।

श्री हरपाल सिंह : उनकी एक दरखास्त थी रिप्रेजैन्टेशन के तौर पर । वह कंसीडर की गई और कसीडरेशन करने के बाद यह डिसीयन लिया गया कि चण्डीगढ में ही डिपो खोला जाए । (विघन)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, यह मिसअन्डरस्टेडिंग है ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मिसअन्डरर्स्टोडग हमारी तरफ से नहीं है । उपाध्यक्ष महोदया ने. पूछा कि अम्बाला से कोई डैपुटेशन या रिप्रेजैन्टेशन आया था या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : वह कह चुके हैं 'येस' ।

चौधरी चांद राम : सप्लीमेंटरी के जवाब में कहते हैं 'नो' और लिखकर देते हैं 'येस' ।

Mr. Speaker : But later on it was pointed out that whatever representations were received, action was taken thereon.

श्रीमती चन्द्रावती : मुख्य मन्त्री ने कहा कि नसेसरी एक्शन वाज टेकन। क्या मैं जान सकती हूं कि वह नसेसरी एक्शन क्या था?

श्री बंसी लाल : यह तो पहले ही बताया जा चुका है । (विघन)

चौधरी रणबीर सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो खर्चा उन्होंने बताया है उस मै क्या चण्डीगढ के मकान का किराया भी शामिल है?

श्री हरपाल सिंह : हां, इस में किराया शामिल है । किराए का हिसाब लगाकर ही बताया गया है ।

चौधरी रणबीर सिंह : मन्त्री महोदय को यह तो मालूम ही है कि चण्डीगढ में किराया ज्यादा है अगर उन कर्मचारियों को अम्बाला तबदील कर दिया जाता तो तबदील करने से क्या खर्चा ज्यादा होता या कम होता?

श्री हरपाल सिंह : जो स्टाफ हमारे पास आया वहू चण्डीगढ सैल में ही या था । जब यह डिसीजन लिया गया तो

यह सारी बातें कसीडर की गई थीं । इस के बाद सारे बुकसेलर्ज को लिख दिया गया था कि चण्डीगढ में हमारा डिपो हैं । बुकसेलर्ज की ओर से कोई शिकायत नहीं आई । इस लिए तवदील करने का प्रश्न नहीँ था ।

चौधरी रणबीर सिह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस समय यह फैसला किया गया था क्या उस समय चण्डीगढ पर हमारा दावा था? इस सरकार की उस समय यह नीति थी कि कोई दफ्तर चण्डीगढ से बाहर न भेजा जाए जिस से कही यह इम्प्रेशन नहो कि हम चण्डीगढ़ छोड़ रहे हैं । अब जब कि भारत सरकार ने चण्डीगढ का फैसला कर दिया है तो क्या सरकार अपने पहले फैसले में कोई तकबदीली करने के लिए तैयार है?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, यह सप्लीमेन्टरी इस सवाल से अराईज नहीं होता । यह एक पौलिसी मैटर है कि चण्डीगढ से कोई आफिस बाहर जाए या न जाए ।

चौधरी लाल सिंह : यह सारा झगड़ा ही निपट जगा अगर डिपो कोही नारायण गढ में खोल दिया जाए । (विघन)

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहव, मैने अपने सवाल के पार्ट 'डी' मैं पूछा था कि चण्डीगढ में डिपो खोलने में कैरिज चार्जिज, मकान का किराया, कर्मचारियो की तनक्वाह आदि पर कोई एडिशनल खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है और बिल्डिंग का कितना किराया आप दे रहे है'?

श्री हरपाल सिंह :. यह सवाल पहले भी कर चुके हैं यह बिल्डिंग के किराए के लिए अलग क्वैश्चन कर दे । जवाब मिल जाएगा ।

Chaudhri Chand Ram : Sir, if you see part (d) of the question you will find that I have asked for details of expenditure.

श्री बंसी लाल : ऐडीशनल खर्चे का तो सवाल ही नहीं है । ऐडीशनल खर्चा हो तब होता जब कि अम्बाला में हम डिपो खोलते । इस लिए यह क्वैश्चन अराईज ही नहीं होता ।

LETTERS TO DISTRICT TEXTILE WORKERS UNION, HISSAR REGARDING DEMAND NOTICE

***855. Lala Baiwant Rai Tayal** : Will the Minister for Labour be pleased to state-

(a) whether any letter No. 9756 dated 3rd April, 1970 in connection with the demand notice dated 29th August, 1969, was sent to the District Textile Workers Union Hissar by Deputy Secretary to Government, Haryana, Labour Department ; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House together witha copy of demands notice dated 29th August, 1969 and a copy of the report, if any submitted by the Conciliation Officer, Bhiwani, in this connection ;

(b) whether the Conciliation Officer, Bhiwani, received any letters dated 8th April, 1970 and 31st May, 1970 from the Secretary, District Textile Workers Union, Hissar in

this connection ; if so, a copy each of the letters, together with a copy of the reply if any sent be laid on the Table of the House ;

(c)whether copies of the letters referred to in part (b) above have also been received by the Deputy Secretary to Government, Haryana, Labour Department ; if so, the action if any taken thereon ; if no action has been taken the reasons therefor ?

Labour Minister (Shri Harpal Singh) : (a) Yes. Required documents are laid on the Table 'of the House.

(b) Yes. Copies are laid on the Table of the House.

(c) Yes. The matter was taken up with the management and :hey have taken the worker as double sider.

प्रेषक,

सचिव हरियाणा सरकार

श्रम तथा रोजगार विभाग।

सेवा में,

मन्त्री,

डिस्ट्रिक्ट टैक्सटाईल वर्करज

युनियन हिसार ।

क्रमांक : 9756

दिनांक 3 अप्रैल, 1970

विषय— मैसर्ज हिसार टैक्सटाईल मिल्ज हिसार मांग पत्र दिनांक 29 अगस्त 1969 के बारे में औद्योगिक विवाद ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे निर्देश हुआ है कि आप करो सूचित करूं कि आपकी कोई भी मांग सरकार न्याथ निर्णय के लिए श्रम न्यायलय में भेजना निम्नलिखित कारणों से उचित नहीं समझती ।

मांग नम्बर 1— समझौता दिनांक 20 सितम्बर, 1969 को दोनों दलों के बीच सुलह अधिकारी भिवानी के प्रयत्नो से औद्योगिक विवाद की धारा 12(3) के अधीन हुआ है और समझौता में दी गई शर्तें बिल्कुल ठीक तथा जायज है । इसलिए यूनियन दोबारा यह मांग नहीं उठा सकती।

मांग नम्बर 2—प्रबन्धकों ने यूनियन की मांग को पूरा कर दिया है और श्रमिक को पहले की तरह डबल रिप का काम देना आरम्भ कर दिया है ।

भवदीय,

हस्ताक्षरित

श्रम आयुक्त तथा उप–श्रम

सचिव हरियाणा,

कृते सचिव हरियाणा सरकार,

श्रम तथा रोजगार

विभाग ।

पुष्ठाकन संख्या 9757–59

दिनांक 3 अप्रैल, 1970

इस की एक प्रति निमलिखित को भेजी जाती है. ––

1. आंकड़ा अधिकारी (श्रम आयुक्त), हरियाणा ।

2. श्रम तथा सुलह अधिकारी, भिवानी ।

3 मैसर्ज हिसार टैक्सटाईल मिल्ज, हिसार ।

हस्ताक्षरित

श्रम आयुक्त तथा उप–श्रम सचिव

हरियाणा,

कृते सचिव हरियाणा सरकार, श्रम

तथा रोजगार

विभाग ।

डिस्ट्रिक्ट टैक्सटाईल वरकर्ज यूनियन,

एच०ओ० नागोरी गेट, हिसार ।

दिनांक 29 अगस्त 1969 ।

श्रीमान् मैनेजर साहब,

हिसार टैक्सटाईल मिल्ज,

हिसार

विषय—भाग पत्र

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हमारा मांग पत्र दिनांक 30—6—69 सिक्रीनिग कमेटी में पड़ा हुआ है, जिसका आपने अभी तक कोई फैसला नहीं किया । उस में एक मांग ग्रैच्यूटी स्कीम को लागू करने के बारे में है । हमें सिक्रीनिंग कमेटी के पहले फैसले ने की रोशनी में इस मांग को दोबारा सिक्रीनिंग कमेटी में रखने को कोई आवशकता न थी, परन्तु दूर सरी मांगों के साथ उसको भी दर्ज कर दिया गया था । अब हम ने फैसला किया है कि ग्रैच्यूटी स्कीम लागू करवाने की मांग सीधे कन्सीलेशन में भेज दी जाये । हम एक बार फिर यह बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे मांग

पत्र के बारे में अगर आप किसी भी तथाकथित यूनियन के साथ कोई समझौता करें तो हमें मन्जूर नहीं होगा और हिसार मिल के वरकरों पर लागू नहीं होगा । क्योंकि हिसार मिल के वरकर भारी संख्या में हमारी यूनियन के साथ हैं । इस विषय में एक पत्र दिनांक 25—8—69 को आप को लिख दिया गया है ।

मांग निम्नलिखित है. —

1. ग्रैच्यूटी स्कीम तीन वर्ष की सर्विस से लागू की जाये और मुआवजा के तौर पर एक माह की पूरी तन्खाह (कान्सोलीडेटिड वेज) हर साल की सर्विस पर दी जाये । चाहे वरकर किसी हालत में नौकरी छोड़े या कम्पनी उसे निकाले ।

2. श्री शाम लाल रिग थर्ड जो कि आप ने 6—8—89 को दोबारा मशीन से हटा कर डाफरो मे लगा दिया है, उस की तन्खाह में काफी फर्क पड़ गया है । उसको दोबारा मशीन दी जाये और पिछली कमी को पूरा किया जावे ।

भवदीय.

हस्ताक्षरित

रिछपाल सिंह,

मन्त्री ।

सेवा में,

श्रीमान् कन्सीलेशन औफिसर,

हिसार (अधिकार पत्र के साथ)

मांग पत्र दिनांक 29–8–69 जो कि डिस्ट्रिक्ट टैक्सटाईल वरकर यूनियन हिसार ने मै सर्ज हिसार टैक्सटाईल मिल्ज हिसार के विरुद्ध भेजा था, की औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समाप्त रिपोर्ट ।

मांग पत्र दिनांक 29–8–69 जो कि डिस्ट्रिक्ट टैक्सटाईल वरकरज यूनियन ने मैसर्ज हिसार टैक्सटाईल मिल्ज, हिसार के विरुद्ध भेजा था इस कार्यालय में दिनांक 8–9–69 को पहुंची । प्रारम्भिक पूछताछ की मीटिंग दिनांक 19–9–69 को रखी ढाई मेरे प्रयत्नों के वावजूद दोनों पार्टियों में कोई समझौता नहीं हो सका और औद्योगिक अधिनियम की धारा 12(4) के अन्तर्गत समाप्त रिपोर्ट आगे की कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं । दोनों पार्टियों ने खालिस मानने के सुझाव को मानने से इन्कार कर दिया । दोनों पार्टियों की तरफ से अनुशासन अधिनियम भंग करने को कोई शिकायत नहीं आई । केस को सुलझाने में कोई देरी नहीं हुई ।

मांग नम्बर 1–इस मांग में वरकर के प्रतिनिधि ने कहा कि जिस वरकर की तीन साल की नौकरी हो जाये उसे गैच्यूटी स्कीम एक मास के वेतन के हिसाब से दी जाये और इसे मिल्ज में लागू किया जावे । अपने इस कथन के समर्थन में उसने कहा कि

मिल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वह मिल हर साल 20 प्रतिशत के हिसाब से बोनस देती है । उसने मैनेजमैट के इस आरोप को मानने से इन्कार कर दिया कि उन्होंने 20–9–69 के समझौता के अधीन ग्रैच्यूटी स्कीम को लागू कर दिया है वह बिलकुल ठीक और जायज है । उस ने कहा कि जो ग्रैच्यूटी स्कीम दिल्ली कलौथ मिल में लागू की गई है वही स्कीम इस मिल में लागू की गई जब कि इस को आर्थिक हाल दिल्ली कलौथ मिल से अच्छी है । इसलिए वह दिल्ली कलौथ मिल्ज में जो ग्रैच्यूटी स्कीम लागू की है उसे नहीं मानते और उस से ज्यादा मांगते हैं । उसने कहा कि दिनांक 20– 9–89 के समझौते में न ही ग्रैच्यूटी स्कीम को मानते क्योंकि वह समझौते के समय नहीं थे और इस लिये वह यह माग उठा सकते हैं । इस के इलावा मैनेजमेन्ट ने बेजबोर्ड के अनुसार 25 प्रतिशत बढौतरी नहीं दी है ।

मैनेजमैन्ट के प्रतिनिधि ने कहा कि मैनेजमैन्ट और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 (3) के अन्तर्गत ग्रैच्यूटी स्कीम का समझौता हो गया हूँ । (टर्मज आफ सैटलमैन्ट) समझौते के तरीके में ग्रैच्यूटी स्कीम के बारे में बिलकुल ठीक और जायज है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अवार्ड पर आधारित है जो कि मैसर्ज दिल्ली कलौथ मित्र और उस के वरकरों के विरुद्ध दिया है । उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिलकुल ठीक और जायज है उन्होंने कहा कि दिनांक 20

सितम्बर, 1 969 का समझौता सब वरकसे पर लागू है । यह इसके बारे मे कोई मांग नहीं उठा सकते ।

मांग नम्बर 2—इस मांग में वरकर के प्रतिनिधि ने कहा कि श्री शाम लाल को उसकी ट्रेंड यूनियन के कामों की वजह से उसे डाफर की नौकरी दी गई, जब कि वह पिछले चार सालों से डबल साईड रिंग में काम करता था । इस प्रकार उसे नाजाईज तंग किया गया है । मैनेजमैटं के इस विचार से कि उस का काम संतोष जनक नहीं था तो उस को कोई चार्जशीट नहीं दी गई, और न ही उसे कोई चेतावनी भी दी गई । उसका काम बहुत अच्छा और सन्तोषजनक था । उसने कहा कि शामलाल काएक दोष था कि वह वरकरों के कष्टों को अपने उच्च अधिकारी तक पहुंचाता था और यूनियन के काम करता था मैनेजमैन्ट का दूसरा तर्क वह था कि उसे डाफर की नौकरी दी गई जिस पर वह पक्का कर दिया गया जब कि वरकर पिछले चार सालों से डबल साईड रिंग में काम करता था । मैनेजमैन्ट का वह कार्य श्रम कार्यों के खिलाफ है ।

मैनेजमैन्ट के प्रतिनिधि ने कहा कि डाफर को नौकरी पर पक्का किया गया है । उसे डबल साईड पर दिल्ली के तौर पर लगाया गया था । उस का काम सन्तोषजनक नहीं है, और अपने काम के सुधारने मे असफल रहा है । इस लिये उसे दोबारा डाफर की नौकरी पर बदला गया और उन्होंने इस मांग को मानने से इन्कार कर दिया ।

हरियाणा श्रम व सभझौता अधिकारी, भिवानी ।

गोपनीय

सिफारिशे

मांग नम्बर 1—मैने दोनों पार्टियों की बहस सुनी तथा पढ़ी । मैंने दोनों पार्टियों को भेजी गई टीका टिप्पणी भी पढ़ी । मैं मैनेजमैन्ट के इस विचार से सहमत हूं कि दिनांक 20 सितम्बर, 1969 के मैनेजमैन्ट और उसके वरकसे के बीच समझौता हुआ जिस में ग्रैच्यूटी स्कीम भी थी । पीछे मैसर्ज हिसार टैक्सटाईल मिल्ज हिसार में ग्रैच्यूटी स्कीम लागू नहीं की गई थी । वह दिनांक 1 जनवरी 1969 से लागु की गई है । ग्रैच्यूटी स्कीम मैसर्ज दिल्ली कलौथ मिल्ज, दिल्ली और उसके वरकरो के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के दिये गये एवार्ड पर आधारित है जो कि बहुत ठीक है और वरकसे के लिये लाभदायक है जब दोनों पार्टियों मे समझौता किया जा रहा था तो हस्ताक्षरित मैने समझौता अधिकारी की हैसियत से श्री रिछपाल सिंह से बातें कीं । वह समझौते में पार्टी नहीं बना क्योंकि वह समझौतों के और टर्मज पर राजी नहीं था । क्योंकि वह वेज बोर्ड पर आधारित नहीं था । ग्रैच्चूटी स्कीम जो वेज बोर्ड ने लागू की है वह बिलकुल ठीक है ।

समझौता दिनांक 20 सितम्बर, 1969 जिस में ग्रैच्चूटी स्कीम है औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 (3) के

अन्तर्गत समझौता अधिकारी के प्रयत्नो से हुआ है यह समझौता दोनों पर लागू होता है । इस लिये वरकर दोबारा वह मांग नहीं उठा सकते । समझौते के टर्मज बिलकुल ठीक और जायज हैं । इस लिये मैं इस मांग को आगे की कार्यवाही के लिये नहीं भेजता ।

मांग नबर 2– मैने दोनों पार्टियों की बहस सुनी तथा पढ़ी । मैंने शामलाल का पिछला रिकार्ड भी देखा. है यह ठीक है कि शाम लाल पक्का डाफर था । परन्तु इस के उपरांत शाम लाल कई महीने से लगातार रिंग डवल साईड पर काम करता रहा है और रिंग डबल साईड में पक्के पद के स्थान रिक्त हैं अतरू उसका हक बनता है कि उसको न सिर्फ रिंग डवल साईड का पद दें परन्तु उस को इस पद पर काम दें । यह सत्य है कि शाम लाल को पहले भी रिंग डबल साईड से हटाने तथा काम न देने के बारे में शिकायत तथा मांग पव दिनांक 9 दिसम्बर, 1969 को भी आया था । उस समय मैनेजमैन्ट के विश्वास दिलाने पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और यूनियन ने उसको मांग पर लिखित समझौता करने से पहले ही वापिस ले लिया ।

मांग पर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं 5 जनवरी 1970 को हिसार गया तो मैने मैनेजमैन्ट पर जोर डाला कि वह शाम लाल को पहले केई तरह डबल साईड रिग का काम दें । उन्होंने वह मान लिया और 6 जनवरी, 197०

को मुझे उन्होंने बताया कि शाम लाल को डबल साईडर का काम देना शुरू कर दिया है ।

यूनियन के प्रतिनिधि ने इस बारे में मुझे बताया और वह संतुष्ट हो गये हैं । अब उनकी मांग पूरी हो गई है और इस मांग को आगे की कार्यवाही के लिये न भेजा जाये ।

हस्ताक्षरित,

श्रम तथा सुलह अधिकारी, भिवानी ।

प्रेषक

श्रम तथा सुलह अधिकारी,

भिवानी ।

सेवा में

श्रम आयुक्त, हरियाणा,

चण्डीगढ ।

क्रमांक 3110 दिनांक 2 दिसम्बर, 1969 ।

विषय – मांग पत्र दिनांक 29 अगस्त, 1 969, हिसार टैक्सटाईल मिल्ज हिसार

श्रीमान जी,

मैं उपर लिखित मांग पउ की औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12(4) के अन्तर्गत समाप्त रिपोर्ट के साथ मांग पत की तीन प्रतियां अधिकार पत्र औबजंक्टिव रिव्यू तथा जरूरी कागजात आगे की कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं ।

संलग्न/ भवदीय,

हस्ताक्षरित. श्रम तथा समझौता अधिकारी,

भिवानी ।

District Textile Workers Union,

H.O. Nagori Gate, Hissar.

Ref. 52/70.

To

Conciliation Officer,

Bhiwani.

Subject.-Demand notice dated 29th August, 1969.

Sir,

Kindly refer to a letter No. 9756 dated 3rd April, 1970 from Secretary Labour Haryana Chandigarh a copy of which has been endorsed to Conciliation Officer, Bhiwani and M/s Hissar Textile Mills, Hissar.

In regard to Demand No. 2 of above demand notice this is written in the above letter that Management have accepted the demand of the workers and he is given double sides as he was getting before. In this Conciliation I wish to inform you that, he has not been given double sides after August, 1969 even for single day.

Now according to your report, on who's basis the Labour Secretary has rejected our demand,-vide his above letters I understand that management have occupied this demand. But they have not given double sides to Shri Shyam Lai for which he is entitled according to these acceptance of his demand.

It is therefore, requested that management of Hissar Textile Mills may very kindly be directed to give work to Shri Shyam Lai as aventied in our above Demand Notice. It is further requested that Management be directed for payment of compensation for back given taken Shri Shyam Lai with effect from August, 1969 upto date I hope you will work yours good office, Implementation of this oral Agreement and renivel the management for honoring that commenants in regard to Shri Shyam Lai.

Yours truly,

Sd.

COPY Secretary,

103/70 Read on 5-6-70 31-5-70

To

The Conciliation Officer, Bhiwani

Subject.-Demand Notice dated 29th August, 1969.

Sir,

Kindly refer to letter No. 53/70 dated 8th April, 1970 in connection with the above demand notice I would like to remind you that we have not received any reply of above matter so far. The matter is very important and needs early action on your part.

Kindly look into the matter and let us know the action taken in this respect. With regards.

Yours truly,

Sd.

Secretary.

Copy forwarded to the Deputy Secretary Labour Cum-Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh for information and urgent action.

प्रेषक,

श्रम तथा समझौता अधिकारी,

भिवानी ।

सेवा में,

सैक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट टैक्सटाईल वर्करज यूनियन,

हिसार ।

क्रमाक :— 2091

दिनांक 6 अगस्त, 1970

विषय — मांग पत्र दिनांक 29 अगस्त 1969 के बारे में ।

आप का ध्यान आप के कार्यालय के पत्र 103/70 की ओर दिलाया जाता है ।

उपरोक्त हवाला पत्र के बारे में मालिकों के विचार इस कार्यालय में प्राप्त हो गये हैं । उस पत्र का एक्सटैक्ट इस के साथ आप को भेजा जा रहा है ।

आप से अनुरोध है कि उसके अनुसार इस कार्यालय को सूचित करें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके । कृपया इसका उत्तर शीघ्र भेजे ।

संलग्ना/ एक

हस्ताक्षरित

कृते श्रम व समझौता

अधिकारी,

भिवानी ।

Girls High Schools in the State

***900. Shri Randhir Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of Girls High Schools in the State together with the names of the places where such schools are located ?

Education Minister (Shri Maru Singh Malik) : A statement is laid on the Tabie of the House.

STATEMENT

GIRLS HIGH SCHOOLS IN THE STATE

ROHTAK DISTRICT

1	Bhalaut	1	Bharat Tek Girls High School, Rohtak
2	Farmana	2	Arya Dhanvantry Girls High School, Rohtak
3	Ismiila	3	Jain Girls High School, Rohtak
4	Kilanaur	4	S.D. Girls High School, Rohtak
5	M.T. Rohtak	5	Vaish Girls High School, Rohtak
6	Rohana	6	Vaish Arya Girls High School Bahadur garh
7	Kansala	7	Hindu Girls High School, Sonepat
8	Silana	8	Arya Girls High School Sonepat
9	Kharkauda		

Khidauli

10 Pehladpur

11 Sisana

12 Kahanaur

13 Qohana

14 Mbham

15 Bhainswal

16 Kalan

17 Madina

18 Assaunda

19 Bsri

20 Chhara

21 Dighal

22 Dabaldhan

23 Jhajjar

24 Kosli

25 Nuna Majra

26 Badli

Nahri

Nahra

Sampla

KARNAL DISTRICT

1	Gharaunda	1	Daya Nand Girls High School, Katnal
2	M.T.Karnal	2	Guru Nanak Girls High School, Karnal
3	M.T. Panipnt	3	R.D. Girls High School, Karnal
4	Thanesar	4	S.D. Girls High School, Karnal
5	pehowa	5	Lalita Shastri S.D. Girls High School Nilokheri
6	Patti Kalyana	6	Arya Kanya High School, Panipat
7	Ismailabad	7	Hitkaur Arya Kanya High School, Panipat
8	Fatehpur	8	S.D- Girls High School, Panipat
		9	Vaish Girls High School, Samalkha
		10	Arya Kanya High School, Shahabad

		11	Guru Nanak Girls High School. Shahabad
		12	J.D. Aggarwal Kanya High School, Kaithai
	GURGAON DISTRICT		
1	Gurgaon Village	1	Guru Nanak Girls High School, Gurgaon
2	Sohaoa	2	S.D. Girls High School. Gurgaon
3	Fcrozapore Jhirka	3	B.B. Ashram Girls High School, Rani-Pura (Rewari)
4	Bawal	4	Jain Gii Is High School. Rewari
5	Ballabhgarh	5	Gauri Datt Girls High School, Rewari
6	Tigaon		
7	Nagina		
	JIND DISTRICT		
1	Jind	1	Mahabir Jain Girls High School. Jind
2	Narwana	2	Arya Kanya Mahavidyalaya, Narwana
3	Safidon	3	S.D. Kanya Mahavidyalaya, Narwana

MAHENDERGARH DISTRICT

1	JnojuKalan
2	Kaniana
3	Mahendergarh
4	Imlota
5	Niamatpur
6	Bond Kalan

AMBALA DISTRICT

1	M.T. Ambala City	1	Sohan Lai Girls High School, Ambala' City
2	Mullana	2	Arya Girls High School, Mullana.
3	Chhachhrauli	3	K.P.A.K. Girls High School, Ambala City
4	Bilaspur	4	Dev Samaj Girls High School, Ambala
5	Naraingarh	5	Kalgidhar Girls High School, Ambala City
6	Shahzadpur	6	Jai Ram Das Arya Girls High School, Ambala City
7	Khadri	7	P.K.R. Jain Girls High

	School, Ambala City
8	L.S.S.D. (M.T. Girls High School Ambala- City)
9	S.B.N.D. Girls High School (M.T. Ambala City)
10	Arya Girls High School (B.C. Bazar) Ambala Cantt.)
11	Sikh Girls High School, Ambala Cantt.
12	SewaSamiti Girls High School, Ambala Cantt.
13	L.D. Arya Girls High School, Ambala Cantt.
14	Hargolal Girls High School, Ambala Cantt.
15	S.D. Girls High School, Ambala Cantt..
16	S.D. Girls High School, Top Khana, Ambala Cantt.
17	Mutsadi Lai Arya Girls High School, Ambala Cantt.

		18	Jain Girls High School, Ambala Cantt.
		19	Hindu Girls High School, Jagadhri.
		20	D.A.V. Girls High School, Railway Workshop, Yamuna Nagar
		21	Guru Nanak Girls High School, Sant- pura
		22	D.A.V. Girls High School, Railway Workshop, Jagrdhrt
		23	Hindu Girls High School Buria
		24	Sikh Girls High School , Kalka

HISSAR DISTRICT

1	Jakhal Mandi	1	Arya Girls High School, Hissar.
2	Tohana	2	Yashoda Girls High School, Hissar
3	Barwala	3	F.C. Girls High School, Hissar.

4	Uklana Mandi		4	Arya Girls High School, Hansi	
5	Loharu		5	S.D. Kanya Mahavidyalaya Kansi	
6	Tosham		6	Uttami Bai Girls, High School, Bhiwani	
7	Fitehabad		7	S.D. Jagdish Girls High School, Bhiwani	
8	Saniana				
9	Sirsa				
10	Dabwali				
11	Rania				
12	Bahuna				
13	Chang				
	Total	73		Total	59

श्री रणधीर सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक और करनाल में जहां केवल 8– 8 गर्ल्ज हाई स्कूल है क्या उनकी संख्या बढाने का विचार है ?

श्री माडू सिंह मलिक : अगर मांग होगी तो जरूर बढायेगे ।

श्रीमती चन्द्रावती : अगर डिमांड नहीं आएगी तो क्या लड़कियों के स्कूल नहीं खोले जायेंगे ?

श्री माडू सिंह मलिक : अगर जरूरत होगी तो जरूर खोलेंगे ।

श्री रणधीर सिंह : किसी गांव में किस हिसाब से आप स्कूल खोलते हैं।

श्री माडू सिंह मलिक : लड़कियों की संख्या देखकर स्कूल खोलते हैं ।

श्री रणधीर सिंह : एक हाई स्कूल खोलने के लिए लड़कियों की कितनी संख्या होना आवश्यक है । अगर किसी गांव की आबादी दस हजार है तो क्या आप वहां गर्ल्ज स्कूल खोल देंगे ।

श्री माडु सिंह मलिक : हम उसी हालत में स्कूल खोल सकते हैं जब कि गांव वाले बिल्डिग बना कर दें और वहां काफी लड़कियां पढ़ने वाली हों ।

श्री मंगल सैन : एक गांव में लड़कियों का स्कूल खोलने के लिए किन किन शर्तों का पूरा करना आश्यक है?

श्री माडू सिंह मलिक : पहली यह कि गांव वाले बिल्डिग बना दें और दूसरी लड़कियों की संख्या बढ़ाएं ।

श्री मंगल सैन : आपने हर बस के पीछे, हर स्कूल की दीवार पर और बाजार में यह लिखाया हुआ है कि एक दो या तीन बस वह भी रुक रुक कर । क्या इस रोशनी में लड़कियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है? (हंसी)

श्री माडू सिंह मलिक : इस में तो स्कूल को जाने वाली कन्याओं की संख्या बढ़ाने की बात है ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या स्टेट के हर बच्चे को ऐजुकेशन देना कम्पल्सरी नहीं है ?

श्री माडू सिंह मलिक : सिर्फ प्राईमरी कक्षा तक ।

श्रीमती चन्द्रावती : अगर ऐजुकेशन देना कम्पल्सरी है तो क्या स्कूल खोलना जरूरी नहीं?

श्री माडू सिंह मलिक : प्राईमरी स्कूल खोलना भी जरूरी है ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मैं आपकी आज्ञा से मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहती हूं कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जिन गांवों में प्राईमरी स्कूल भी नहीं हैं । क्या आप एजुकेशन बढ़ाने के लिये हर गांव में स्कूल खोलेंगे?

श्री माड़ सिंह मलिक : हां, अगर आप कोई ऐसी जगह बता दें तो हम स्कूल खोल देंगे ।

श्रीमती चन्द्रावती : मेरे हल्के में कई गांव हैं ।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : हम सब जगह स्कूल खोलने का प्रबन्ध करेंगे ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, आज तो मुख्य मन्त्री जी ने चन्द्रावती जी के प्रश्न का उत्तर देकर सौगन्ध तोड़ दी है ।

महन्त गंगा सागर : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर गांवों वाले, स्कूल खोलने के लिये बिल्डिग दे दें तो उस गांव में स्कूल खोलने की व्यवस्था की जा सकती है या साथ में पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी?

श्री माडू सिंह मलिक : नहीं, पैसा कोई जरूरी नहीं है । बिल्डिग के अतिरिक्त शेष साधन सरकार जुटाएगी ।

महन्त गंगा सागर : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अगर गांव में सिर्फ बिल्डिग बना दें' और दरख्वास्त दे दें तो क्या वहां पर प्राईमरी स्कूल चालू हो जाएगा?

श्री माडू सिंह मलिक : नम्बर आफ गर्लज की भी स्थिति देखनी होगी।

महन्त गंगा सागर : पैसे के लिये तो कम्पैल नहीं किया जाएगा?

श्री माडू सिंह मलिक : नहीं पैसे के लिये कम्पैल नहीं किया जाएगा ।

Constitution of Haryana School Education Board

***920. Rao Birender Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the constitution giving details of personnel together with their qualifications of the newly-formed Haryana Board of School Education; and

(b)the procedure adopted for the appointment of the personnel of the Board referred to in part (a) above ?

Education Minister (Shri Maru Singh Malik) : The information in respect of (a) and (b) is placed on the Table of the House.

ANSWER TO PART (A)

The constitution of the Board of School Education Haiyana under the Haryana Board of School Education Act, 1969, as amended by the Farysna Act, No. 2 of 1970, is given below in section 3 of the Act.

Section 3. The Board shall consist of a Chairman, Vice-Chairman and the following other members :-

(a) Ex-officio members namely

(i) Director of Public Instruction, Haryana ;

(ii) Director of Technical Education, Haryana ;

(iii) Director of Health Services, Haryana ;

(iv) Director of Industrial Training, Haryana ;

(v) Director of Agriculture, Haryana ;

(vi) Deputy Secretary, Finance Department, Haryana

(vii) Deputy Director of Schools, Haryana ; and

(viii)District Education Officer authorised hy the State Government;

Provided that in the case of alteration of any designation, the persons holding for the time being the altered designation shall be deemed to be the ex-officio members ;

(b) nominated members, namely

(i) two persons from amongst the members of the Haryana Legislative Assembly, one of whom shall be a woman ;

(ii) two persons from amongst the Heads of the recognised High and; Higher Secondary Schools, one of whom shall be a woman ;

(iii) one person from amongst the Heads of Teachers Training Colleges ;

(iv) one person, being not lower in rank than a Dean or Professor, from amongst the Universities situated in the State of Haryana ;

(v) two persons who are distinguished educationists residing in the Stateof Haryana, one of whom shall be a woman; and

(vi) one person from amongst the members of the managing committee.

As regards the qualification of the members, it has been provided in the Act (Sub-section 7 of Section 3) thatoneshould be at least a graduate of any University in India or hold an equivalent qualification from any University outside India.

The Board as presently constituted consists of the following :—

Chairman ;

Shri B.L. Ahuja, I A.S., Education Commissioner and Secretary to Government Education Department, Haryana.

Vice-Chairman :

Shri V.S. Mathur, M.A.(London),Dip. in Edu. (Cantab) .H.E+S.(I), formerly Deputy Director of Public Instruction, Haiyana Other Members. :

1. Shri V.K. Sibal, I.A.S., Director of Public Instruction, Haryara ;

2. Shri I.C. Gupta, Director Technical Education, Haryana ;

3. Dr. P.R. Sondhi, D ircctor, Health Services, Haryana ;

4. Shri Jatindra Lai, Director of Industrial Trainings Haryana ;

5. Shri Jai Lai Dalai, Director of Agriculture, Haryana ;

6. Shri H.L. Gugnani, Deputy Secretary, Finance, Haryana ;

7. Mrs. P.J.R.D. Ahuja, Deputy Director of Schools, Haryana :

8. Shri Dharam Singh Dhillon, H.E.S. (I) , District Education Officer, Rohtak.

Nine members as per sub-section 3(b) above are still to be nominated.

ANSWER TO PART (b)

The procedure adopted for the appointment of the personnel of the Boards provided in the Act is repealed below :-

(i) Under Section 3, sub-section 4, the Chairman and Vice-Chairman of the Board are appointed by the State Government upon such terms and conditions as it may think fit.

Accordingly, Government appointed Shri B.L. Ahuja, I.A.S., Education Commissioner and Secretary to Government, Education Department, Haryana as Chairman and Shri V.S Mathur M.A. (London), Dip. in Edu. (Cantab), as Vice-Chairman of the Board.

(ii) In addition to the Chairman and Vice-Chairman, the eight Ex-officio members have already been appointed, in accordance with sub-section (a) of section 3 of the Act.

(iii) The nine nominated members as per details in sub-section 3 (b) of section 3 of the Act have yet to be appointed.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, क्या शिक्षा मन्त्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो सचिव हैं, उन की क्वालीफिकेशनज क्या हैं? श्री माडू सिंह मलिक रू यह सवाल सिर्फ बोर्ड के मैम्बरों के बारे में है ।

Shri Mangal Sein : In part (a) of the question it is asked-

"the constitution, giving details of personnel together with their qualifications, of the newly formed Haryana Board of School Educalion; and?'

स्पीकर साहब, बोर्ड में सैक्रेटरी भी उसका पार्ट एण्ड पार्सल होता है इसलिये, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय. से पुछना चाहता है कि सैक्रेटरी साहब की क्वालिफिकैशन क्या है?

श्री माडू सिंह : अगर आप एक्ट को पढने की कोशिश करेंगे तो उसमे आप को सब कुछ मिल जाएगा।

Rao Birendra Singh : Sir, the question was clear and the supplementary by Dr. Mangal Sein, according to my question is perfectly justified. The question reads-

'Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) the consititution, giving details of personnel together with their qualifications of the newly-formed Haryana Board of School Education ; a..."

The constitution does not mean the law. The constitution means how it is constituted ? Of whom it is constituted ?

Shri Maru Singh Malik : It is of the Board itself and not the employees.

Rao Birendra Singh : The personnel of which the Board comprises ? This is my meaning and it should be clear to everybody.

Shri Maru Singh Malik : Section 3 of the Act is quite clear and the Leader of the Opposition must know it. Secretary is not included in that.

Rao Birendra Singh : I wanted to know the entire personnel of the Board.

Shri Maru Singh Malik : Then you must ask about the employees of the Board also. Personnel of the Board does not include the Secretary.

Mr. Speaker : Unfortunately what you have asked for is the details of the personnel together with their qualification, of the newly formed Haryana Board of Education. Now, as per their constitution, they have included

only the Chairman and certain other members and Secretary is not included in that.

Rao Birendra Singh : I do not want to know the Act. That everybody knows. I could read it from your library. I wanted to know the personnel of the Board and part (a) of the question makes it very clear. It reads-

"the constitution, giving details of personnel together with their qualification, of the newly formed Haryana Board of School Education.

Is the Secretary not personnel of the Board ?

Chief Minister (Shri Bansi Lai): The constitution of the Board means the members of the Board and Secretary is not a member of the Board.

Mr. Speaker : I have cleared it already that in the constitution of the Board they have put in the members and not the staff.

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, मं कहना चाहूंगा कि मैम्बर की नियुक्ति के लिये उसकी क्वालिफिकेशन ब्यान नहीं की जाती । मैम्बर के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, वह अनपढ़ भी हो सकता है, पढ़ा हुआ भी हो सकता है, इस पर कोई पाबन्दी नहीं होती । यह सवाल परसोनल आफ दी बोर्ड के बारे में पूछा गया है, जिस में सचिव भी शामिल हैं ।

श्री बंसी लाल : मैम्बर्ज की भी क्वालिफिकेशन होती है । क्वालिफिकेशन आवश्यक है ।

श्री मंगल सैन : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो आपके बोर्ड के सचिव हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है?

श्री माडू सिंह मलिक : इस के लिये आप अलग से नोटिस दे देवें तो बता दिया जाएगा ।

श्री मंगल सैन : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिव को अप्वायन्ट करते समय उन्होंने कौन सा प्रोसिजर अडाप्ट किया था?

Shri Maru Singh Malik : It does not arise from the question.

Mr. Speaker: They have said that from the question they thought that it only pertained to the members of the Board.

Chaudhri Chand Ram : The question is very clear. Par t (b) of it reads-

"the procedure adopted for the appointment of personnel of the Board."

Mr. Speaker : They say, constitution of the Board means the Chairman and other members of the Board. It does not include the Secretary.

Shri Maru Singh Malik : The personnel of the Board are the members of the Board and not the employees of the Board.

Chaudhri Chand Ram : It is not for him to interpret. It does mean the staff of the Board and not the members only.

Mr. Speaker : You read your question. It says-

"(a) the constitution, giving details of personnel together with theirqualifi- Cation, of the newly-formed Haryana Boat'd of School Education ; and

(b) the procedure adopted for the appointment of the personnel of the Board referred to in part (a) above and (a) above relates to the members of the Board

चौधरी जय सिंह राठी : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेगे कि बोर्ड के मैम्बर्ज की क्वालिफिकेशन क्या हैं?

Shri Maru Singh Malik : Qualifications are laid down in section 3 of the Act.

श्री मंगल सैन : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो विधान सभा के सदस्य बोर्ड के मैम्बर्ज नामीनेट किये जायेंगे, वह महानुभाव कौन कौन सै है।

श्री माडू सिंह मलिक : अभी तक तो नामीनेट ही नहीं हुए हैं । (विघन)

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, यह पब्लिक के इन्टैस्ट की बात है । (विघन)

A person has been brought from Bhiwani and he is not competent to be a Secretary of the Board.

श्री बंसी लाल : डाक्टर साहब, भिवानी, से तो बडे काबिल आदमी आते हैं चौधरी हरिद्वारी लाल बैठे हैं । आप में भी थोड़ी सी काबलियत इस लिये है कि आप थोड़े दिन भिवानी में पानी पी कर आए हैं ।

TENT PITCHED AT YAMUNA BRIDGE ON YAMUNANAGAR SAHARANPUR ROAD

***940. Dr. Malik Chand Gambh/r**: Will the Minister for Finance be pleased to state:

(a) the monthly rent of the tent pitched by the Excise and Taxation Department of the State Government at Yamuna Nagar Bridge on Yamunanagar Saharanpur road;

(b) the number of years since when the tent, referred to in part (a) above, is being got pitched;

(c) the total amount of rent paid so far in respect of the said tent; and

(d) the name of the owner of the said tent together with the total present cost price thereof?

वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) जो टैन्ट यहां प्रयोग में है उसका मासिक किराया निम्नलिखित दर से है रू——

(1) 26 मई, 1955 से 4 अप्रैल, 1959 30 रुपए प्रति मास	
(2) 5 अप्रैल, 1959 से 8 मई, 1961 29 रुपए प्रति मास	
	यह बैरियर 9 मई, 1961 से 6 नवम्बर, 1962 तक बन्द रहा।
(3) 7 नवम्बर, 1962 से 28 फरवरी, 1965 33 रुपए प्रति मास	
(4) 1 मार्च, 1965 से 3 दिसम्बर, 1969 40 रुपए प्रति मास	
(5) 4 दिसम्बर, 1969 से अब तक	120 रुपए प्रति मास

(एक टैन्ट तथा एक सर्विस टैन्ट सहित)

(बी) लगभग 15 वर्ष

(सी) 6,119 रुपए 62 पैसे ।

(डी) टैन्ट निम्नलिखित फर्मों से किराये पर लिए गये रू——

(1) मैसर्ज माम चन्द एण्ड सन्ज अम्बाला छावनी ।

(2) मैसर्ज अमर टैंट हाउस, अम्बाला ।

(3) मैसर्ज ओम प्रकाश राजेन्द्र कुमार, यमुना नगर ।

(4) मैसर्ज भारत टैंट हाऊस, अम्बाला ।

(5) मैसर्ज बारु लाल एण्ड सन्ज, अम्बाला छावनी ।

(6) मैसर्ज शर्मा टैंट हाऊस, जगाधरी ।

(7) मैसर्ज विजय टैंट हाऊस, यमुना नगर ।

जो टैंट इस समय बैरियर पर प्रयोग में हे उसकी कीमत लगभग 1800 रुपए तथा सर्विस टैंट की कीमत 2,800 रुपए है ।

डाकटर मलिक चन्द गंभीर : वित्त मन्त्री साहिबा, ने बनाया है कि टैंट का कुल किराया 6,119 रुपए और 62 पैसे दिया जा चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि जब इतना किराया देना पड़ता है तो फिर वहां पर एक कमरा ही क्यों नहीं बनवा दिया जाता ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : इस चीज पर विचार किया जा रहा है कि वहां पर सैमी पक्का कमरा बनवा दिया जाए ।

डाकटर मलिक चन्द गंभीर : टैंट किराए पर लेते वक्त टैन्डर भी इन्वाइट किए जाते रहे हैं या वैसे ही ले लिए जाते थे ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : हां जी, कोटेशन्ज लेकर जिस का कम टैंडर होता था उस को एक्सैप्ट किया जाता था ।

डाकटर मलिक चन्द गंभीर : क्या आप अपना टैंट नहीं खरीद सकते थे?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : हम ने सोचा है कि जहां पर हमारे परमैंट वैरियर्ज हैं वहां पर सैमी पक्के कमरे बना दिए जायें ।

Mr. Speaker: The question hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Arms Licences granted by S.D.O. (Civil), Panipat

***890. Chaudhry Jai Singh Rathi** : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the names of the persons, it any, to whom licences for guns, pistols and revolvers were granted by S.D.O. (Civil) Panipat from August, 1969 to date separately together with the criteria, if any, adopted in each case ; and

(b) the names of the persons whose applications were rejected together with the reasons therefor in each case ?

Home Minister (Shri Kanihya Lai Poswal) : (a) A statement .idicaiing the names of the persons to whom licences for possession : f fire arms in question have been granted, is laid on the Table of the House. The criterion for granting the licences is given in the provisions of sections 9,13 and 14 of the Indian Arms Act, 1959 and a copy these sections is also laid on the Table of the House. These persons fulfilled this criterion.

(b) A statement about the names of the persons whose applications were rejected is laid on the Table of the House. The reasons for refusal in each case was that on the basis of their character and antecedents they were not considered fit for granting a licence under the Arms Act.

STATEMENT

(a) List of the licences granted by the Sub Divisional Officer (Civil)

Panipat from August, 1969 to date

Sr. No.	Name of Licencense	Kind of License

1	2	3
	Sarvshri -	
1	Ram Sarup son of Jug Lai resident of Village Adiana	SBBLGun
2	Baljit Singh son of Ram Chander Resident of Udhmi	DBBL Gun
3	Bagh Krishan Khanna son of Sohna Mai of Panipat	Ditto
4	Khairati Lal son of Thakar Dass of Panipat	Ditto
5	Jarnail Singh son of Lal Singh of Mehmadpur	Ditto
6	Sardul Singh son of Makhan Singh of Mehmadpur	Ditto
7	Avtar Singh son of Balram Dass of Panipat	Ditto
8	Sukhbir Singh son of Rulia Singh Assistant Clerk P S City	Ditto
9	Jagdish Singh son of Chatar Singh of Mehmadpur	Ditto
10	Des Raj son of Bhairi Ram Patti Ansar, Panipat	Revolver
11	Deep Chand son of Daulat Ram of Patti Maqdumzadgan	Ditto
12	Gurcharan Singh son of Bahadur Singh 12,	DBBL Gun

	Haryana, N.C.C. Panipat	
13	Anand Parkash son of Siri Ram of Panipat	Revolver
14	Jasbir Singh son of Rajwant Singh of Noorwala	DBBL Gun
15	Ram Parkash Khanna son of Tulsi Dass Roshan Mahal of Panipat	Revolver
16	Suresh Kumar son of Shezad Rai of Samalkha	Ditto
17	Om Parkash son of Ishar Dass of Jawahar Nagar, Panipat	DBBL Gun
18	Smt. Shanta Sindhwani daughter of Ram Lal of Panipat	Revolver
19	Manager, the United Commercial Bank Ltd , Panipat	DBBL Gun
20	Rishi Singh son of Thakar Singh of Sewah	Ditto
21	Asa Ram son of Simro of Bapauli	Ditto
22	Bharat Bhushan son of Lakhpat Rai of Azizullapur	Ditto
23	Rugha son of Sona Ram of Garhi Sikandar	SBBLGun
24	Jai Singh Rathi, M.L.A., son of Duli Chand of Manna	Revolver
25	Tek Chand son of Rati Ram of Chamrara	DBBL Gun
26	The Branch Manager, The Karnal Co operative	Ditto

	Bank Ltd., Madlauda	
27	Mohar Singh son of Dhana Ram S.H.O. City Panipat	Ditto
28	Mange Ram Goel son of Asa Ram Goel of Patti Kalyana	Revolver
29	Ram Kishan son of Haria of Naultha	SBML Gun
30	Lekh Raj son of Kanshi Ram of Panipat	Revolver
31	Mai Dhan son of Kundan Lal of Bapauli	DBBL Gun
32	Zile Singh son of Giani Ram of Kutani	Ditto
33	Dai Chand son of Siri Ram of Mathauli	Ditto
34	Iqbal Singh son of Narain Dass of Panipat	Ditto
35	Kapur Singh son of Sunder Singh of Urlana Khurd	DBBL Gun
36	Kala Singh son of Sohan Singh of Urlana Khurd	Ditto
37	Sardar Singh son of Devi Dass of Panipat	Ditto
38	Suresh Kumar son of Hari Chand Industrial Area, Panipat	Revolver
39	Neki Dass son of Lal Dass of Waisri	DBBL Gun
40	Lakhi Dutt Vashist son of J. D. Vashisht of Jatol	Rifle

41	Madan Lal Kohli son of Giani Chand Model Town, Panipat	Revolver
42	Hava Singh son of Khem Lal of Joshi Karam Singh son of Neki Ram of Dikadla	Ditto
43	Karam Singh son of Neki Ram of Dikadla	Ditto
44	Lakhmi Narain son of Gopi Chand of Samalkha Mandi	Ditto
45	Sh. Jai Dayal Chug son of Tara Chand Chug, Dayal Weaving Factory, Panipat	Pistol
46	Mohan Lal son of Net Ram of Hathwala	DBBL Gun
47	Shankar son of Ganga Ram Railway Road Panipat	Revolver
48	Smt. Savitri Devi wife of Ram Sarup of Panipat Nand	Ditto
49	Kishore son of Mange Ram Model Town Panipat Ram	Ditto
50	Kishan son of Sukhan Lal of Smalkha	Ditto
51	Rameshwar son of Ram Chander of Karhans	DBBL Gun
52	Agent State Bank of India Panipat	Ditto
53	Ram Lal Bhatia, son of Amar Nath Bhatia, Model Town, Panipat	DBBL Gun
54	Parkash Chand Sharma, son of Arjan Ram,	Revolver

	Village and. Post Office Madlauda	
55	Balbir Dutt, son of Mam Chand of Sinkh	Ditto
56	Ved Parkash Palewal, son of Kundan Lal,G.T. Road, Panipat	Revolver/Pistol
57	Jai Singh Tyagi, son of Jai Ram Tyagi of Hathwala	Revolver
58	Kulsip Rai, son of Lakhpat Rai of Azizullapur	DBBL Gun
59	P.P. Singh son of Sukh Dev Singh Model Town, Panipat	Rifle
60	Harbans Singh, son of Sohel Singh, Model Town, Panipat .	Revolver
61	Chandgi Ram.Bhatia, son of Sawan Ram, Model Town, .. Panipat	Do
62	Gandesh Dass Bhatia, son of Udho Dass Bhatia, 44, Model Town, Panipat	Do
63	Duli Chand, son of Amrao Singh, Gaushala Mandi, Panipat	DBBL Gun
64	Randip Singh, son of Sarup Singh of Behli	Ditto
65	Ugar Sen Jain, son of Bali Ram of Samalkha	Revolver
66	Mahesh Dutt son of Har Narain Singh of Jathwala	DBBL Gun
67	Amar Singh, son of Santu Singh of Panipat	Ditto

68	Bishna Ram, son of feet Ram, Driver to SDM, Panipat . ,	Ditto
69	Lakhmi Chand, Sarpanch, son of Vasanda Ram, Model Town, Panipat	Revolver
70	Ram Parkash Bhatia, son of Gobind Ram, Model Town, .. Panipat	Revolver
71	Major Kartar Singh, son of Devi Singh of 12 Haryana NCC, Panipat	Ditto
72	Prem Kumar, son of Har Bhagwan Dass, Medical Officer, C/H, Panipat	Ditto
73	Piara Singh, son of Gurcharan Singh of Smalkha	Ditto
74	Ram Parkash, son of Ganesh Dass of Bichpari	Ditto
75	Jagat Singh, son of Bhaya Ram of Hathwala	DEML Gun
76	Tara Chand, son of Bala Ram, Subash Colony, Panipat	Revolver / Pistol
77	G.K. Rao, Model Town, Pani pat	DBBL Gun
78	Lakhrtian Singh, son of Piara Singh of Panipat	Ditto
79	Hardyal Singh, son of Budh Ram of Samalkha	Ditto
80	Gurcharan Singh, son of Nihal Singh of Panipat	Revolver / Pistol

81	Jawala Singh, son of Sheo Chand of Beholi .	Ditto
82	R.C. Kaushak, son of S.D. Kaushak, Advocate, Panipat	DBBL Gun
83	Gobind Lal, son of Tulsi Dass, Model Town, Panipat	Ditto
84	Gobind Lal, son of Tulsi Dass, Model Town, Panipat	Revolver
85	Jagmal Singh, son of Anup Singh of Hathwala	Ditto

(b) List of rejected applications for grant of Arm Licences in respect of Panipat Sub-Division

Serial	Name of Applicants
	Sarvshri —
1.	Hari Chand, son of Moji Ram Saini, 3148486 NK/CLK, C/o 56 APO
2.	Santokh Singh, son of Barkat Singh, Sepy Clerk No. 3360761, 1st Bnt., the Sikh Regiment, C/o 56 APO
3.	Rugha Nath, son of Sona Ram, Village Garhi Sikanderpur
4.	Madan Lal, son of Faqir Chand, 532, Ward No. 6, Panipat

5. Rup Lal, son of Kano Ram, Village Adhoya

6. Jagjit Singh, son of Prem Singh 191, Model Town, Panipat

7. G.K Sharma, 1288087-TA, son of Hans Raj Sharma 2201 Modbly c/o 56 APO.

8. Shri L/NK Lal Singh, son of Risal Singh No. 7047112, LRW, c/o 56 APO, Mediuns Regiment.

Extract from Arms Act, 1959

Prohibition of possession by, or of sale or transfer to young persons and certain other persons of fire arms etc.

9.(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions acquisition or of this Act :-

(a) no person,-

(i) who has not completed the age of sixteen years, or

(ii) who has been sentenced on conviction of any offence Involving violence or moral turpitude to imprisonment for a term of not less than six months, at any time during a period of five years after the expiration of the sentence, or

(iii) who has been ordered to execute under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1898, a bond for keeping the peace or for good behaviour, at any time during the term of the bond, shall acquire, have in his possession or carry any firearm or ammunition ;

(b) no person shall sell or transfer any firearm or ammunition to, or convert, repair, test or prove any firearm or ammunition for any other person whom he knows, or has reason to believe-

(i) to be of unsound mind at the time of such sale or transfer, or such conversion, repair, test or proof.

(2) Notwithstanding any thing in sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) a person who has attained the prescribed age-limit may use under prescribed conditions such firearms as may be prescribed it, the course of his training in the use of such firearms :

Provided that different age-limits may be prescribed in relation to different types of firearms.

Grant of 13. (1) An application for the grant of a licence under licences.

Chapter II shall be made to the licensing authority and shall be in such form, contain such particulars and be accompanied by such fee, if any, as may be prescribed.

(2) On receipt of an application, the licensing authority, after making such inquiry, if any, as it may consider necessary, shall, subject to the either provisions of this Chapter, by order in writing either grant the licence or re fuse to grant the same.

(3) The licensing authority shall grant :-

(a) licence under section 3 where the licence is required—

(i) by a citizen of India in respect of a smooth bore gun, having a barrel of not less than twenty inches in length to be used for protection or sport or in respect of a muzzle loading gun to be used for bona-fide crop protection ;

Provided that where having regard to the circumstances of any case, the licensing authority is satisfied that a muzzle loading gun will not be sufficient for crop protection, the licensing authority may grant a licence in respect of any other smooth bore gun as aforesaid for such protection, or

(ii) in respect of a point 22 bore rifle or an air rifle to be used for target practice by a member of a rifle club or rifle association licensed or recognised by the Central Government ;

(b) a licence under section 3 in any other case or a licence under section 4, section 5, section 6, section 10 or section 12, if the licensing authority is satisfied that the person by whom the licence is required has a good reason for obtaining the same.

14. (1) Notwithstanding any thing in section 13, the Refusal of

licensing authority shall refuse to grant-Licences.

(a) a licence under section 3, section 4 or section 5 where such licence is required in respect of any prohibited arms or prohibited ammunition

(b) a licence in any other case under Chapter II.—

(i) where such licence is required by a person whom the licensing authority has reason to believe –

(ii) to be prohibited by this Act or by any other law for the time being in force from acquiring, having in his possession or carrying any arms or ammunition, or

(1) to be of unsound mind, or

(2) to be for any reason unfit for a licence under this Act : or

(ii) where the licensing authority deems it necessary for the security of the public peace or for public safety to refuse to grant such licence.

(2) The licensing authority shall not refuse to grant any licence to any person merely on the wound that such person does not own or possess sufficient property,

(3) Where the licensing authotity refuses to grant a licence to any person it shall record in writing the reasons for such refusal and furnish to that Person on demand a brief statement of the same unless in any case the licensing

authority is of the opinion that it will not be in the public interest to furnish such statement.

Construction of P.W.D. Rest House at Jind

***931. Shri Daya Krishan :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the period within which the building of P.W.D. rest house at Jind is likely to be completed, together with the approxi. mate cost thereof?

Public Works Minister: (Shri Ran Singh) By October, 1971. The cost of the building is Rs 3.30 Lacs.

Income of Panchayats from Lands

***830. Chaudhry Om Parkash:** Will the Minister for Development be pleased to state the total income accrued to the Panchayats from their lands in the State during the years 1966-67 (1st November, 1966 to 31st. March, 1967) 1967-68, 1968-69 and 1969-70?

Development Minister (Shri Sarup Singh):

	Rs .
1966-67 (1-11-66 to 31-3-67)	38,50,364
1967-68	1,14,37,628
1968-69	1,42,65,633
1969-70	1,24,62,020

Lodging Arrangements for Attendants on Patients

in the Medical College (Hospital), Rohtak

***809. Shri Mangal Sein:** Will the Minister for Health be pleased to state whether Government is aware of the difficulties experienced by the persons regarding their lodging when such persons come to attend on their patients in the Medical College (Hospital), Rohtak; if so, the measures, if any, adopted or proposed to be adopted by the Government?

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed): Yes. Seth Indrakumar Karnani Charitable Trust, Calcutta has given an offer to finance for the construction of a Dharamshala at the campus of Medical College, Rohtak, and the offer has been accepted by Government. Necessary action to implement the proposal will be taken as soon as the said Trust is in a position to place the requisite funds at the disposal of this State Government.

Incumbent of the post of Controller, Printing and Stationery

***950. Chaudhri Chand Ram:** Will the Minister for Labour be pleased to state whether the post of Controller of Printing and Stationery Haryana was advertised through the Public Service Commission for appointing a person with requisite qualifications, if not, the reasons therefore?

Labour Minister (Shri Harpal Singh): No. The post has been filled in by taking the senior-most Deputy Controller in the Printing and Stationery Department, Union Terrirory, Chandigarh on deputation from the Chandigarh

Administration as provided in the Punjab Printing and Stationery Department Service (State Service Class I and II) Rules, 1962.

Allotment of Cars and Scooters

***863. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the number of Ambassador, Fiat and Standard cars and scooters allotted by the Chief Minister from May, 1968 to date together with the names and qualifications of the persons to whom such vehicles were allotted;

(b) total number of M.L.As. who applied for the allotment of vehicles referred to in part (a) above together with the number of M.L.As who were actually allotted the vehicles; and

(c) whether any M.L.As referred to in part (b) above were not allotted the vehicles, if so, the reasons therefor?

Transport Minister (Shri Mahabir Singh): (a) (i) Total number of cars allotted by Chief Minister from May, 1968 to date-

1.	Fiats	71
2.	Standard	1
3.	Ambassadors	77
	Total	149

(ii) Total number of scooters allotted by Chief Minister from May, 1968 to date;-

1.	Vespa	123
2.	Lambretta	86
Total		209

Statements regarding the persons together with their particulars who were allotted cars and scooters are laid on the Table of the House. (b) (1) Total number of M.L.As who applied for allotment of vehicles-

(i)	Cars	29
(ii)	Scooters	22

Number of M.L.As whom cars have been allotted	23
Number of M.L.As whom scooters have been allotted	17

(c) Total number of M.L.As. who were not allotted cars and scooters from May, 1968, to date-

1.	Cars	6
2.	Scooters	5

Statements regarding such M .As. are laid on the Table of the House.

Since it is a discretionary quota of the Chief Minister, the allotment is made according to the comparative need of the applicant. No reasons are recorded for not allotting a vehicle to a particular applicant.

List of persons who have been allotted cars by Chief Minister out of his discretionary quota from May, 1968 todate

Serial No.	Name and Address	Make of Car
1	Shri R. D. Vishhat, Lt. Col. (Retd) Village Jatauli, Teh. Panipat, District Karnal	Fiat
2	Smt. Parsani Devi, M.L.A. & General Secretary, D.C.C., Karnal	Do
3	Shri Banarsi Dass, M.L.A., M.L.A.'s Hostel, Haryana Chandigarh	Do
4	Smt. Chandra Wati, M.L.A., M.L.A.'s Hostel, Haryana Chandigarh	Do
5	Shri M. K. Chaudhary, Village Shekhupura, P.O. Hansi, District Hissar	Do
6	Shri K. D. Vasudeva, Regional Manager, Food Corp. of India, Punjab and Haryana Regions, Chandigarh	Do

7	Shri Neki Ram, M.L.A., Village Dhemarkhan, Teh. Narwana,District Jind	Ambassador
8	Sint. Sharda Rani, M.L.A., V&PO Karoli, District Gurgaon	Do
9	Shri Bhagwat Dyal Sharma, ex-Chief Minister, Haryana, Chandigarh	Do
10	Shri Harpal Singh, M.L.A., MLA's Hostel, Haryana, Chandigarh	Do
11	Shri Bhajan Lal, M.L.A. Adampur, District Hissar	Fiat
12	Shri K. L. Poswal, Minister, Public Works Department, Haryana, Chandigarh	Do
13	Shri S. R. Verma, I.A.S., (Retd), H. No. 11, Sector 5, Chandigarh	Fiat
14	Dr. S. Pal, Dental Surgeon Incharge, Dental Deptt., Health centre-cum-Hospital, Sector-22, Chandigarh	Do
15	Shri Mani Ram Godara, Chairman, Zila Parishad, Hissar	Do
16	Sardarni Gurbachan Kaur, 1020, Sector 27-B, Chandigarh	Do
17	Shri Jaswant Singh Chauhan, M.L.A., M.L.A's	Ambassador

	Hostel, Haryana, Chandigarh	
18	Shri Ram Dhari Gaur, M.L.A., Gohana, District Rohtak	Do
19	Shri Rizak Ram, M.P., 191-R, Model Town, Sonepat	Do
20	Shri Darbari Lal, Chairman, H.P.S.C., Chandigarh	Do
21	Shri Balwant Rai Sapra, 479, Model Town, Yamuna Nagar	Do
22	Shri Raj Singh Dalal, M.L.A., 330, Rohtak-Delhi Road, Rohtak	Fiat
23	Shri T. R. Aggarwal, Inspecting Assistant Commissioner of Income: tax, Rohtak Range, Rohtak	Do
24	Justice S. B. Kapur, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh	Do
25	Smt. Sharda Rani, M.L.A., Chandigarh.	Do
26	Shri Mohinder Singh, Chairman, Zila Parishad, Ambala	Do
27	Shri Mohni Chaudhry, Luxmi Cotton Ginning and Oil	Do
	Mills, Hansi	
28	Shri Partap Singh, M.L.A., Rohtak	Ambassador

29	Shri Surjit Singh, M.L.A., Rohtak	Do
30	Shri Satish Kapur, 501, Sector 18, Chandigarh	Do
31	Shri S.P. Pandey, Exn. Bharat Heavy Elect. Limited, Hardwar	Do
32	Shri Ram Saran Chand Mital, President, Haryana Pradesh Congress Committee, Chandigarh.	Do
33	Shri Chanda Singh, M.L.A., Nilokheri, Karnal	Do
34	Shri Avinash Chander, Advocate Bhittle Street, Karnal	Do
35	Chaudhry Suraj Mal, President Farmers Forum, Haryana Suraj Bhawan, Hissar	Do
36	Shri Sarup Singh, M.L.A., Hissar	Ambassador
37	Shri Joginder Singh, Advocate, M.L.A. Flat, Chandigarh.	Do
38	Shrimati Om Prabha Jain, Finance Minister, Haryana	Do
39	Dr. Nirmal Chander, Senior Medical Officer, B.K. Hos- pital Faridabad.	Do
40	Shri Mukhtiar Singh, Malik , M.L.A., Sonepat'	Do
41	Shri A.N. Kapur, Station Director, All-India Radio, Jullundur	Do

42	Shri Dharam Pal, Vice Chairman, Panchayat Samiti, Hissar	Do
43	Shri Privia Vart, Model Town, Sonepat Road, Rohtak	Do
44	Shri Monohar Singh Azad, M.L.A. Prem Bhawan, Gurgaon	Do
45	Secretary, Haryana State Gandhi Century Celebration Committee, Chandigarh.	Do
46	Shri Surat Singh, Member, H.P.C.C., Subhash Talkies, Rohtak	Do
47	Shri Thakur Narain Singh, son of Thakur Sher Singh, Rohtak Gate, Bhiwani	Do
48	Registrar, Kurukshetra University, Kurukshetra	Do
49	Shri Ishwar Chander, IAS.. Home Secretary, Haryana Govern- ment, Chandigarh	Fiat
50	Shri S. K. Misra, Principal Secretary, Chief Minister, Haryana	Do
51	Shri S. K. Jain, Deputy Secretary, Haryana Government, Chandigarh	Do
52	Dr. B. R. Verma, Sector 16 Hospital, Chandigarh	Do
53	Shri Shiv Rattan Singh, village Dharuhera, tehsil Rewari, dis- trict Gurgaon	Do

54	Shri Chetan Dass Dewan, H. No.51, Sector 2-D, Chandi- garb	Do
55	Markanda Vanaspati Mills Ltd., G. T. Road, Shahbad Markanda	Do
56	Shri Nagar Mal Goel. Government Contractor, Banjala. Bhawan, Hissar	Ambassador
57	Shri Abhai Singh, ex-M.L.A., Rewari	Do
58	Shri Daljit Singh Dhillon, village and post office Shamgarh, Karnal	Do
59	Shri Jagdish Rai Sharma, Secretary, Punjab, Haryana and Rajas- than Cotton Factories Association C/o M/s Harji Ram- Balwant Singh, Sirsa	Do
60	Shri Katar Singh, M.L.A., 320, Model Town, Panipat	Do
61	Shri Raj Kumar Malhotra, Secretary, Haryana Legislative As- sembly, Chandigarh	Fiat
62	Shri K. N. Shukla, 104/132 P. Road, Kanpur	Do
63	Shri Major-General S. S. Kalan, c/o Capt. R.K.S. Kalan, The President Bodyguard, Rashterpati Bhawan, New Delhi	Do

64	Shri Bansi Lal, Chief Minister, Haryana	Do
65	Shri M. S. Lamba (Retd. Lt. Col.) Gun House, Lajpat Nagar, Hissar	Do
66	Dr. P. K. Jain, R-4/7-A, Model Town, Delhi-9	Do
67	Shri Adish Kumar Jain, Advocate, Jind	Ambassador
68	(Shri) Dr. S. N. Kapoor, Retd. Chief Engineer, Irrigation, Kapoor House, Binjal, Panipat	Do
69	Chairman, Marketing Board, Haryana, Chandigarh	Do
70	Shri Prabhu Ram, M.L.A., village Kishan Pura, post office Khizarabad, district Ambala	Do
71	Shri Kartar Singh, Paper Board Mills, Industrial Area, Chandigarh	Do
72	Shrimati Daljit Kaur Atwal, 36, M.L.A., Flat, Chandigarh.	Do
73	Shri Bhupinder Singh, H. No. 2043, Sector 15-C, Chandi- garb	Fiat
74	M/s Pasco Motors, Industrial Area, Chandigarh	Do
75	Shri Jagan Nath Kaushal, Senior Advocate,	Do

	High and Supreme Court, Sector 9-C, Chandigarh	
76	Shri Debi Singh, Tewatia, Advocate Secretary, Health	Fiat
	Department & Family Planning, New Delhi	
77	Shri P. L. Chhabra, I.A.S. Deputy Scretary, Health Department	Do
	Secretary, Health Department & Family, Planning, New	
	Delhi.	
78	Shri M.L. Batra, Commissioner, Home Affairs, Haryana	Do
79	Shri K.S. Pathak, Chief Engineer, Irrigation Department	Do
	Haryana, Chandigarh	
80	Shri Mahabir Singh, M.L.A., Gurgaon	Do
81	Brigadier Ran Singh, Speaker, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh.	Do
82	Shri Sube Singh, Secretary Haryana Government, Agricul- ture and Panchayat Department, Chandigarh.	Ambassador
83	Shri Ranbir Singh, Members, Haryana Vidhan Sabha, 51, M.L.A. Flat, Chandigarh.	Do

84	Shrimati Rain Piari Gupta, H. No. 43, Sector. 8 Chandigarh.	Do
85	Shri R. N. Dhawan, Manager, Allahabad Bank Sector, 17, Chandigarh.	Do
86	Shri Anant Singh (Capt.) Editor, The Punjab Mail, 286, Sector 16-A Chandigarh.	Do
87	Shrimati Prem Vati Vin Niketan, Hissar	Do
88	Dr. Vimal Bansal, Vimla Hospital, Sonepat	Do
89	Registrar Sainik School, Kunjpura (Karnala)	Do
90	Shri Gulab Singh, Advocate, Hissar	Do
91	Shri Davinder Singh Lamba, Advocate, Hissar	Fiat
92	Shri V.D. Chopra, Special Correspondence patriot Chandigarh	Do
93	Shri G.D. Malik, Secretary to Governor, Haryana	Do
94	Shri A.D. Kaushal Judge, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh	Do
95	Dr. S.R. Issar, Moh. Rampura, Hissar	Fiat

96	Shri Mann Singh, village Punjan, P. 0. Nilokheri	Do
97	Shri Girdhari Lal Jain, 27 Race Course Road, Ambala	Do
98.	Capt. S.S. K. Raheja, A.D.C. to Governor, Haryana Raj Bhavan, Chandigarh	Do
99	Shri S. P. Duggal, Senior Divisional Manager, c/o Life Insurance Corporation of India, Rani Bhavan, 2nd Floor, 8-A Nehru Ground, N.I. T. Faridabad	Do
100	Mr. Parkash Chander wife of Late Capt. R.K. Chahar, Raj Riff, Higher Secondary School, Delhi Cantt.	Do
101	Major S.S. Ahlawat, Military Secretary to Governor, Raj, Bhawan, Haryana, Chandigarh	Do
102	ShriB.N. Goswami Prof. & Head of Department, Fine Arts, Punjab University, Chandigarh	Do
103	Shri Raj Gambhir, Indian Oil Corporation Post Box No. 91, 301, Sector 9-D, Chandigarh	Do
104	Shri Prem Sukhdas, M.L.A., C/o M.L.A's Flat Haryana, Chandigarh	Do

105	Smt. Kaushalya Mann, Randhir Lane, Karnal	Do
106	Dr. DC. Sarkar, Head of Law Department, Kurukshetra University,Kurukshetra	Do
1J7	Mr. Justice H.R. Sodhi, Punjab and Haryana, High Court, Chandigarh	Do
108	Shri Maharaj Singh, Advocate, Ambala City	Do
109	Minor Irrigation (Tubewells) Corporation, Chandigarh	Ambassador
110	Shri Bhagwan Dass M.L.A. Ambala City	Do
111	Shri Kanwar Anup Singh, Advocate, Sonepat	Do
112	Swami Ganesha Nand, Bhupinder Bhavan, Pahar Ganj, New Delhi	Do
113	General Manager, Panipat Co-operative Sugar Mills, Ltd., Panipat	Do
114	Shri Gurdit Singh, Chairman, Zila Parishad, Gurgaon	Ambassador
115	Vice-Chairman, Board of School Education Haryana, Chandigarh	Do
116	Shri Partap Singh c/o The Instalment Supply (P) Ltd., 46,	Do

	Ganpat Road, New-Delhi	
117	Smt. Kiran Aggarwal, I.A.S.,Haryana Civil Secretariat, Chandigarh	Do
118	Shri Bahl Singh Malik,Advocate,H.No. 746 Sector22-A Chandigarh	Do
119	Shri Ganga Parshad Sharma, Head Master, G.B.C. High and Basic Training School, Rohtak	Do
120	Shri Harcharan Singh, Chairman Panchayat Samiti Kundli, Fatehpur, District Karnal,	Do
121	Shri P.C. Seth, Chairman, Improvement Trust, Panipat	Do
122	Shri Rajinder Singh, V. & P.O. Tohana, District Hissar	Do
123	Shri Joginder Singh, M.L.A., M.L.A's Hostel Chandi-garh	Do
124	Shri Premjit Singh, 3374, Sector 15-D, Chandigarh	Do
125	Karnal Card Board, Industries, Karnal	Do
126	Haryana Agricultural University, Hissar	Do

127	Haryana Agro-Industries Corporation Ltd., Sector 9-A, Chandigarh	Do
128	Haryana State Co-operative Land Mortgage Ltd., Chandigarh	Do
129	Haryana Khadi & Village Industries Board Chandigarh	Do
130	Haryana State Electricity Board, Chandigarh	Do
131	Haryana State Electricity Board , Chandigarh	Do
132	Smt. Kamlla Dhall, Department of O.B.S.T.E. Trics and Gynacology Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh	Fiat
133	Shri Chanda Singh, M.L.A. Village Bhutana, P.O. Nilokheri	Do
134	Shri Dalip Singh D.I.G., C.I.D. Haryana Chandigarh	Fiat
135	Dr. Mangal Sein, M.L.A., Rohtak	Do
136	Shri Paras Ram Arya, Village Kheri Bura, Tehsil Charkhi Dadri, District Mohindergarh	Do
137	Shri Saroop Krishen, I.C.S., Chief Secretary to Government, Haryana, Chandigarh	Do

138	Shri Banwari Lal, 44-A, Kamla Nagar, New Delhi-7	Do
139	Shri Balant Singh, village Smkhalki, teh. Thanesar, district karnal	Ambassador
140	Smt. Vijay Kumari, d/o Late Lal Duni Chand, Advocate Kirpa Niwas Cottage, Ambala City	Do
141	Shri Banarsi Dass, M.L.A., Vijay Nagar, Bhiwani, District Hissar	Do
142	Haryana State Minor Irrigation (Tubewells) Corporation, Chandigarh	Do
143	Shri Des Raj, Uchana Mandi, District Jind	Do
144	Smt. Inder Mohini Gupta, 6-J-7/Sector 24, Chandigarh (Standard)	Standard
145	Smt. Parsani Devi, M.L.A., Chandigarh	Fiat
146	Shri Hem Raj Singh, M.L.A., Hathin	Do
147	Chairman, Zila Parishad, Hissar	Ambassador
148	Smt.Kailash Wati, d/o Late Kidar Nath, c/o Dr. Rameshwar Dass, M.L.A., Jagadhri	Do
149	Haryana State Industrial Development	Do

Corporation, Ltd., Chandigarh.

List of parsons who were allotted Scooters by the Chief Minister oat of his discretionary Quota from May 1968 to date

Serial No.	Name & Address	Make of Scooter
1	Shri R. S. Mehta, Commissioner of Income-Tax, Patiala	Vespa
2	Shri R. C. Mehtani, Steno to Chief Minister, Haryana	Do
3	Shri M. M. Sood, Private Secretary to Chief Minister, Haryana	Do
4	Shri F. C. Vij, M.L.A., Panipat	Do
5	Shri J. S. Hooda, 65, Sector 16-A, Chandigarh	Do
6	Shri Jai Narain Vashisht, Advocate, 25 MLA's Flat, Chandigarh	Do
7	Shri Ram Dhari Balmiki, ex.MLA, V.&P.O. Kathura, Teh. Gohana, District Rohtak	Do
8	Shri Suraj Bhan Goel, Sher Singh Bhawan, M.C. Colony, Hissar	Do
9	Shri Ram Swarup, L.0.-cum-C.O., Faridabad	Do

10	Shri Piara Singh, M.L.A., Pehowa	Do
11	Shri A.S. Parasher, Staff Reporter, P.T.I., 1659, Sector 22-B, Chandigarh	Lanibetta
12	. Shri Kashmiri Lal, S.A. to Finance Minister, Haryana	Do
13	Agent Allahabad Bank, Chandigarh	Do
14	Shri 0. P. Bhardwaj, Chandigarh	Do
15	Shri Maharaj Nath, Private Secretary, I.P.M., Haryana	Do
16	Shri B. L. Gobha, Asstt. C.M. Sectt., Chandigarh	Do
17	Shri partap Singh, I.A.S., S.D.O. Civil Hansi (Hissar)	Do
18	Shri R. D. Shastri, Industries Colony, Sonepat	Do
19	Slid S. N. Kant, A.S.O., Civil Sectt., Chandigarh	Do
20	Shri Manmohan Sharma, Sarswati Industries, Mahesh Nagar, Ambala Cantt.	Vespa
21	Shri Prabhu Singh, M.L.A., V. Kishanpura, P.O. Khizara- bad,. Teh. Chachhrauli, District Ambala	Vespa
22	Shri Malik Chand Ghambhir, M.L.A., Model Town, Yanunanagar	Do
23	Shri Ram Parkash, M.L.A., V&P.O. Adhoya District Ambala	Do

24	Shri Madan Mohan Lal, Office Secretary, H.P.C.C., Chandigarh	Do
25	Shri Bhagwat Rai, c/o Shri Gobind Rai Batra, ex-MLA, Fatehabad	Do
26	Shri Prem Sukhdas, M.L.A., Sirsa	Do
27	Shri Avinash Chander, 1051, Sector 8C, Chandigarh	Do
28	Shri Om Parkash Goel, c/o Chandu Lal Jain, Jain Narain	Do
	Tosham (Hissar)	
29	Shri Rajesh Chhabra, s/o, Shri P. D. Chhabra, I.A.S•, P.T.C., Haryana, Chandigarh	Do
30	Shri Prem Dutt Mahendra, Chandigarh	Do
31	Shri Kartar Singh, MLA, Panipat	Lambretta
32	Shri Narotam Parkash, c/o Shri R. S. Miittal, MLA, Narnaul	Do
33	Shri W. C. Didi, Asstt. Director, Hospitality Org., Haryana, Chandigarh	Do
34	Shri Sukhbir Singh, V.&P.O. Daulatpur, Distt. Hissar	Do
35	Dr. A. S. Rathi, Senior Lecturer in Surgery Medical College, Rohtak	Do

36	Shri N. S. Raol, Special Distt. Attorney, c/o Legal Remem- brancer, Haryana, Chandigarh	Do
37	Shri Jagdish Mittar, Supdt., P.W.D., B&R Haryana Chandigarh	Do
38	Shri Dalbir Singh, Staff Correspondent Patriot, Chandigarh	Do
39	Mrs. S. Chaudhry, Hostel Warden, Govt. College for Women Chandigarh	Do
40	Shri Bhagwan Dass Sehgal, M.L.A., Ambala Cantt.	Lambretta
41	Miss Veena Malik, Asstt. Architect. Department of Architecture, Haryana, Chandigarh	Vespa
42	Shri Hari Singh Saini, M.L.A., Hansi	Do
43	Shri Rajinder Singh, M.L.A., Sonepat	Do
44	Shri B. L. Passi, Pasco Motors, 5, Industrial Area, Chandigarh	Do
45	Shri Har Krishan Lal, MLA, Sirsa	Do
46	Shri R. L. Malhotra, P.S. to C.M. Haryana, Chandigarh	Do
47	Shri K. L. Mahandirata, 77, Sector 23A, Chandigarh	Do
48	Shri Bharat Bhushan, 240-R, Model Town, Karnal	Do

49	Shri R. K. Sood, PA to Principal Secretary to Chief Minister. Haryana, Chandigarh	Do
50	Capt. Partap Singh, son of Shri Ranbir Singh, MLA, Rohtak	Do
51	Shri Chander Singh Dalal , Advocate, Rohtak	Lambretta
52	Shri Harbans Singh, DSP, CID, Haryana, Chandigarh	Do
53	Shri Gobinder Singh Sandhu, Advocate, Ambala City	Do
54	Shri Kapoor Singh, Lecturer in Botany, Government College, Rohtak	Do
55	Shri Prithvi Singh, Mohalla Kot, Karnal	Do
56	Shri Kulbhushan Lal Kher, 3, Sector 5, Chandigarh	Do
57	Shri Dharam Pal Singh Malik, AE Civil, Haryana State Electricity Board, Faridabad	Do
58	Shri Shashi Bhushan, 1271, Sector 8-C, Chandigarh	Do
59	Shri R. R. Sharma, General Manager, The Tribune, Ambala Cantt.	Do
60	Shri M.L. Kumar, A-In-C-CM. Sectt. Hr., Chandigarh	Do
61	Shri Prem Chand Mittal, C/o M/s Om Parkash-	Vespa

	Prem Parkash Garg, Flour Mill, Laddwa	
62	Shri Nand Kishore Goel, c/o Lala Ramwhwar Dass, near Police Station, Ladwa	Vespa
63	Shri Pokhar Ram, M.L.A.,, Vill. Nimbi., Teh. Fatehabad Hissar)	Do
64	Shri Daya Krishan, M.L.A., Jind	Do
65	Shri Balbir Singh Lamba, Vice Chairman Zila Parishad, Hissar	Do
66	Shri Charan Pal Singh, V.&P.O. Jakhauli, Distt. Rohtak	Do
67	Dr. Mangal Sein, MLA, Rohtak	Do
68	Shri Balbir Singh, HCS, Administrator Municipal Committee, Hissar	Do
69	Shri Vishwa Nath Shashtri, Faridabad	Do
70	Shri Kuldip Singh Dhindsa, Research Scholar, Department of Chemistry, Punjab University, Chandigarh	Do
71	Shri Brij Bhushan Narula, c/o Shri Gowardhan Dass, M.L.A., Hissar	Lambretta
72	Shri Kanwal Nain, Steno to PTC, Haryana Chandigarh	Do
73	Shri Satya Pal Goel, Kurukshetra	Do

74	Shri K. L. Luthra, Auditor Public Opinion Faridabad	Do
75	Shri Dharam Pal Garg. Partner, Punjab Sales Corp. Faridabad	Do
76	Shri Lov Dev, 1615, Sector 23-B, Chandigarh	Do
77	Shri Randhir Singh, M.L.A. Advocate Adarsh Nagar, Karnal	Do
78	Shri S. Lal, State Org. Moral & Social Hygiene in India, 123, Sector 18-C, Chandigarh	Do
79	Shri Bhushan Kumar Marwa, 542, Sector 16-D, Chandigarh	Do
80	Shri Bhagwan Dass, M.L.A., Ambala	Do
81	Kumari Baljit Sahni, Clerk, State Bank of India, Chandigarh	Vespa
82	Shri Iswar Singh, M.L.A., Karnal	Do
83	Shri Fateh Chand Vij. M.L.A., Panipat	Vespa
84	Shri Mohinder Kumar, Chandigarh	Do
85	Shri L.R. Dhingra, I.T.O., Patiala	Do
86	Shri Brij Bhushan Lal Narula, Hissar	Do
87	Shri Ranbir Singh c/o Shri Ran Singh Sarpanch Daulat Pur, District Hissar	Do
88	Dr. Kumari Jagjit Sethi, Civil Hospital, Rewari	Do

89	Shri Puran Chand, J.L.R. , Haryana, Chandigarh	Do
90	Dr. D.T. Sharma, 245, Model Town, Hissar	Do
91	Shri/Dr. Shashi Kant Ahuja, Chandigarh	Lambretta
92	Shri Chuni Lal Amba, Haryana Pradesh Congress Committee Chandigarh	Do
93	Shri Surinder Kumar Gupta, 43, Sector 8-A, Chandigarh.	Do
94	Shri Gujar Mal office of Income Tax Commissioner, Patiala	Do
95	Shri M.L. Kaul, Press Reporter, Hindustan Samachar, Chandigarh	Do
96	Shri P.L. Seth, Nay Bharat Times Correspondent, 3814,	Do
	Sector 22-B, Chandigarh	
97	Shri Om Parkash Mahant, Secretary to Finance Minister Haryana, Chandigarh	Do
98	Shri Rao Ram Jiwan Singh, M.L.A., Pataudi, District Grurgaon	Do
99	Shri Kulbir Singh, Advocate, Hissar	Do
100	Shri B.L. Puri, Steno to Secretary to Government Haryana Agriculture Department, Chandigarh	
101	Shri Ravi Kumar, son of Shri J.D. Sharma, I.A.S.	Vespa

	Director	
	Food & Civil Supplies, Haryana, Chandigarh	
102	Shri Prem Chand Mittal, Paper Board Co, Chauri Bazar, Delhi	Do
103	Shri L.C. Kajla, 225, Dhola Koona, New Delhi•	Do
104	Shri Nathu Ram Goel, c/o Shri Ram Krishan Gupta, M.P., New Delhi	Do
105	Shrimati Suman Kanta, Daughter of Chandgi Ram, 1205 Sector 8-C, Chandigarh	Vespa
106	Shri Bhupinder Singh son of Ranbir Singh M.L.A. Model Town Rohtak	Do
107	Shri Surinder Kumar son of Munshi Ram Dy. Commissioner Gurgaon	Do
108	Shri Rajinder Singh son of Smt. Sharda Rani , M.L.A.,	Do
	Flat 39, Sector 3, Chandigarh	
109	Shri Kartar Singh, M.L.A, M.L.As.' Hostel, Chandigarh..	Do
110	Shri Madan Lal Bansal, Hansi, District Hissar	Do
111	Shri Rajnish Gupta, c/o Shri S.P. Kalra 56 , Sector 7-A, Lamb tett a	
	Chandigarh	

112	Shri O.P. Sondhi, P.A. to Irrigation & Power Minister, Haryana, Chandigarh	Do
113	Shri Siri Chand, D.D. &.P.O. Jind..	Do
114	Shri/Supdt. Incharge Cafeteria, Budhkal Lake Hospitality Org. Haryana, Chandigarh	Do
115	Shri E.D.H. Khan, Resident Assistant Haryana Civil Sectt. Chandigarh	Do
116	Shri Chaman Lal, Senior Accountant, P.T.C. Office, Haryana Chandigarh	Do
117	Shri Kanshi Ram Advocate, Sirsa	Do
118	Shri Rishal Singh son of Shri Sikandar Singh Zimilary, Tohana	Do
119	Shri Ranjit Kumar Bhardwaj, Steno to Advocate General	Do
	Haryana, Chandigarh	
120	Shri M.L. Bansal, S.D.O. Irrigation, Haryana Alipur Road,	Do
	Delhi-6	
121	Shri Om Parkash Garg, M.L.A., Ladwa..	Vespa
122	Shri H.N. Mehtani, Asstt. Advocate General, Haryana, Chandigarh	Do
123	Capt. Sajjan Kumar Kaushik, Officiating Officer Commanding, 8-Haryana Battalion, N.C.C.	Do

	Rewari	
124	Shri Ramesh Kapila, Staff Correspondent, U.N.I, 1934, Sector 22-A, Chandigarh	Vespa
125	Shri Ram Phal Singh, B.D.O., Tosham, Teh, Bhiwani	Do
126	Shri Hem Raj, M.L.A., Athin, District Gurgaon	Do
127	Shri L.K Bakshi, Tourist Officer, Delhi,	Do
128	Shri Sultan Singh, ex-M.L.C. Rohtak	Do
129	Shri Chander Bhan, Advocate, Sonepat	Do
130	Shri/Miss Chander Prabha, c/o Shri Maru Singh M.L.A.,, Rohtak	Do
131	Shri M.R. Vermani, Special Correspondent, United News of India, Sector 22-B, Chandigarh	Do
132	Shri R.S. Alakh, Income Tax Officer, Patiala	Do
133	Shri Mahabir Parshad, Private Secretary to Chief Minister,	Do
	Haryana, Chandigarh	
134	Shri O.P.Datta, Press Correspondent, 367, Model Town, Yamuna Nagar	Do
135	Shri R.C. Mehtani, 1172, Sector 23-B, Chandigarh	Do
136	Shri Kanwar Singh Dehiya, M.L.A., Sehri	Do

137	Shri Satya Dev Sharma, P.A. to Chief Minister, Haryana, Chandigarh	Do
138	Smt. Ranu Nagar, 24, New Colony, Gurgaon	Do
139	Shri Rajinder Nath Mathur, Private Secretary Haryana, Chandigarh	Do
140	Shri Om Parkash, Advocate,'Jhajjar	Do
141	Shri Chander Singh, Advocate, Hissar	Do
142	Shri Kishori Lal, s/o Shri Soe Ram, V&PO Rajpur, Teh. Sonepat	Do
143	Shri Sukhbir Singh c/o Shri Dalip Singh, I.P.S.S. Deputy Inspector-General of Police C.I.D., Haryana, Chandigarh	Do
144	Shri Zile Singh Dahiya, S.D.O, O.P.S/D No. 3, Haryana	Lambretta
	State Electricity Board, Hissar	
145	Shri Savan Ram. Chaudhry, ex-Municipal Commissioner Sohna, Gurgaon	Lambretta
146	Shri Paras Ram Arya, Village Bura Khera, Tehsil Charkhi Dadri ,District Mohindergarh	Do
147	Shri Vijay Kumar, H. No. 834 Sector 10-A, Chandigarh	Do
148	Shri Rabinder Nath, Reporter, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh	Do

149	Shri Bal Krishan, Sharma, c/o Shri Rain Dhari Gaur, M.L.A., Flat, No. 17, Chandigarh	Do
150	Shri Vimal Khanna, H. No. 2545, Sector 22-C Chandigarh	Do
151	Slid Jai Singh Phut Deputy Director Agriculture, Karnal	Do
152	Shri Babu Ram, P.A. to Secretary to Government, Haryana	Do
	EDUCATION DEPARTMENT, Chandigarh	
153	Shri Lakhman Dass Chawdhry, Supdt. Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh	Do
154	Shr Narinder Singh Lamba, Chairman, Land Mortgage Cooperative Bank, Bhiwani	Vespa
155	Shri Sham Kumar, Prem Bhawan, Gurgaon	Do
156	Shri Ram Krishan Senior Vice-President, Municiapl Coin- mit tee, Patti pat	Do
157	Shri Nunia Mal, President Mandal Congress Committee Hansi	Do
158	Shri Mohinder Singh Kamboj, Advocate, Sirsa	Do
159	Shri Sohan Singh Advocate, Shahbad	Do
160	Shri Mann Singh, Chairman Panchayat Samiti, Tosham (Hissar)	Do

161	Shri Vijay Kumar Income Tax Officer, Sector 19-B, Chandigarh	Do
162	Lt. Col. H.P. Singh, Member Subordinate Services Selection Board, Chandigarh	Do
163	Shri Dilawar Singh, Village Alakhpur, P.O. Sivana, District Hissar	Do
164	Shri Nihal Singh, Cashier, Haryana State Electricty Board, Chandigarh	Vespa
165	Shri S.P. Sachdev, C/o M/s Ram Lal Krishan Rai, Indian Oil Agents, Sirsa	Do
166	Shri Vas Dev Saluja, Ex-Vice-President, Municipal Committee, Faridabad	Do
167	Shri Alakhdhari, H.C.S., Secretary, Haryana Khadi and Industries Board, Chandigarh	Do
168	Shri Amrit Lal, 1565, Sector 18-D, Chandigarh	Do
169	Ch. Kali Ram, President, Primary Co-operative Land Mortgage, Ltd., Hansi	Do
170	Shri Mange Ram, 1044, Sector 23-B, Chandigarh	Do
171	Lt. Col. Shiv Karan Singh, Officer Commanding 8, Haryana Battalion, Rewari (N.C.C.)	Do
172	Dr. B. D. Narang, State Public Analyst, Sector 11, Chandigarh	Do
173	Shri Brij Mohan, C/o Shri Ram Dhari Gaur,	Do

	M.L.A., Hostel No. 2, Chandigarh	
174	Shri Smer Johr, c/o Shri V. P. Johr, Secy. to Govt. Haryana, Food & Supplies Department, Chandigarh	Do
175	Shri Karan Singh, son of Shri Baru Singh, V. Pattai Kalyanas, Teh. Panipat, Distt. Karnal	Do
176	Shri Chandan Singh Sahrawat, Advocate, Gurgaon	Do
177	Dr. S. Dayal, Deptt. of Law, Punjab University, Chandigarh	Do
178	Shri M.A. Narain, Distt. Operating Manager, Good Year India Ltd., Ballabgarh, Haryana	Do
179	Shri Sansar Chand Kochhar, C/o Jainko Industries, Spatoo Road, Ambala City	Do
180	Shri Badri Nath Duggal, 711/8-F, Sector 7-B, Chandigarh	Do
181	Shri L. M. Pino, Stenographer, D.I.G., C.I.D., Haryana Chandigarh.	Do
182	Shri V. B. Singh, Flying Officer, G.I. (P) No. 12, Wing, Air force Station, Chandigarh	Do
183	Shri Surinder Kumar, son of Shri Ram Parkash, Parliamentary Secretary, Revenue, Haryana, Chandigarh	Vespa

184	Shri Panna Lal Sharma, Supdt., Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh	Do
185	Shri C. D. Narula, Accounts Officer, Food & Supplies, Department, Haryana, Chandigarh	Do
186	Shri Sukhdev Singh, Tribune Correspondent, 224, Sector 22-A, Chandigarh	Do
187	Shri Ram Dhan, son of Shri Atma Ram, V. Khatgarh,	Do
	Teh. Jagadhri	
188	Mohd. Ismil Khan, M.Sc., LL.B., Advocate Nagina, Tehsil Ferozepur Jhirka	Do
189	Shri Ram Krishen Gupta, Acctt., Haryana. Pradesh	Do
	Congress, Committee, Sector 9-B, Chandigarh	
190	Shri Chuni Lal Sobti, 629, Sector 7-B, Chandigarh Raj Bhavan Store, Chandigarh	Do
191	Shri Lal Chand, H. No. 3622, Sector 23-C, Chandigarh	Lambretta
192	Shri S. S. Boprai, Panjab University, Chandigarh	Do
193	Shri R. P. Kesri, Dy. Director, Field 0/0 Director, Public Relations, Haryana, Chandigarh	Do
194	Shri Madan Mohan Sood, Private Secretary, Chief Minister, Haryana, Chandigarh	Do

195	Shri Prithi Singh, Line Supdt., Jhajjar Construction Sub-Division, Rohtak	Do
196	Shri Mangal Singh, Sectional Officer, Labour Haryana Civil Sectt. , Chandigarh	Do
197	Shri Banu Ram Gupta, Proprieter Engineering Works, G.T. Road, Shahbad, Markanda	Do
198	Shri Ram Singh Bawni, Member Subordinate Services	Do
	Selection Board, Haryana, Chandigarh	
199	Shri Ram Singh, HCS, SDM, Panipat	Do
200	Shri Sat Ram Dass Batra, M.L.A., Kalanaur	Do
201	Shri Hardwari Lal, Contractor, Near Canal Colony, P.O. Fatehabad, District Hissar	Vespa
202	Shri Lokesh Kaushal, son of Shri Jagan Nath Kaushal, Advocate-General, Haryana, Chandigarh	Do
203	Shri Brij Mohan, H. No. 10526/6, Ambala City	.Do
204	Shri Surinder Pal Uppal, 168, Sector 19-A, Chandigarh	Lambretta
205	Shri Bhajan Lal Vohra, Chairman, Yamuna Nagar, Improvement Trust, Yamuna Nagar	Do
206	Shri M. M. Gupta, Chief Optical Surgeon, Kanshi Ram Free Eye Hospital, Bhiwani	Do

207	Shri Ram Kumar Gupta, Asstt. Legal Remembrancer, Law and Legislative Department, Chandigarh	Do
208	Shri N. C. Vashishta, HCS, Land Acquisition Officer, Chandigarh Admn., Chandigarh	Do
209	Shri Mohinder Singh, son of Shri Tika Ram, Tehsildar, Karnal	Do

List of M.L.As who have not been allotted ears out of Chief Minister, Haryana's discretionary quota from May, 1968 to-date

Serial No.	Name & Address
1	Shri S. P. Jaiswal, M.L.A„ Karnal
2	Shri Roop Lal Mehta, M.L.A., Palwal
3	Shri Rao Ram-Jiwan Singh, M.L.A. Haily Mandi (Pataudi)
4	Shri Partap Singh, M.L.A., Daulatpur (Hissar).
5	Shri Chand Ram, M.L.A.
6	Shri Narain Singh, M.L.A.

STATEMENT ANNEXURE (A)

Serial No.	Names of the teachers suspended and place of posting	Details of offences for which they were suspended	The authorities who suspended them
1	2	3	4
	DISTRICT AMBALA		
	(Men Teachers)		
1	Shri Jaswant Singh, G.P.S., Dhanana	Arrested in a criminal case	Distt. Education Officer, Ambala
2	Shri Babu Ram, Tr., G.H.S., Kharwan	Ditto	Ditto
3	Shri Amrit Lal, Tr., G.M.S., Ganeshpur	Political Approach for posting	Ditto
4	Shri Gian Singh, Tr., G.H.S., Kot Kalsia	For lodging false cornplaint against the officers	Ditto
5	Shri Khilla Nand, Tr., G.P.S., Baruna	The school found closed before time at the time of	Ditto

		visit of P.S.E.	
6	Shri Dina Nath, Tr., G.P.S., Baruna	Ditto	Ditto
7	Shri Ranhodh Singh, Tr., G.P.S., Baruna	Absent at the time of the visit of P.S.E.	Ditto
8	Shri Kehar Singh, Tr., G.H.S. Rasul Pur	The school was found closed at the time of the visit of the D.P.I.	Ditto
9	Shri Balbir Singh, Tr., G.H.S., Saran	Found absent from school	Ditto
10	Shri Balwant Singh, Tr., G.H.S., Hamid Pur	Moral Turpitude	Ditto
11	Shri Shiv Kumar, Tr., G.M.S., Handel Pur	Ditto	Ditto
12	Shri Darshan Lal, Tr., G.H.S., Pathreri	Moral Turpitude	Distt. Education Officer, Ambala
13	Shri Hari Krishan, Tr., G.H.S., Pathreri	Ditto	Ditto
14	Shri Shiri Krishan, Tr., (Shastri), G.H.S., Dhean	For exciting boys during agitation	Ditto

		for Chandigarh	
15	Shri Sadhu Singh, Tr., G.H.S., Dhean	Arrested in criminal case	Ditto
16	Shri Jai Kumar, Tr., G.H.S., Dheen	Ditto	Ditto
17	Suit. Padma Vati, G.H.S., Panchkula	The leave of a teach ress not entered in the record	Ditto
18	Snit. Santosh, G.P.S., Dhurkhra	Absent at the time of visit of P.S.E.	Ditto
19	Suit. Phul Wati, G.P.S., Haveli	Ditto	Ditto
20	Sint. Sukhchain Lata, G.P.S., Haveli	Ditto	Ditto
21	Smt. Subhash Kumari, G.P.S., Rasulpur	The School was found closed at the time of visit of D.P.I.	Ditto
22	Smt. Shanta Bakhsi, G.P.S., Mianpur	Found absent from School	Ditto

2. GURGAON DISTRICT

(Non-Teahers)

23	Shri Ram, G.P.S., Garkhera	Arrested by Police	District Education Officer, Gurgaon
24	Shri Parkash Vir, G.P.S., Rakhauta	Ditto	Ditto
25	Shri Lajja Ram, G.M.S., Asawata	Direct correspondence with C.M.	Ditto
26	Shri Deep Chand, G.H.S., Tigaon	Arrested by Police	District Education Officer Gurgaon
27	Shri Om Parkash, G.M.S.,Likhi	Misconduct	Ditto
28	Shri Nawal Singh, G.P.S. Behlapa	Absence from duty .	Ditto-
29	Shri Ramesh Chand, G.P.S., Behlapa	Ditto	Ditto
30	Shri Tek Chand, G.M.S., Badshahpur	He kept the leave application of another teacher with malafide intention. Absence from duty	Ditto

31	Shri Ramesh Chander, G.H.S.S., Gurgaon	Absence from duty	Ditto
32	Shri Bhim Singh, G.P.S., Ratti Fur	Moral Turpitude	Ditto
33	Shri Mani Chand, G.P.S., Kalsada Bhagroli Jogi	Ditto	Ditto
34	Shri Ishwar Chand, G.P.S., Sidhra.Wali	Burnt Bus in agitation for Chandigarh	Ditto
35	Shri Balwant Singh, G.H.S., Manesar	Ditto	Ditto
36	Shri Rup Chand, G.M.S., Manesar	Ditto	Ditto
37	Randhir Singh, G.M.S., Darauli	Participation in Teachers agitation	Ditto
38	Shri Om Parkash, G.M.S. Mundi	Ditto	Ditto
39	Shri Jai Dayal, G.M.S., Silana	Ditto	Ditto
40	Shri Ashok Kumar, G.M.S. Dhamuj Alipur	Ditto	Ditto
41	Shri Mani Ram, G.M.S., Barauli	Participation in teachers' agitation	District Education officer

			Gurgaon
42	Shri Hajari Lal, G.H.S.S., Gurgaon	Ditto	Ditto
43	Shri Deep Chand, G.H.S., Bnchari	Ditto	Ditto
44	Shit Phool Chand, G.H.S., Sohna	Ditto	Ditto
45	Shi Ram Chand, G.M.S., Turki wad	Ditto	Ditto
46	Shri Rohta Singh, G.M.S., Ramgarh	Arrested by Police	Ditto
47	Shri Mohan Singh, G.P.S., Bhainsar wali	For beating Headmaster of the School	Ditto
48	Shri Durga Datt, G.H.S., K hambi	For creating indiscipline	Ditto
	(Lady Teachers)		
49	Sint. Kanta Kumari, G.M.S., Pithrawas	Participation in teachers' agitation	Ditto
50	Smt. Sumitra Devi, G.M.S., Pithrawas	Ditto	Ditto

3. MOHINDERGARH DISTRICT

	(Men Teachers)		
	Sarvshri-		
51	Ami Lal, G.P.S. Mehrana	Arrested by Police under section 380 I.P.C.	District Education Officer, Monindergarh
52	Rajender Kumar, G.P.S.	Nangal Kahia Arrested by Police	Ditto
53	Ram Avtar, G.M.S., Jhinjer	Arrested by Police under section 332/356, 147/ 149, 182/506 I.P.C.	Ditto
54	Bhagwan Singh, G.H.S., Manheru	Arrested by Police Under section 302 307 I.P.C.	Ditto
55	Ram Kisnan G.H.S., Pali ..	Direct approach to C.M.	Ditto
56	Hanooman Singh, G.P.S., Sarohi Bayal	Arrested b y Police under section 332/353/ 526 I.P.C.	Ditto
57	Rameshwar Datt, G.H.S., Sarohi Bihali	For not joining duty 'at the new station of his	Ditto

		transfer	
58	Bansi Ram, G.P.S., Chhilri	Arrested by Police under Opium Act of 9/1/78	Ditto
59	Kidar Singh, G.M.S., Darauli Ahir	For awarding corporal punishment to the students	Ditto
60	Reshmi Chander, G.H.S. Bawania	Misbehaviour	Ditto
61	Sudershan Kumar,G.P.S., Mai	Absence from duty	Ditto
62	Daya Ram, G.P.S. Rampura	Ditto	Ditto
63	Hari Ram, G.P.S., Mulaudi	Absence from duty and creating of indiscipline in the Block	Ditto
64	Amar Singh, G.M.S., Lad	Making alterations in official record	Ditto
65	Dharam Pal, G.M.S., Lad	Ditto	Ditto
66	Budh Ram, G.P.S., Datauli	Absence from duty	Ditto
67	Randhir Singh G..H.S.,	For beating the	Ditto

	Lokhi	School Clerk	
68	Mohan Lal, G.M.S., R iwasa	Misuse of Govt. money	Ditto
69	Yadvinder Singh; G.P.S., Mani Bhatota	Misconduct	Ditto
70	Jai Kishan, G.M.S., Sihna	Misconduct, doubtful character	Ditto
71	Ram Chander, G.M.S., Neemri Wali	Absence from Duty	Ditto
72	N ihal Singh, G.M.S.,Baund	Particuipation in activities against Govt.	Ditto
73	Rameshwar Datt, G.H.S., Imlota	Ditto	Ditto
74	Sube Singh, G.H.S., Nawaj Nagar	Ditto	Ditto
75	Dharam Vir, G.M.S., Sanga	Ditto	Ditto
76	Reshmi Chander, G.H.S., Bawania	Ditto	Ditto
77	Satya Narain, G.M.S., Sanga	Ditto	Ditto
78	Harpal Singh, G.M.S.,	Ditto	Ditto

	Sanga		
79	Sugriv Singh, G.M.S., Sanga	Ditto	Ditto
80	Raja Ram, G.M.S., Sanga	Ditto	Ditto
81	Zila Singh, G.M.S. Sanga	Ditto	Ditto
82	Mange Ram, G.M.S. Sanga	Ditto	Ditto
83	Niranan Lal, G.M.S., Sanga	Participation in activities against Government	Ditto
84	Chandgi Ram, G.P.S., Behla Kalan	Misbehaviour	Ditto
85	Shamsher Singh, G.P.S., Kakdoli Hatti	Absence from duty	Ditto
86	Lachhman Dass, G.H.S., Baund	Arrested by Police under Excise Act 67/1/24	Ditto
	(Lady Teachers)		
87	Smt. Dhanpati Devi, G.G.H.S., Mohindergarh	Misconduct	Ditto

4. JIND DISTRICT

(Men Teachers)

Sarvshri.—

88	Banarsi Dass, G.P.S. Bagkhera	Theft of Milk Powder	District Education Officer, Jind
89	Balbir Singh, G.P.S., Ram Nagar	Ditto	Ditto
90	Kishori Lal, G.M.S., Kharar	Embezzlement of Govt. money.	Ditto
91	Ripu Daman, G .H.S., Gharwali	Participation in agitation for Chandigarh.	Ditto
92	Inder Singh, G.H.S., Kurar	Ditto	Ditto
93	Nathu Ram, G.H.S.S. Jind	Ditto	Ditto
94	Fateh Singh, G.H.S., Gharwali	He staged Dharna at the residence of M.L.A.	Ditto
95	Sat Parkash, G.P.S., Ramgarh	Ditto	Ditto
96	Tara Chand, G.H.S., Shamlo Kalan	Ditto	Ditto
97	Om Parkash, G.H.S., Uchana Kalan	He staged Dharna at the residence of M.L.A.	District Education Officer, Jind
98	Satya Bhushan Lal, G.H.S., Narwana	Ditto	Ditto

99	Prem Chand Sharma, G.H.S.S., Safidon	Ditto	Ditto
100	Bhagwan Dass, G.P.S., Jeet Garh	Ditto	Ditto
101	Anant Ram, G.H.S.S., Safidon	Ditto	Ditto
102	Bhanu Ram, G.P.S., Sedha Majra	Arrested by the Police under section 302/148/ 149/I.P.C.	Ditto
103	Smt. Lila Wati, G.P.S. Locoshed	Staged Dharna at the residence of M.L.A s.	Ditto
104	Smt. Lilawati, Tr., G.P.S., Locoshed	Embezzlement of Building Fund C.S.M. Atta and absence from duty.	Ditto

HISSAR DISTRICT

(Men Teachers)

Sarvshri.—

105	Inderraj Singh , P.T.I. G.H.S., Chautaha	Embezzlement of Govt. money and presenting bogus certificate of	District Education Officer,

		Middle Standard Examination.	Hissar
106	Daulat Ram, G.H.S., Chautala	Arrested by Police under section 409 I.P.C.	Ditto
107	Hari Chand, G.P.S., Bhiwani Khera	Arrested by Police in connection with gambling.	Ditto
108	Birbal Dass, G.P.S., Laharu	Arrested by Police under section 379 I.P.C.	Ditto
109	Begh Raj, G. P.S., Laharu	Ditto	Ditto
110	Rameshwar Dass, G.M.S., Khar kara	Arrested by Police in connection with theft of School children milk	Ditto
111	Ved Parkash,G.M.S., Hazampur	Arrested by Police under section 409 and 467 IPC	Ditto
112	Harmel Singh. G.P.S., Neema Wali	Arrested by Police under section 363 IPC	Ditto
113	Om Parkash, G.M.S., Ratauda	Negligence of duty	Ditto

114	Satya Vrat, G.G.M.S., Ladwa	Ditto	Ditto
115	Rati, Ram, G.P.S., Sultanpur	Ditto	Ditto
116	Hoshiar Singh, G.M.S., Rampura Dillan	Embezzlement of funds collected from Public and absence from duty	Ditto
117	Sajan Singh, G.M,S„ Laharui, Jatu	Neglience of duty and absence from school and drinking of wine	Ditto
118	Budh Ram,G.M.S., Jamalpur Shekhan	Neghigence of duty, quarrelling and misconduct	Ditto
119	Shori Lal, G.M.S., Sahu .	Negligence of duty	Ditto
120	Dalel Singh, G.H.S., Chaharwala	Negligence of duty and	Ditto
121	Rulia Ram , G.M.S., Arniawali	quarrelling with colleagues	Ditto
122	Raghubir Singh, G.P.S., Arniawali	Negligence of duty and drinking of wine	Ditto
123	Pat Ram, G.M.S., Aniawali	Ditto	Ditto

124	Brij Bhushan, G.P.S., Mirka Negligence of duty	Ditto	Ditto
125	Chajju Ram, G.P.S., Mirka	Negligence of duty	Ditto
126	Fateh Singh, G.P.S., Mirka	Ditto	Ditto
127	Jagar Singh, G.P.S., Rattia	Arrested by Police in connection with drinking of wine	Ditto
128	Surat Singh, G.H.S, Sisar Kharwala	Ditto	Ditto
129	Raghubir Singh, G.H.S., Sisar Kharwala	Arrested by Police under section 302, 148 and 452	Ditto
130	Didar Singh, G.M.S., MakJana	Arrested by Police under section 302	Ditto
131	Balbir Singh, G.G.S., Thurana	Negligence of duty	Ditto
132	Maha Singh, G.H.S., Balasmand	Staging of Dharna	Ditto
133	Balbir Singh Balams	Ditto	Ditto
134	Bhim Singh Balams	Ditto	Ditto
135	Krishan Kumar Rathi, G.H.S.S., Hissar	Ditto	Ditto

136	Chattar Singh, G.P.S., Bataul Jatan	Ditto	Ditto
137	Sat Narain, G.M.S., Dhani Majra	Ditto	Ditto
138	Madan Gopal, G.H.S., Kot	Ditto	Ditto
139	Risal Singh, G.M.S., Khardali Pur	Ditto	Ditto
140	Ram Dhani, G.M.S., Mallauda	Ditto	Ditto
141	Giani Ram, G.P.S., Chhaj-pur Kharkadi	Ditto	Ditto
142	Dalip Singh, G.P.S., Khar Khera	Staging of Dharna	Ditto
143	Nafe Singh, G.P.S., Gajubala	Ditto	Ditto
144	Bharat Singh, G.H.S., Jakhod Khera	Ditto	Ditto
145	Bhag Chand, G.H.S., Jmawari	Ditto	Ditto
146	Ram Chander, G.P.S., Deva	Ditto	Ditto
147	Abhe Ram, Sisar Kherbala	Ditto	Ditto
148	Jogi Ram, G.P.S., Durjan-pur	Absence from Schooh	Ditto

149	Rajinder Kumar, G.H.S.S., Sarsa	Creating of indisciphine in the School	Ditto
150	Rangi Ram, G.H.S., Magali	Negligence of duty and beating the Headmaster	Ditto
151	Bhalle Ram, G.P.S., Balalali	Absence from duty	Ditto
152	Dhajja Ram, G.H.S., Bhatla	Ditto	Ditto
153	Suraj Mal, G.P.S., Bhiwani Khera	For not depositing the building Funds into the Govt. Treasury	Ditto
154	Raghubir Singh, G.P.S., Bhiwani Khera	Ditto	Ditto
155	Jagat Singh, G.M.S., Bhagana	Negligence of duty ab- sence from School and drinking of wine	Ditto
156	Mohinder Singh, G.H.S., Bhatla	Arrested by Police in connection with agitation for Chandigarh	Ditto
157	Ram Mehar Singh, G.H.S., Jakol Khera	In connection with parti- cipating in	Ditto

		agitation for Chandigarh	
158	Hukam Singh, G.P.S., Malheri	Ditto	Ditto
159	Gurdev Singh, G.P.S., Rori	Ditto	Ditto
160	Attar Singh, G.M.S., Dharva Kalan	Ditto	Ditto
161	Satya Narain, G.M.S., Dharva Kalan	Ditto	Ditto
162	Satvir Singh, G.H.S., Sorkhi	Ditto	Ditto
163	Ram Singh, G.H.S., Sisar Kharwaha	Ditto	Ditto
164	Ram Lal, G.H.S., Sisar Kharwala	Ditto	Ditto
165	Ranbir Singh, G.H.S., Sisar Kharwala	Ditto	Ditto
166	Jai Lal, G.H.S., Sisar Kharwala	Ditto	Ditto
167	Nand Kishore, G.H.S., Sisar Kharwala	Ditto	Ditto
168	Mohinder Singh, G.H.S., Mudhal	Ditto	Ditto
	(Lady Teachers)		

169	Smt. Krishna Kumari, G.G.P.S., Rattia	Arrested by Police in connection with Arms Act under sections 25,54 and 59	Ditto
170	Smt. Tripta Devi, G. M .S., Saniana	Negligence of duty	Ditto
171	Smt. Parkash Wati, G.P.S., Dabra	Negligence of duty	Ditto
172	Sint. Sakuntla Devi, G.P.S., Dabra	Negligence of duty	Ditto
173	Smt. Ishwar Devi, G.P.S., Dabra	Ditto	Ditto
174	Smt. Santosh Kumari, G.PS., Dabra	Ditto	Ditto

6. KARNAL DISTRICT

(Men Teachers)

Sarvshri-

175	Gurcharan Singh, G.M.S., Balu	Arrested by police under sections 326/1481149 I.P.C.	District Education Officer, Karnal
176	Balbir Singh, G.P.S., Dhadpur	Arrested by Police under sections	Ditto

		148/149/326 I.P.C.	
177	Yudishtar Lal, G.P.S., Hathlana	Arrested by Police under sections 25/34/147 I.P.C.	Ditto
178	Mam Raj, G.H.S., Bihar ..	Arrested by Police under sections 506/323 I.P.C.	Ditto
179	Karan Singh, G.H.S., Barota Bandrana	Arrested by Police under sections 440/447/148/149 I.P.C.	Ditto
180	Hazara Singh, G.H.S., Pharal	Embezzlement of Govt. money	Ditto
181	Krishan Lal, G.H.S., Kanthala	Arrested by Police under section 9/1/78 Aram ActBEO	Ditto
182	Chhavi Parkash, G.M.S., Harigarh Bhorak	He criticised the policy of the Haryana Govt. regarding the transfers of teachers.	Ditto
183	Mangal Singh, G.P.S., Dhanouri	Arrested by Police under section 409	Ditto

		I.P.C.	
184	Sarup Singh, G.M.S., Harigarh Bhorak	He led a deputation to P.S.E. in favour of Shri Chhavi Parkash.	Ditto
185	Ish Kumar, G.P.S.,Ajrawal	Absence from duty on the visit of P.S.E.	Ditto
186	Surjeet Sngh, G.P.S., Bir Mathana	Took part in election	Ditto
187	Bai j Nath, G.H.S., Pabnava	He approached P.S.E. for his transfer.	Ditto
188	Nand Kishore, G.P.S., Tatiana	He closed the school before closing time on 8-10-69 on the visit of P.S.E.	Ditto
189	Chander Datt, G.H.S., Jhansa	Misbehaviour towards' the Head master.	Ditto
190	Ram Dia, G.P.S., Samani	Absence from school and complaints from Panchayats for	Ditto

		taking wine in the school	
191	Vas Dev, G.P.S.,Rawah Kheri	Taking part in Bye- election	Ditto
192	Fateh Chand,G.H.S., Kaimla	Arrested by Police under section 406/411 I.P.C.	Ditto
193	Hari Kesh, G.P.S., Karnal Colony, Kaithal	Giving false statements in connection with his residence for retention at convenient station.	Ditto
194	Balbir Singh, G.H.S., Jara	Arrested by Police under sections 326/324 I.P.C.	Ditto
195	Ram Kishan, GPS, Chapra	Staging of Dharna on 5th April, 1970	Ditto
196	Ram Chander Sharma, GPS, Bawain	Ditto	Ditto
197	Surinder Mohan, GPS, Ladwa	Ditto	Ditto
198	Ram Chander, GPS, Bhuni	Ditto	Ditto

199	Sunder Pal, GPS, Singh-Pura	Ditto	Ditto
200	Bhagwan Dass, GHS, Ladwa	Ditto	Ditto
201	Mulakh Raj, GPS, Ajrana Khurd	Ditto	Ditto
202	Harbhagwan Dass, GPS„ Ajrana Khurd	Ditto	Ditto
203	Shiv Parkash, GHS, Phewa	Ditto	Ditto
204	Vishaka Singh, GMS, Choura	Ditto	Ditto
205	Darshan Singh, GMS, Saik era	Ditto	Ditto
206	Budh Ram, GPS,Bopali	Ditto	Ditto
207	Hari Ram, CPS, Sulkhani	Ditto	Ditto
208	Ramesh Chand,GPS, L ad Ii	Ditto	Ditto
209	Banarsi Dass, GPS, Ladli	Ditto	Ditto
210	Mom Chand, CPS, Ladli	Ditto	Ditto
211	Juh PALM'S, Gogpur	Ditto	Ditto
212	Bansi Lal, GPS Punia Moho	Ditto	Ditto
213	Faquir Chand, GPS, Therara	Staging of Dharna on 5th April, 1970	Ditto

214	Kanwaljit Singh, GPS, Ajrawar	DitCo	Ditto
215	Khushi Ram, GPS, Halal-pur	Ditto	Ditto
216	Moti Ram, GPS, Halalpur	Ditto	Ditto
217	Shri Niwas, GPS, Bhokar Majia	Ditto	Ditto
218	Avtar Singh, GPS, Sovrha	Ditto	Ditto
219	Ram Parshad, GHS, Ladwa	Ditto	Ditto
220	Yog Dhian, GHS, Basthi	Ditto	Ditto
221	Prem Chand, GHS, Basthi	Ditto	Ditto
222	Sadhu Singh, GHS, Mathana	Ditto	Ditto
	(Lady Teachers)		
	Sarvshrimati-		
223	Sudesh Sharma, GMS, Pipli	Found absent from duty on the visit of PSE on 7th October, 1969	Ditto
224	Darshan Gupta, GMS, Pipli	Ditto	Ditto
225	Chander Kanta, GPS, Gharaunda	For bringing her child in the school which	Ditto

		caused hindrance in the discharge of her duties.	
		ROHTAK DISTRICT	
226	Rameshwar Dass Johri ..	Criminal case under section 508, IPC	D.E.O., Rohtak
227	Satya Parkash Modgil, GHS, Sunari Kalan	Embezzlement and dis-obedience .	Ditto
228	Ram Kumar, GHS, Khanda	ArresCed by the Police under section 506 IPC.	Ditto
229	Inder Singh, GMS, Humayunpur	Ditto	Ditto
230	Arya Kumar, GMS, Dadoda Kalan	Ditto	Ditto
231	Harbhajan Singh, GMS, Dadoda Kalan	Ditto	Ditto
232	Atri Dev Shastri, GMS, Dadoda Kalan	Ditto	Ditto
233	Kabul Singh, GHSS, Lakhan Majra	Ditto	Ditto
234	Ram Chander, GHSS,	Ditto	Ditto

	Lakhan Majra		
235	Maya Chander, GHSS, Lakhan Majra	Arrested by Pohice.	Ditto
236	Abhey Ram, GPS, Bhurari	Moral Turpitude.	Ditto
237	Chajju Ram, GPS, Kundli	For not marking the absence in the attendance register of Smt Yashwant Kaur.	Ditto
238	Kamlesh Kumar, GHS, Sisana	Absence from duty	Ditto
239	Sardar Singh, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
240	Satya Dev, OHS, Sisana ..	Ditto	Ditto
241	Om Parkash, OHS, Sisana	Ditto	Ditto
242	Om Parkash, GHS, Sisana	Absence from duty.	Ditto
243	Rattan Singh, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
244	Ram Charan, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
245	Puran Mal, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
246	Daya Nand, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
247	Radha Krishan, GHS, Sisana	Ditto	Ditto

248	Sajan Singh, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
249	A.S. Bhatia, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
250	Mahabir Parshad, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
251	Bir Bal, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
252	Partap Singh, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
253	Bhim Singh, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
254	Raghubir Singh, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
255	Baljit Singh, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
256	Bhagwan Dass GPS, Jawahri	Arrested by Police.	Ditto
257	Gobind Ram, GPS, Rohtak	Dereliction in duty.	Ditto
258	Prabhu Dayal GMS, Karontha	Offence against person (Court case).	Ditto
259	Hoshiar Singh, GMS, Thana Khurd	Misconduct.	Ditto
260	Ram Sarup, GHS, Tetoli	Absence from duty.	Ditto
261	Satnam Singh, GHS,	ThefC of keys of	Ditto

	Hassangarh	safe.	
262	Chand Ram, GMS, Samchana	For beating of Headmaster.	Ditto
263	Amar Singh, GMS, Ulchana	Embezzlement of funds and claims for bogus T.A.	Ditto
264	Balwant Singh, GMS, Saman	For beating the Headmaster by exciting students.	Ditto
265	Kiran Pal Singh, GHSS, Beri	For opening the Sanskrit paper before the date of examination.	Ditto
266	Ravinder Kumar, GPS, Bhatgaon	Rude behaviour with B.E.O., Sonepat.	Ditto
267	Rattan Singh, GPS, Gola Kalan	Absence from duty.	Ditto
268	Rai Singh, GSPS, Bidhalan	Dereliction in duty.	Ditto
269	Suraj Bhan, GPS, Kherari	For sleeping in the school during duty hours.	Ditto
270	Dharam Singh, GPS,	For taking meals in the school and	Ditto

	Madina Dangi	taking rest during duty hours.	
271	Kewal Krishan, GHS, Kihoi	For working in English instead of Hindi.	Ditto
	(Lady Teachers)		
	Sarvshrimati-		
272	Yashwant Kaur, GPS, Kundli	Absence from duty.	Ditto
273	Nand Kaur, GHS, Sisana	Ditto	Ditto
274	Shakuntla GHS, Silana (Now at Nigana)	For beating others.	Ditto

Plying of Buses from Yamunanagar -Jagadhri to Devdhar

***941. Dr. Malik Chand Gambhir :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether it is a fact that the plying of buses between Yamunanagar-Jagadhri and 'Devdhar is discontinued during the rainy season ; if so, the steps, if any , taken or proposed to be taken by the Government so that the buses do not stop plying on the said route during the said season ?

Transport Minister (Shri Mahabir Singh) : Som Naddi falls

between Fatehgarh and Devdhar and it has no bridge. Therefore, direct buses on Yamunanagar-Jagadhri Fatehgarh-Devdhar route have to be discontinued during the rainy season. However, two services between Yamunanagar-Devdhar route via Dadupur are being plied for convenience of the public though this route is longer by ten Kilometres. There is no plan to construct a bridge on this Naddi in the near future.

Cases registered in Police Station in Karnal District

***891. Chaudhri Jai Singh Rathi :** Will the Minister for Home be pleased to state the number of cases registered in each Police Station in Karnal District date-wise, since April, 1969 together with the nature of offences in each case ?

Home Minister (Shri Kanihya Lal Poswal) : it will not be commensurate with the labour involved to prepare lengthy lists giving the number of cases registered in each Police Station in Karnal District date-wise since April, 1969 together with the nature of offence in each case. However, a list showing total number of cases registered in each Police Station in the Karnal District for the aforementioned period is placed on the table of the House.

List showing total number of cases registered in each Police Station in Karnal District during the period from 1st April, 1969 to 31st December, 1969 and 1st January, 1970 to 31st July, 1970

Name of the Police Station	No. of cases registered from 1-4-69 to 31-12-69	No. of cases registered from 1-1-70 to 31-7-70
Sadar Karnal	336	265
City Karnal	207	206
Gharaunda	132	84
Indri	45	44
Butana	238	145
Nissing	125	138
Sadar Panipat	159	111
City Panipat	150	149
Samalkha	104	80
Urlana	67	44
Thanesar	202	144
Shahabad	142	88
Ladwa	65	48
Radaur	53	27
Thaska	92	97
Sadar Kaithal	207	191
City Kaithal	36	113
Gulha	200	133
Pehowa	263	136
Rajaund	155	179
Assandh	123	163
Pundri	108	161
Karnal	55	34
Total	3,264	2,800

Residential Buildings for Officers at Jind

***932. Shri Daya Krishan :** Will the Minister for Public Works be pleased to state--

(a) whether new residential buildings for D.C. and otherofficers at Jind have since been completed

(b) if so, the period within which the same are likely to be occupied ;

(c) whether any more residential buildings are required for the Gazetted Government Officers at Jind ; and

(d) whether there is any proposal to construct new buildings to provide residential accommodation to the officers, referred to in part (c) above ; if so. the periodthereof ?

Public Works Minister (Shri Ran Singh) : (a) The following buildings have been completed :

Deputy Commissioner's residence and 12 other houses have been completed and three are under construction.

(b) The completed buildings are being occupied at present and the buildings under completion will be available for occupation in September, 1970.

(c) Yes.

(d) Yes, 11 (Eleven) houses are proposed to be constructed. These are likely to be completed during the year 1971-72.

Special Building Grants to Colleges

***1000. Chaudhri Hardwari Lal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government has

given special building grants to colleges, started or proposed to be started, during the last two years ; and

(b) if the answer to (a) is in the affirmative, the names of such colleges together with the amounts of special building grants or any other special grants sanctioned in each case and the conditions on which such grants have been sanctioned ?

Education Minister (Shri Maru Singh Malik) : (a) Yes.

(b) A statement giving the requisite information is laid on the table of the House.

STATEMENT

Grants given during the year 1968-69

Rs.

1. Guru Nanak College, Yamunanagar 7,000

2, Brij Mandal College, Hodal 6,500

These grants for development purposes were given on the condition that the grant would be utilized for the purpose for which sanctioned and the accounts of the grantee would be open for test check by the audit.

Grants given during the year 1969-70
(for the Establishment of college)

Rs

1. Haryana Mahavidyalya, Beri
1,00,000

2. Nehru Memorial College, Hansi 1,50,000

3. Adarsh Shiksha Samiti, Bhiwani
1,50,000

4. Bal Shiksha Samiti, Kaithal,
1,00,000

5. Gandhi Sewa Ashram Trust, Palwal
25,000

(for construction)

6. D.A.V. College, Pundri 25,000

(for development)

9. Bhagat Phool Singh Memorial College of

Education, Khan pur Kalan
10,000

These grants were subject to the condition as laid down in Rule 8.14 of P.F.R., Von, and the accounts of the grantee were to be open for test check by t he audit.

Grants given during the year 1969-70 for various purposes as indicated.

Serial Name of the College Amount

Purpose of grant

No. in Rupees

1 D.A.V. College, Sadhaura 13,500
Construction of Bio-

logy Laboratories & equipment.

2 Guru Nanak Khalsa College, 9,000 Cycle
Shed

Yamunanagar

3 S.D. College, Panipat 20,000 College
Library

4 Arya Kanya Mahavidyala, Shahabad 50,000
Library Blocks &

Books

5 Maharana Partap Mahila College, 18,000 College
Library

Mandi Dabwali

6 Sirsa Education Society, Sirsa 75,000
Establishment of a

Woman College

7 Government College, Nagina Edu- 50,000
Establishment of a

cation Society, Nagina College

8 Chajju Ram College of Education, 20,000
Additional Class Rooms

Hissar

9 Haryana Mahavidyala, Beri 25,000
Completion of College

building

10 D.A.V. College, Pundri.. 16,000
Construction of build-

ing

The above grants were subject to the following conditions :-

(1) This grant must be utilized by the College concerned within one year from the date of the receipt of the amount;

(2) The college must provide out of its own funds the balance of amounts required to complete the project for which grant is sanctioned;

(3) That the assets acquired wholly or partly out of Government grant shall not be disposed of without the approval of the Director of Public Instruction, Haryana;

(5) That in case a College cannot contribute the balance amount required for the Project, it must inform the Director, Public Instruction, Haryana, its inability within a week so that the amount could be sanctioned to anoter needy colleges;

(6) That immediately on the completion of the work a college shall furnish a utilization certificate duly signed by the Chartered Accountant and

(7) That the conditions laid down in rule 8.14 of P.F.R., Volume I are observed.

Besides this, the accounts of the grantee are open for test check by the audit.

Land of Panchayats

Chaudhry Om Parkash : Will the Minister for Development be pleased to state the area of land belonging to Panchayats which is under illegal possession of the people in the State ?

Development Minister (Shri Satup Singh) : 29,953 acres of shamilat land belonging to Panchayats is under illegal possession.

Construction of Dharamsala at Rohtak

***810. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Health be pleased to state whether any philanthropist has made any offer t o construct a Dharamsala for providing a accommodation to the attendants of the patients being treated in the Medical College, Rohtak; if so, the details of the offer together with the action, if any, taken by the Government thereon?

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) : (i) Yes.

(ii) Seth Indra-kumar Karnani, a Philanthropist of

Calcutta has given an offer to finance the construction of Dharamsala in the campus of the Medical College, Rohtak, on the following conditions :-

(1) A tablet stone in the name of Seth Indrakumar Karnani will be affixed in a prominent front place and his statu e installed in Dharamsala compound.

(2) The land will be provided by Government free of cost.

(3) Management of Dharamsala will rest with Government.

(4) Under no circumstances the name of the Dharamsala viz., "Seth Karnani Dharamsala" will be changed by Government and if Government will desire to make any change, then the amount donated by the Trust will have to be refunded.

The offer has been accepted by Government and the Department of P.W.D.. B & R Branch, Haryana, has been asked to prepare plan and estimates for the construction of Dharamsala in the campus of the Medical College, Rohtak. After the estimates etc., are prepared, the same will be intimated to Karnani Charitable Trust for depositing the money with Government.

Price of Sugarcane

***881. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether sugarcane growers have made any

request to the Government to increase the price of sugarcane paid by the sugar mills in the State ; if so, the action, if any, taken by the Government ;

(b) whether the Government has received any report from any place in the State that sugarcane was burnt b y the farmers because of abnormally low price ; and

(c) the quantity of sugarcane bonded in 1968-69 and 1969-70 (crushing season) by each of the Sugar Mills in the State together with the quantity of sugar cane actually crushed by each one of them ?

Agriculture Minister (Shri Bhajan Lal) : (a) Yes. The minimum price of sugarcane payable by the sugar factories is fixed by the, Government of India for each crushing season under the Sugarcane (Control) Order, 1966, on all India basis. The State Government have been pressing them to increase the price of sugarcane for this State but they did not agree to it.

(b) No.

(c)

(Figures in lakhs of quintal)

	1968-69		**1969-70**	
Name of the Sugar Mills'	Quantity of cane bonded	Quantity of cane crushed	Quantity of cane bonded	Quantity of cane crushed

'the Saraswati Sugar Mills Yamunanagar	59.38	48.36	65 .05	70.23
'I he Panipat Co-operative Sugar Mills Ltd., Panipat	35.84	16 .97	33 .50	22.29
The Haryana Co-operative Sugar Mills Ltd., Rohtak	15.20	9.75	18 -00	18 .34

Inspection of certain Factories by Field Staff of Bhiwani Circle

***865. Lala Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for labour be pleased to state : -

(a) whether field staff of Bhiwani circle, or any officers from Labour Commissioner's Office at Chandigarh, inspected M/s Jindal Private Ltd., Hissar, Mittal Pipe Factory, Hissar, Textile Mill, Hissar and C. B. Agricultural Implements, Rohtak Road, Hissar, under the provisions of Factory Act, Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Bonus Act or any other relevant Act ; if so, the number of inspections made during the last five years ; and

(b) whether any prosecutions were recommended by

the inspecting staff ; if so, details thereof together with the number of workers on Roll on the date of last inspection of Factories referred to in para (a) above.

Labour Minister (Shri Harpal Singh) : (a) Yes. 62.

(b) Yes. 22 prosecutions were launched for violation of various Labour enactments. Details are placed on the table of the House. Total number of workers on Roll on the last date of Inspection was 3,781.

Details of Prosecution

Name of Factory	Under Factories Act	Under Minimum Wages Act	Under Payment of Wages Act	Under Bonus Act	Other Act	Total No. of Workers on Roll on last inspection
(I) M/s Jindal Private Ltd., Hissar	12					414
(II MIttal Pipe Manufactruing Co., Hisar	6					35
(iii) Textile Mill, Hissar						3300
(iv) C.B.	4					32

Agricultural Impements Rohtak Road, Hisar		
Total	22	3781

Surplus Inferior and Kallar Land in the State

***903. Shri Randhir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of villages district-wise, where there is surplus, inferior and kallar land together with the total area thereof ; and

(b) the number of tenants, if any, village, tehsil and district-wise, separately whose applications for allotment of surplus land are still lying pending ?

राजस्व मन्त्री (श्री नेकी राम) : सूचना के संकलित तथा एकत्रित करने में लगे समय तथा श्रम उससे प्राप्त होने वाले लाभ के अनुसार नहीं होगा ।

Upgrading of Schools in the State

***922. Rao Birender Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state.

(a) the total number of schools together with their datails upgraded during the past two years since the formation of the present Government in the Stare ;

(b) the number out of those referred to in part (a) above, which were recommended fo upgradation by the District Education Officers ; and

the name; of schools recommended by the District Education Officers to be upgraded during the last two ye ars but which have not been upgraded so far ?

Education Minister (Shri Maru Singh Malik) : The requiste information is available in Annexures I, IT and ITT.

ANNEXURE I

(a) Total No.of Schools together with their details upgraded in the State during the past two years, since the formation of the present Government

Name of the District	No. of Schools upgraded from Primary to Middle		Middle to High	
	1968-69	1969-70	1968-69	1969-70
1- Ambala	7	6	6	9
2. Karnal	17	14	13	13
3. Rohtak	14	11	14	13
4- Hissar	27	25	14	18
5. Gurgaon	14	10	9	10
6. Jind	4	5	7	7
7. Mohindergarh	3	4	5	7
Total	86	75	68	77

Total Primary to Middle in two years 161

Total Middle to High in two years 145

2. The lists showing the names of these schools are as under :--

List or 86 Government Primary Schools upgraded to Middle Standard during 1968-69

1. DISTRICT HISSAR Tehsil Bhiwani

I. Saral

2. Bhariwas

3. Kaluwas

4. Bapora

5. Isarwal

6. Naloi

Tehsil Hansi

1. Loharijatu

2. Hazaxnpur

3. Milakpur

4. Ugalan

Tehsil Fatehabad

1. Akanwali

2. Nagpur

3. Nangal

4. Hasana

5. Haroli

6. Lali

7. MohamadpurRohi

Tehsil Sirsa

1. Kagdana

2. Darbi

3. Talwara

4. Nathsari

5. Darba

Tehsil Hissar

1. Kharkra

2. Niana

3. Talanwali

4. Gawar

5. Chaudhriwali

2. DISTRICT MOHINDERCARH

Tehsil Narnaul

1 . Bhushan Kalan

2. Loharwara

3. Nayan Thanwas

3. DISTRICT KARNAL

Tehsil Panipat

1. Kabri

2. Manana

3. Jatol

Tehsil Karnal

1. Sangowa and Sangowi

2. Nagla Megha

3. Sankara

4. Raipur Boran

5. Satora

Tehsil Thanesar

1. Pipli

2. Murtzapur

Tehsil Kaithal

1. Thole

2. Barsana

3. Fatehpur

4. Dhand

5. Mahmudpur

6. Lodhran

7. Kheri Sambalwall

4. DISTRICT ROHTAK

Tehsil Rohtak

1. Banani

2. Bahmanwas

3. Sehri

4. Atali

Tehsil Jhajjar

1 . Kasnl

2. Gudha

3. Birdhana

Tehsil Gohana

1. Nariana

2. Lath

Tehsil Sonepat

I . Dataull

2 Throo Auldepur

3. Murthal

4. Sterna

5. Barota

5. DISTRICT AMBALA

Tehsil Ambala

1 . Barara Dhanaura Khuda

Tehsll Naraingarh

1 Barog

2 Mughiawati Kot

Tehsil Jagadhrl

1. Bhambol

6. DISTRICT JIND

Tehsil Narwana

1. Peepaltha

2. Uchana Khurd

Tehsil Safidon

1 . Baghru Kalan

Tehsll Jind

1. Brah Khurd

7. DISTRICT GURGAON

Tehsil Ballabgarh

1. Ferozepore Kalan

Tehsil Nuh

1. Ghelab

Tehsil Ferozepur-Jhirka

1. Jahtana

Tehsil Palwal

1. Asawata
2. Tekri Brahmna

Tehsil Rewari

1. Nangal Pathani
2. Bhudpur
3. Musepur

Tehsil Rewari

4. Asa Ke Goriwas
5. Lisan
6. Budhrana

Tehsll Gurga on

1. Rithoj

2. Qadarpur

3. Kherki Daula.

List of 68 Government Middle Schools upgraded to High Standard during 1968-69

1. DISTRICT HISSAR

Tehsil Hissar

1. Kuri
2. Kalirwan
3. Samaian
4. Sarsod Bichpuri
5. Dharsu

Tehsil Bhiwani

1. Leghana
2. Kaunt
3. Bapora
4. Mandholi Shoran Kalan

Tehsil Hansi

1. Kanwari

2. Jamwari

Tehsil Sirsa

1. Panjawana
2. Paniwala Motan

Tehsil Fatehabad

1. Hijranwan Khurd

2. DISTRICT MOHINDERGARH

Tehsil Narnaul

1. Akbarpur
2. Banihari
3. Budhwal
4. Sarohi Behali

Tehsil Dadri

1. Shamaspur

3. DISTRICT ROHTAK

Tehsil Sonepat

1. Ghanaur
2. Moi
3. Mahra

Tehsil Jhajjar

1. Bhambewa

2. Madna Kalan

3. Achhej

Tehsil Rohtak

1. Roorki

2. Khanda

3. Kansala

4. Bidhlan

5. Anwal

Tehsil Gohana

1. Meham

2. Kahni

3. Cairi

4. DISTRICTA MBALA

Tehsil Naraingarh

1. Sauran

2. Sahlepur

3. Rattewali

Tehsil Jagadhri

1. Ledi
2. Saran

Tehsil Ambala

1. Jansui

5. DISTRICT JIND

Tehsil Narwana

1. Badsikri Khurd
2. Doomarkha Kalan
3. Bhartana

Tehsil Safidon

1. Malwi
2. Moorkhi

Tehsil Jind

1. Gangoli
2. Rain Rai

6. DISTRICT KARNAL Tehsil Karnal

1. Badson
2. Shamgarh
3. Bastli

Tehsil Thanesar

1. Mathana

2. Thaska Miran

Tehsil Panipat

1. Kiwana

2. Mandi

3. Afar

Tehsil Kaithal

1. Pannawa

2. Agond

3. Kheri Sharafali

4. Harsola

5. Bihara

7. DISTRICT GURGAON

Tehsil Rewari

1. Khor

2. Kanhori

3. Dahina

Tehsil Ballabgarh

1. Chhainssa

2. Kheri Kalan

Tehsil Nuh

1. Mandkola

Tehsil Ferozepur-Jhirka

1. Mandl Kheri

Tehsll Gurgaon

1. Ghangola

Tehsil Palwal

1. Bahmni Khera.

List of 75 Schools upgraded from Primary to Middle Standard during the year 1969-70

AMBALA DISTRICT

1. Kalpi
2. Ferozepur (Tehsil Naraingarh)
3. Kotla
4. Darpur
5. Jagadhri
6. Kunjal Jattan

KARNAL DISTRICT

1. Sareta (Tehsil Kaithal)
2. Kharaudi (Tehsil Kaithal)

3. Thua

4. Bhapdi Sitaundi 6. Jajanpura

7. Dadhola

8. Haibatpur

9. Khurana

10 Jhamba

11. Gudha

12. Kavi

13. Sage

14. Lalupura

ROHTAK DISTRICT

1. Kasrainti

2. Gharaunthi

3. Kansala (Girls)

4. Kamaspur (Tehsil Sonepat)

5. Kami (Tehsil Sonepat)

6. Nanadnaur (Tehsil Sonepat)

7. Kailana (Tehsil Sonepat)

8. Dharana

9. Barota

10. Nidana

11. Chirana

GURGAON DISTRICT

1. Manpur

2. Harchandpur

3. Keraka (Tehsil Nuh)

4. Piala

5. Bagpur

6. Baldhon Kalan

7. Nurgarh

8. Hassan pur

9. Tala

10. Lala -Khedli

HISSAR DISTRICT

1. Palwas

2. Sai

3. Mangali (Girls)

4. Dhani Dulat

5. Bahuna (Girls)

6. Sarsana

7. Kishangarh Khara Barwala

8. Dhani Majra

9. Mangala

10. Kanwarpura

11. Rajli

12. Beedwan

13. Prabhuwala

14. Dhab Dhani (Tehsil Bhiwani)

15. Daryapur (Tehsil Bhiwani)

16. Bhadolwali

17. Dhar rabbas

18. Dhanana

19. Dhani-Isar

20. Badesra

21. Kuta Barh

22. Sandhanwas

23. Poharka

24. Barowali

25. Shahpur

MOHINDERGARH DISTRICT

1. Talot (Tehsil Narnaul)

2. Shahbazpur

3. Gujarwas

4. Hamidpur

JIND DISTRICT

1. Bhongra

2. Baroda

3. Kharainti

4. Ghogrian

5. Kakrod

List of 77 Schools upgraded from Middle to High Standard during the year 1969-70

AMBALA DISTRICT

1. Tandwal

2. Madhana

3. Pathrehri

4. Bilaspur (Girls)

5. Ambala City

6. Talakaur

7. Boh

8. Manauli (Co-Edu.)

9. Ugara Bara

KARNAL DISTRICT

1. Pegan

2. Unri

3. Sirsal

4. Bakhli

5. Chhajpur

6. Patti Kalayana (Girls)

7. Sheikhpura Sohana

8. Garhi Birbal

9. Amin

10. Ramana Ramani

11. Sehrada

12. Baratut

13. Ismailabad

ROHTAK DISTRICT

1. Dhamar

2. Sisana (Girls)

3. Panchhi Jattan

4. Sunarian Kalan

5. Siwana

6. Kharkhauda (Girls)

7. Behlba

8. Madina (Girls)

9. Nigana

10. Dulhra (Girls)

11. Kansala (Girls)

12. Bhainsawal Kalan (Girls) 13 . Kahanaur (Girls)

GURGAON DISTRICT

1. Ghaleb

2. Maai

3. Jaurasi

4. Malab

5. Atali

6. Bichhaur

7. Baroli

8. Mirpur Kurali

9. Ghasera

HISSAR DISTRICT

1. Ratera
2. Moth
3. Ugalan
4. Mithi
5. Nathusari
6. Uklana Mandi(Girls)
7. Barwala (Girls)
8. Siswal
9. D hangar
10. Bada Guda
11. Bhatia
12. Tosham (Girls)
13. Sui (Tehsil Hansi)
14. Gugnav
15. Rania
16. Kariwali
17. Mirazpur
18. Kharar Alipur

MOHINDERGARH DISTRICT

1 . Kauriawas (Tehsil Narnaul)

2. Ghasola (Tehsil Dadri)

3. Bhagvi

4. Mandola

5. Imlote

6. Pichopa Kalan

7. Kheri Kanti

JIND DISTRICT

1. Kakrod

2. Dhundwan Kulekhana

3. Durjanpur

4. Khatkar

5. Karsindhu

6. Dharodi

7. Kharak Ramji

ANNEXURE II

(b) Out of the schools referred to in Annexure 'I' the following were upgraded on the recommendations of the District Education Officers concerned

Name of the District Primary to Middle Middle to High

	1968-69	1969-70	1968-69	1969-70
1	2	3	4	5
1. Ambala	5	1	5	1
2. Karnal	7	5	3	8
3. Rohtak	6	1	8	4
4. Hissar	5	14	7	5
5. Gurgaon	5	3	4	7
6 Jind	4	7	3	7
7. Mohindergarh	1		2	1
Total	33	31	32	33

Total primary to middle two years -65

Total middle to High in in two years 64

ANNEXURE I

(c) Names of the schools recommended by the Dlstrict Education Officers for upgradation during the last two years but which have not so far been upgraded.

	Name of the District	Names of the schools which have not so far been upgraded			
		1968-69		1969-70	
		Primary to Middle	Middle to High	Primary to Middle	Middle to High
	1	2	3	4	5
1	Ambala	1 Kanwala	1 Naggal	1 Bhurewala	1 Model Town, Yamuna Nagar (Girls)
		2 Kukheri	2 Samalkha	2 Pasiala	
		3 Pasiala	3 Kalanaur	3. Chudiala	

		4	Udeypur	4	Banoundi	4	Udeypur		
		5	Toda	5	Nagla Rajputan	5	Rampur Thadi		
		6	Manka Manki	6	Ugala (Girls)	6	Toda		
		7	Bhurewala	7	Sahpur				
		8	Nahauni	8	Model Town, Yamuna Nagar (Girls)				
		9	Ambala City No. 6						
2	Karnal	1	Pundri	1	Madlauda	1	Jai Singhpura	1	Madlauda
		2	Baraut	2	Gonder	2	Alupur	2	Alahar
		3	Khanpur			3	Malikpur	3	Mundhri
		4	Kanipla			4	Bhagana	4	Ganjbar Kohand

		5	Jai Singh Pura			5	Tagaur	5	Ramba
		6	Pabsar			6	Padlu	6	Bhorsaidan
						7	Peoda		
						8	Khanpur		
						9	Kanipla		
3	Rohtak	1	Nandal	1	Saragthal	1	Dadri	1	Dujana(Girls)
		2	Gadhi Kheri	2	Makroli Kalan	2	Kheri Sadh	2	Katwal
		3	Bazidpur	3	Maraut	3	Gadhi Kheri	3	Pilana
		4	Palra	4	Bainsi	4	Chhapur	4	Bichpari
		5	Sisar Khas	5	Bichpari	5	Asauda	5	Jahangirpur
		6	Jawahara	6	Dujana (Girls)	6	Bhakli	6	Shahzadpur
		7	Chandi	7	Bhadani (Girls)	7	Lakhan Majra	7	Chulliana

				8	Chuliana				
				9	Chandi (Girls)				
4	Hissar	1	Telanwali	1	Model Town, Hissar	1	Hudhi	1	Chhapar Rangran
		2	Moriwala			2	Manshkhera	2	Datta
		3	Model Sirsa	2	Abbub Shehar	3.	Alisadar	3	Khabra Kalan
		4	Kumbba	3	Buhari Bagho	4	Khunan		
		5	Bandha Heri			5	Dhani Sanchala		
		6	Bahmanwali			6	Jagmalwali		
		7	Behal			7	Najdelakalan		
		8	Gawar			8	Jhurdnali		
						9	Dadhawar		
						10	Mandoliawali		

						11	Bruj Bhangu		
						12	Lohria		
						13	Halisadar		
5	Gurgaon	1	Nangal Teju	1	Rasulpur	1	Nangal Teju	1	Nangli Godha
		2	Sikrawa	2	Majra Sheoraj	2	Tatarpur	2	Sarai Khwaja
		3	Malikpur	3	Faridabad N.I.T.	3	Uncha Majra	3	Sehi
				4	Rajgarh	4	Nai	4	Balawas
					Nuh	5	Sikriwa	5	Sukhrali
				6	Sehi	6	Mirpur	6	Jharsaintly
				7	Bharawas	7	Khali ipur		
						8	Jadra		
						9	Bhim Nagar		

							(Gurgaon)
						10	Mayan
						11	Jaintpur
	Lajwana		Karela		Chaushala		
6	Khurd	1	Kharal	1	Bishanpura	1	Seemla Khadlwa
		2		2		2	
		3	Pipaltha			3	Nirjan
		4	Budakhera			4	Baroli Jind.Jn.
						5	
						6	Barakhurd
						7	Bawana
						8	Mohangarh
						9	Singhana
						10	Mukhand

7	Mahendergarh	1	Dudhwa	1	Bhaghot	1	Gudha	1	Sarupgarh
		2	Beni	2	Kanwi	2	Chandpura	2	Badhada
		3	Makhta	3	Maldawas	3	Bocharian	3	Chhanar Adampur
		4	Seka	4	Uran			4	Dadhi
				5	Patheda			5	Mishri
				6	Jhinjhar			6	Nimbi
								7	Shamkalan
								8	Chandwas

(e) if so, the period within which it is likely to be increased together with the extent thereof ;

(f) whether the Government has received any representation for the increase in pension ; and

(g) if so, the period within which the action thereon is likely to be taken ?

Finance Minister (Shrimati Om Pharbha Jain) : (a) Yes.

(b) Initially, increase in pension was allowed with effect from 1st July, 1964, of Rs. 7.50 to pensions up to Rs. 30 per month and Rs. 5 per month to pensions above Rs. 30 per month but not above Rs. 60 per month. Subsequently, with effect from 1st April, 1969, the increase of Rs. 7.50 per month was extended to pensions above Rs 30 per month and up to Rs. 75 per month. Pensions above Rs . 75 per month but not above Rs. 200 per month have been allowed increase of Rs. 10, and pensions above Rs. 200 have been allowed such increase as would bring the total pension to Rs. 210 per month.

(c) No. Pensioners getting Rs. 30 per month or less have been getting the increase of Rs. 7.50 since 1st July, 1964.

(d) & (e) Haryana Government have in principle agreed to a proposal to give further increase to the extent of Rs. 10 per month in pensions up to Rs. 200. This can, however, be enforced only when all the successor States of the reorganised Punjab, i.e., Haryana, Punjab, Himachal Pradesh

and Union Territory, Chandigarh agreed thereto.

(f) Yes.

(g) As in reply to part (d) and (e) above.

New Colleges started in the State

***1001. Chaudhri Hardwari Lal :** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a)whether any new Government Colleges, Day Colleges or Evening Colleges have been started in the State during the last two years ; and

(b)if so, the number of students admitted to each college, class-wise, for the sessions 1969-70 and 1970-71, separately ?

Education Minister (Shri Maru Singh Malik) ; (a) Yes.

(b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House. No new Government College was started during 1969-70.

STATEMENT

Three new Government (Day) Colleges at Rai, Kalka and Bahadurgarh have been started with effect from July, 1970. The number of students admitted in these colleges class-wise during the session 1970-71 is as under :-

	Pre-	T.D.C.I.	Total

	University		
Government College for Women, Rai	8	5	13
Government College, Kalka	115	96	211
Government (Day) College, Bahadurgarh	75	115	190

UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

Opening of a Bar at Panchkula

363. Chaudhri Chand Ram : Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether the Government has sanctioned the opening of a bar at Panchkula, if so, the name of the owner thereof; and

(b) whether any applications were invited before sanctioning the above bar, if not, the reasons therefor?

वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : Notice of Call Attention Motion No. 8 given

3.00 p.m.

by Shri Mangal Sein, M.L.A. regarding the recognition to the Haryana Ayurvedic College, Rohtak, and the lack of teaching faculities and staff therein is admitted.

The honourable Member may please read his motion.

Shri Mangal Sein : The Ayurvedic Faculty has recognised the so called College named Haryana Ayurvedic College in Rohtak for imparting education in Ayurvedie System of Medicine. There is neither any building for teaching purposes nor any dissection Hall. Moreover, this College has no staff. his is altogether a bogus action. The public will be cheated through this college. The public is feeling surprised over this action of the Government. A sense of resentment is also prevailing in the public. Through this Call Attention Motion I want to draw the attention of the Government.

Mr. Speaker : The hon. Minister may please make the statement.

Health Minister (Shri Khurshed Ahmed) : In the composite Punjab State a Faculty of Ayurvedic/Unani Systems of Medicine was established under the " Punjab State Faculty of Ayurvedic Unani Systems of Medicine Act, 1963" in order to conduct the Ayurvedic/Unani Examinations. The following three irstitutions were recognised by this body

(1) Government Ayurvedic College, Patiala.

(2) D.A.V. Ayurvedic College, Jullundur.

(3) Shri Mastnath Ayurvedic College, Asthalbohar (Rohtak.)

On the formation of Haryana State the assets of this body were not divided and the Faculty of Ayurvedic/Unani Systems of Medicine of Haryana State has not been established under any Act so far since it can only be done after the Government of India issues a notification approving the bifurcation of this joint Faculty. The decision to this effect was taken in the last meeting of State Chief Secretaries and Government of India held at Simla in July, 1970. The notification from Government of India is still awaited and a reminder has been sent to them. There is neither any infor. mation available in regard to the setting up of Haryana Avurvedic College at Rohtak nor any information about the recognition of this Institution by the Faculty of Punjab State has been received by Government. The Director, Health Services, Punjab, who is the Chairman of this Faculty has been requested by the Director Health Services, Haryana that this very institution may not be given recognition without cognizance of Haryana State as Haryana State's own Faculty is under formation.

Mr. Speaker : Notice of Call Attention Motion No. 9 given by Shri Mangal Sein, M.L.A., concerning the procrastination of the execution of ownership deed in favour of the political suffers is disallowed as the matter is not of urgent public importance.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब मेरी सबमिशन यह है कि जिन लोगों को साढे बारह– 2 एकड़ जमीन हिसार के बीड़ में दी गई थी वे पुराने देश भक्त हैं । राष्ट्रपति के आर्डर हुए हुए हैं कि उनको जमीन दे दी जाए । जिन देश भक्तों की कुर्बानियो से हमें

आजादी मिली वे अब कहां पर धक्के खाते रहें, मैं समझता हूं यह कोई शोभा वाली बात नहीं है ।

Mr. Speaker : I have already said this is not a matter of urgent public importance.

Notice of Call Attention Motion No. 10 given by Shri Fateh Chand Vij, M.L.A., concerning the non-providing of any arrangement for teaching of Hindi to the children of employees of the Haryana State working at Pong Dam etc. is disallowed as the matter is not of urgent importance.

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, इस से ज्यादा और क्या अरजैन्सी हो सकती है (**एक आवाज** : उन से कह दो कि पौंग डेम का पानी बन्द कर दे तब यह अपने आप करेंगे।) (हंसी)

Statements by Ministers

Mr. Speaker : The honourable Revenue Minister promised to make a statement today on Call Attention Motion No. 2*. He may do so now.

(i) Revenue Minister (Shri Neki Ram) : Land reform measures in the Mate are embodied in :

(1) The Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, and

(2) Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955.

Under the scheme of both the Acts, ceilings are imposed on land holdings. Under the Pepsu Act, an area

beyond 30 S.As. in the case of locals and 40 S.As. in the case of displaced persons is acquired by the Government and utilized for the settlement of tenants. Under the Punjab Act, area exceeding 30 S.As. in the case of locals and 50 S.As. in the case of displaced persons is declared surplus bv the Goverrment and utilized for resettlement of ejected or ectable tenants. The landowners retain ownership of the surplus area till it is allotted by the Government to the tenants. Under both the Act, an area measuring 1,76,718 S. As. was declared as surplus. Area measuring 57,410 S. As. has been utilized for the re-settlement of 31,498 tenants. About 84,470 S. As. are under litigation. However, an area measuring 34,838 S. As. is still available for allotment. Difficultv being experienced is that where surplus area is available, eligible tenants are not available. Tenants from distant places are not inclined to shift to Villages where surplus areas is available . In order to find a solution for thi paradoxical situation and other matters relating to land reforms, Government had constituted an Agrarian Reforms Committees on 12th November, 1968. Its report is expected shortly . Furth ,r reforms will be carried out on the basis of the recommendations of the Agrarian Reforms Committee.

2. It is entirely wrorg to state that the area decalred surplus has been disposed of by the owners. Under the existing Law, area once declared surplus remains surplus till it is utilized by the Government for the re-settlement of tenants. If any land owner has disposed of any surplus area it has no meaning. Government will treat it as surplus and utilize it for allotment to tenants. If a vendee has purchased surplus 'area, he has purchased it at his own risk .

3. It is true that some surplus area is still lying un-utilized. Government grant loans and subsidy at the following rates to tenants who are, prepared to shift from their village to village where surplus area is available :

Rs. 500 per family (Rs. 375 as Subsidy and Rs 125 as loan).

Unfortunately, there has not been much response to this
incentive. Efforts will be made to utilize the remaining surplus area as soon as the recommendations of the Agrarian Reforms Committee are received.

4. There is no occasion for any discontentment among the land-less harijans and others. Out of the surplus area so far utilized (57,410 S. As.), about 13,461 S.As. have gone to 6,725 harijan tenants and the rest to non-harijan tenants.

In addition, acquired evacuee land is also being sold/transferred amongst harijans . So far, out of 62,846 acres of acquired evacuee land, 27,447 acres have been purchased by harijans numbering 10,405. In this manner about 45 per cent of evacuee area has gone to harijans and the rest to non-harijan landless persons.

Mr. Speaker : The Minister for Transport may please make a statement on Call Attention Motion No. 3*.

(ii) **Transport Minister (Shri Mahabir Singh) :** So far, three schemes of nationalisation of passenger road transport have been implemented covering 64 routes. Haryana

Roadways have covered all the nationalised routes by the same number of daily return trips as were operated by the private operators. As many as 174 new buses are operating on all the nationalised routes. It is, therefore, incorrect to say that the Government has not brought any new buses on the nationalised routes. It is also not correct to say that every bus starts with one and half times or double the number of passengers. It is equally incorrect that the buses do not stop at the prescribed stoppages. Traffic surveys are periodically undertaken by the Transport Department and if the additional traffic justifies extra trips, more buses are added. Haryana Roadways have adequate resources to add to the existing fleet the number of buses required according to the pressure of traffic. Even at present about 70 vehicles are under body-fabrication to be added to the fleet. There is, therefore, no question of any resentment in the public. Nationalisation of passenger road transport is providing better and efficient service to the public.

Third Report of the Business Advisory Committee

Mr. Speaker : I beg to report the Time Table fixed by the Business Advisory Committee in their Third Report in regard to various business :

The Committee met at 6.35 P.M. on the 26th August, 1970.

The Committee, after some discussion, recommended that on the 27th August, 1970, the business be transacted as follows : -

(1) Question Hour.

(2) Papers to be laid on the Table.

(3) Appropriation Bill (No.3) of 1970 To be disposed of

by 6.00 P.M.

(4) Appropriation Bill (No. 4) of 1970 To be disposed of

by 6.20 P. M.

(5) Appropriation Bill (No. 5) of 1970

(6) Resumption of discussion on the Official Resolution which was moved on the 25th August, 1970.

(7) All Legislative Business pending.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to move :

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Ccmmittee.

Mr. Speaker Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contaired in the Third Report of the Business Advisory Committee.

The Motion was carried.

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री मंगल सैन (रोहतक) : स्पीकर साहब मैंने आज एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है जिसे मैं मूव करना चाहता हूं । आपको याद होगा कि कल चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरे सवाल का जवाब देते हुये फरमाया था कि ड़िब्यून अखबार की सरकुलेशन हरियाणा में देहली से छपने वाले अखबारों से कम है और हरियार्णी में देहली से छपने वाले अखबार ट्रिव्यून के मुकाबले में ज्यादा आते हैं । आज उसी अखबार ट्रिब्यून में यह खबर छपी है जिसमें यह जिकर है कि प्रैस कौंसिल आफ इन्डिया के सामने इनके एक जिम्मेदार अफसर ने जो रिटन स्टेटमैंट दी है उसमें उन्होंने. कहा है कि सरकुलेशन के बारे में उनका कोई डिस्पयूट नहीं है लेकिन कल मुख्य मन्त्री जी सरकुलेशन को डिस्पयूट कर रहे थे और जो कुछ वह कल कह रहे थे उस से उन्होंने इस हाउस को मिसलीड किया है । अगर उन्होंने यह गलती की है तो उनको उस गलती को बड़ी दलेरी के साथ मानना चाहिये । अगर उनको ट्रिव्यून के साथ कोई नाराजगी है तो उसके लिये कोई

और बात की जाये लेकिन इस आगस्ट हाउस की सैकंटिटी मेनटेन करते हुये इसे मिसलीड नहीं करना चाहिये । यह हमारा ब्रीच आफ प्रिविलेज का केस है इसे प्रिविलेज कमेटी को रैफर किया जाना चाहिये और सुटेबल एक्शन लिया जाना चाहिये ।

मलिक मुखियार सिंह (सोनीपत) : जो कुछ स्पीकर साहब मंगल सैन जी ने कहा हे उसके साथ मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि यही नहीं बल्कि कल मेरे एक स्पलीमैटंरी सवाल का जवाबदेते हुये जब उन से सरकुलेशन की फिगर्ज के बारे में पूछा गया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास फिगर्ज नहीं हैं । I want to draw your attention, Sir, to the letter of the Chief Secretary to Government, Haryana, sent in reply to a letter of the Press Council of India, when the case was referred to them. उन्होने अन्दर जो उन्होने ट्रिब्यून की सरकुलेशन फिगर्ज प्रैस कौंसिल आफ इन्डिया को दी हैं वह 58.3 फीसदी हैं ।

This is a copy of the letter of the Chief Secretary to Government, Haryana, dated the 6th August, 1970, to the Press Council, wherein it is stated :

"The figures of the ABC-audited circulation quoted by the Editor of the Tribune in his replication are not disputed."

तो मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि हरेक चीज का जवाब जो चीफ मिनिस्टर साहब देते हैं मिसलीडिंग देते है' और

इस जवाब में भी उन्होंने हाउस को मिसलीड किया है । इस वजह से मै समझता हूं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज आफ दी हाउस है और इसे प्रिविलेज कमेटी को रैफर किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : यह मुझे एक बजे मिली है । इसको ऐग्जामिन करके ऐकशन लिया जाएगा, आपको कल बता दूंगा ।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Food and Supplies Minister (Shri Rajinder Singh) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following notifications issued under section 3 of the Haryana Official Language Act, 1969, as required under section 7 of the Haryana Official Language Act, 1969 :-

(i) Notification No. 2848-EDI/Lg-70/10475, dated the 22nd April, 1970 ;

(ii) Notification No. 2849-EDI/Lg-70/10463, dated the 22nd April, 1970.

Industries Minister (Khan Abdul Ghaffar Khan) : Sir,I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Haryana State Small Industries and Export Corporation Limited for the year 1967-68, as required under section 619-A of the Companies Act, 1956.

BILLS

1. Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1970

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1970.

Shrimati Om Prabha Jain : Sir, I beg to move -

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली) : माननीय स्पीकर साहब, आज ऐप्रोप्रिएशन बिल इस औगस्ट हाउस के सामने आया है । मैने काफी गौर से इन डिमांड्ज को देखा है, जिन के जरिए से सरकार ने यह रुपया मांगा है । स्पीकर साहब, इन डिमांडज को पढ़ कर मुझे ऐसा मालूम देता है कि हरियाणा सरकार का बजट मार्च की बजाए जून में तैयार होता है यानी माली साल इन्होंने बदल दिया है । जब बजट सैशन होना था तो इन्होंने 24 घंटे का नोटिस दे दिया और रातोंरात बजट तैयार करवाया गया और जैसा भी था उलटा सीधा हाउस के सामने रख दिया । इसके बाद इन्हें सूझ पड़ती है कि अब क्या–क्या, काम करें और इस के लिए बजट सैशन खत्म होने के बाद असल बजट तैयार करना शुरु करते हैं । स्पीकर साहब, इससे बड़ा हरियाणा के लोगों और इस हाउस के साथ और कोई नहीं हो सकता । 19 करोड़ रुपये की मांगे सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स की है, डेढ़ करोड़ का ऐप्रोप्रिएशन बिल है और एक करोड़ के करीब का थर्ड ऐप्रोप्रिएशन बिल है । बाईस– बाईस चौबीस–चौबीस करोड़ रुपया सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स में मांगा गया है, सरकार की नअहलियत का इससे बड़ा सबूत और

हो ही नहीं सकता । पिछली बार, जब ये बजट लाये तो पहले पेज के ऊपर मैने यही एतराज किया कि सरकार बहुत गलत तरीके अपना रही है, गलत प्रैक्टिस शुरू कर रही है, कांस्टीच्यूशन का सत्यानाश कर रही है और हरियाणा का नाम बदनाम कर रही है । भगवान के लिए सम्भल जाओ लेकिन इन के कान पर जूं तक नहीं रींगी । पिछली बार भी इसी तरीके से सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स लाए गए थे ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : आपकी बदनामी धो रहे हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : गुप्ता जी, फिक्र न करो, सारा सोना चांदी नाक के जरिए निकालेंगे ये जो आप सुपर चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, हमें पता है कि आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने किस लिए सुपर चीफ मिनिस्टर बनाया है । हां, तो स्पीकर साहब, मैं बता रहा था कि ये किस तरीके से सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स तैयार करते हैं । पिछली बार प्लान के बाहर कई नई स्कीमें बनाई जो कि चार करोड़ रुपये की थीं । चीफ मिनिस्टर साहब अपने हल्के के लिए स्कीम ले गये । उस स्कीम पर खर्च पहले कर दिया और हाउस को बाद में कान्फिडेंस में लिया । एक जूई कैनाल बना दी जिस के लिए अब की बार 8 करोड़ रुपया रख दिय लेकिन बजट में इसका जिक्र ही नहीं है । इसके इलावा लोहारू लिफ्ट इरीगेशन स्कीम शामिल कर दी है । स्पीकर साहब, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश का रुपया एक शख्स बरबाद कर रहा है, इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी । बजट का 50

फी सदी रुपया सिर्फ एक हुकमरान के अपने– इलाके में लगता चला जाए और ये हमारे मोहतरिम मैम्बर यहां खामोश बैठे रहें, हंसते रहें और हाथ उठाते रहें, ऐसी मिसाल पार्लियामेंटरी हिस्टरी के अन्दर कहीं नहीं मिलेगी । स्पीकर साहब, पेशतर इसके कि इन डिमांडज के बारे में कुछ कहूं मैं दो लफ्ज यह कहना चाहूंगा कि

उद्योग मन्त्री (खान अब्दुल गफ्फार खां) : क्या यही तमहीद है आपकी?

राव बीरेन्द्र सिंह : खान साहब, इतमीनान रखिये । तमहीद की बात तो मैं अभी शुरू करूंगा । स्पीकर साहब, पहली बात हमें यह सोचनी है कि रुपया हम किस सरकार को दें । ये 19 करोड़ रुपये किस के हाथों में खर्च करने के लिए दें? क्या उन्हीं लोगों के हाथों में दें जो स्टेट का सत्यानाश करने पर तुले ए हैं? (आवाजें रू खूब खूब) (व्यवधान)। यह किस किस्म की सरकार है जिसने विधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है? जिस सरकार ने असैम्बली का प्रोसीजर बदल कर रख दिया हो, जिस सरकार ने लोगों के खून को सड़कों पर बहाया हो, जिस सरकार ने अपनी कुर्सियों को कायम रखने के लिए चण्डीगढ को बेच दिया हो, क्या आप उसको पैसा देंगे? जिस सरकार ने इसी तरीके. से वजारत चलाने का हलफ लिया हो और कहती यह हो कि हम जस्टिस करेंगे, सब लोगों को बिना फीयर और फेवर से इन्साफ मिलेगा, लेकिन इनकी जो काली करतूतें हरियाणा में हैं

श्री बनारसी दास गुप्ता : आप से कम है।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप भजन लाल जी से पूछे कि हलफ उठाया है या नहीं (व्यवधान) स्पीकर साहब, आपने सुना होगा, एक गंवार की अदालत में गवाही थी उस को कहा गया कि हलफ उठाना पड़ेगा तब गवाही देनी होगी । उसको बहुत समझाया कि हलफ उठाकर तुम्हें ऐसा–ऐसा कहना पड़ेगा । वह बेचारा इस डर के मारे घबरा गया कि हलफ उठाना पड़ेगा । उसने सोचा पता नहीं कितना भारी होगा वह हलफ जो मुझ से उठाया नहीं जाएगा । जब वह अदालत में गया तो हलफ उठाने के लिए गंगा जत का लोटा उसके हाथ पर रख दिया गया और उसे कहा कि कहो, जो कुछ कहुंगा सच कहूंगा । उसने कहा कि ठीक हूँ, इस हलफ को उठाकर मैं कह रहा हूं कि मैंजो कुछ कहुंगा सच कहूंगा । इसके बाद उस गंवार ने डट कर झूठ बोला और जो हलफ उठाया था उसकी धज्जियां उडा दीं । बाहर आकर लोगों ने उससे पूछा कि तुम तो डरते थे लेकिन तुमने हलफ उठाकर इतना झूठ क्यों कहा? उसने कहा मैने सोचा था कि पता नहीं हलफ कितना बड़ा होता है मगर यह तो हलका ही निकला । तो स्पीकर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर भी इसी तरह के हैं, इस हलफ को उठाकर राज करते है । इसमें दिक्कत क्या है, रोज उठाते जाएं हलफ, इन्हें क्या फर्क पड़ता है । जिन वजीरों के लिए पैसा मांगते हैं, जो मूर्तियां सामने बैठी हुई हैं, इन में, जितने डिफैक्टर थे, सब वजारत में शामिल कर लिए (विघन) राजेन्द्र

सिंह जी मुझे आप पर कतन भी गिला नहीं है । स्पीकर साहब, यह श्री राजेन्द्र सिंह जी फजूल बोल रहे हैं । इनको तो हमने पिछली वजारत में चौधरी मुख्तियार सिंह के लिहाज में शामिल कर दिया था । इन्होंने कहा कि इनका भी एक पोता वजारत में आना चाहिए । हमने सोचा इनके दादा की बात जरूर मानेंगे । स्पीकर साहब, इनको वजीर बनाने के बाद एक हफता वजारत नहीं चली । (शोर) इस बार हमने इन्हें टिकट विशाल हरियाणा पार्टी का सिर्फ एक मकसद के लिए दिया था कि वह कांग्रेस की वजारत में शामिल हो कर इसे जल्दी से तुडवायें ।

खाद्य व पूर्ती मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह) रू सलत, बिलकुल गलत । मैं तो इंडिपैन्डैन्ट आया हूं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, ऐसी बात का एक ही इलाज है । अगर चौधरी राजेन्द्र सिंह का हलफनामा, टिकट के लिए इनकी दरखास्त मेरे पास ओरिजनल में आज मौजूद .न हो और उसकी फोटोस्टैट कापी आल–इंडिया कांग्रेस के दफतर में और इलैक्शन कमीशन के दफतर में न मिले तो मैं इस असैम्बली से इस्तीफा दे दूगा । (विरोधी पक्ष की और से तालियां) (शोर) ।

श्री राजेन्द्र सिंह : मन्जूर जी मन्जूर । I accept the Challenge (शोर) इन्होने मेरे नाम के बोगस दस्तखत करके वहां भेज दिए होंगे । (शोर)

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं तो, स्पीकर साहब, इनकी दरखास्त, इनका हलफनामा आपके सामने मेज पर रख दूगा और फिर उसका फैसला आप पर छोड़ दूंगा । (शोर)

चौधरी राजेन्द्र सिंह और सरदार हरपाल सिंह ये तो रिजैक्टिड माल है। स्पीकर साहब, आज भगवान की दया से कांग्रेस अपनी असलियत पर आई है । जो बापू के नाम से देश में फूला करती थी आज वह डिसपोजल का माल लेकर दुकान चला रही है । ये हमारे रिजेक्टिड आदमियों को आज उठाते फिरते हैं, चौराहों के ऊपर से । इन दोनों ने एक गलती की थी और विशाल हरियाणा पार्टी ने एकदम इनका नाम अपनी पार्टी से खारिज कर दिया था मगर आज ये इनके मिनिस्टर बने हुए हैं । (शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह स्पीकर :साहब, आन ए प्वाएंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर

Mr. Speaker : Please, it is not fair. You will get time for personal explanation and the Leader of the Opposition may not be interrupted.

(Interruptions)

Mr. Speaker : Order please. No interruptions.

Shri S.P. Jaiswal : On a point of Order, Sir. Can interruptions be allowed when another member is speaking under the Rules ?

Mr. Speaker : You have heard me telling this, **I** think. That is what I was requesting that the leader of the Opposition may not be interrupted.

Shri S.P. Jaiswal : Through you, Mr. Speaker, I was trying to bring it to their notice.

Mr. Speaker : If any member or hon. Minister is effected, he can Ds. e his personal explanation later on. But, in between the speaker cannot he interrupted.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, कुछ ऐसे भाई थे जिनकी वजह से हमारे घर में काफी तकलीफ थी । आपने एक रिवाज तो देखा ही होगा । जब किसी घर में ज्यादा मुसीबत होती है तो टोना टोटका करते हैं और इसके बाद घर से काली हांडी निकाल कर चौराहे पर रखते हैं और जो उस हांडी पर से गुजर जाए या जिसकी निगाह भी उस पर पड जाए सारी की सारी मुसीबत उसके घर में पहुंच जाती है । ये चौधरी राजेन्द्र सिंह और सरदार हरपाल सिंह जी काली हांडियां हैं जो हमने चौराहे पर रख दी थीं और इसे चौधरी बंसी लाल जी उठा कर ले गए हैं । देखें क्या रंग लाती हैं (हंसी) अभी तो हमने टोटका ही किया है ।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री खुरशीद अहमद) : जब आपके पास थे तब तो यह सोने की टोकनी थी ।

राव बीरेन्द्र सिह : स्पीकर साहब, अब वजारत की कांस्टिच्यूशन देखिए। इनके लिए 3 लाख 47 हजार रुपया घर

सजाने के लिए 4 लाख रुपया, इनके लिए कारें खरीदने. के लिए और फर्नीचर खरीदने के लिए 2 लाख रुपया मांगा गया है । जनता का काम करने के लिए 10 मिनिस्टर इन्होंने नए बनाए हैं और बहुत से चेयरमैन भी बनाए हैं ।

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : स्पीकर साहब, इन वाली मिनिस्ट्री से तो कम ही मिनिस्टर हैं ।

श्री प्रताप सिंह (दौलतपुर) : यह मुकाबला थोड़े ही है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं मुकाबला नहीं करता । मैतो खुश हूं कि आज ये कांग्रेसी मैम्बर्ज जिनके दिमाग आसमान पर थे मेरे से मुंकाबला करने लग पड़े है । पहले तो ये हमें कहीं गिनते ही नहीं थे । आज ये मुकाबला किस मुंह से करते हैं? ये कहते हैं कि एक पार्टी का रूल है, ये कहते हैं कि हमारे 53 मैम्बर हैं । हम 9 आदमियों ने आपका घर छोड़ा था और एस.वी.डी. की मिनिस्ट्री चलाई थी तथा चौधरी राजेन्द्र सिंह जैसी काली हॉडी घर में होते हुए अपनी मैजोरिटी कम नहीं होने दी थी ।

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या राव साहब एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर बोल रहे हैं?

राव बीरेन्द्र सिंह : बहिन जी, यह तो मुहावरा है । अगर आप बुरा मानती हैं मैं नहीं कहूंगा और आप अपनी तरफ मेरी निगाह न डलवाये । (हंसी)

उद्योग मन्त्री (खान अब्दुल गफ्फार खां) : मुझे तो थोड़ी सी शिकायत है जनाब, लीडर आफ अपोजीशन, राव साहब, से क्योंकि इन्होंने कहा कि तमाम के तमाम डिफैक्टर्ज वजीर बना दिए । जरा इन की मेरी निस्बत क्या राय है, क्या मैं जान सकता हूं?

राव बीरेन्द्र सिंह : सब के सब मैने नहीं कहा, मैने कहा ज्यादातर । किसी को चेयरमैन, माईनर इरीगेशन बोर्ड, किसी को चेयरमैन, मार्किटिंग बोर्ड, किसी को चेयरमैन, इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट, किसी को चेयरमैन एग्रो इंडस्ट्रीज, पता नहीं कितने ही चेयरमैन बना दिए हैं । यह पार्टी जो क्लेम करती है कि हम देश के सामने असूल दिखायेगे, हम मैजोरिटी में हैं, हम 48 जीत कर आए थे आज 53 हो गए है । इस का स्वयं जब यह हाल है तो पता नहीं फिर ये. क्यों एसवी० डी० सरकार से मुकाबला करते हैं । हमारी तो हजारों दिक्कतें थीं और आयदा इलैक्शन में भी हजारों दिक्कतें होंगी और अगर हम पावर में आ जाएं तो इन से कई गुना बेहतर सरकार चला कर बतायेंगे और बताई भी थी । (विघ्न) हम तो इन के फैलाये हुए जहर को धोने की कोशिश करते हैं । हमारे सामने तो कई मुश्किलात होती हैं लेकिन जो वाहद पार्टी हूँ वह पार्टी अगर आज रिजैक्टिड माल के ऊपर दुकान चलाये तो

यह बात इस पार्टी को शोभा नहीं देती । अगर, स्पीकर साहब, इन को पार्टी का ख्याल होता, अगर महात्मा गांधी जी के नाम का इन्हें लिहाज होता, अगर ये पंडित जवाहरलाल के अनुयायी होते तो जिस वक्त इन की पार्टी से 15 आदमी छोड़ कर चले गए थे उसी दिन इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था । पंडित भगवत दयाल ने इस मामले में मिसाल कायम की है । वे उसी दम गद्दी छोड़ गए थे लेकिन इन की पार्टी को हालांकि 15 आदमी धक्का मार के चले गए मगर ये कुर्सियों के साथ चिपटे रहे । इन का ध्याल है 'कि कुर्सी से जबर्दस्ती धक्का मार कर अगर कोई गिरा दे तब तो उसे छोड़ेंगे वरना नहीं । (विध्न)

खान अब्दुल गफ्फार खां : स्पीकर साहब, आज इन को पंडित भगवत दयाल जी से इश्क हो गया हूँ (हंसी)

राव बीरेन्द्र सिंह : जो हथकंडे इन्होंने अपनाये, जिस तरीके से कुरप्शन फैलाई, जिस तरीके से वजारत बढ़ाई है, जिस तरीके से लूट हरियाणा की चल रही है, उसको देखते हुए एक पैसे के ये हकदार नहीं है । अगर हाउस मेरी बात माने, अगर आनरेबल मैम्बरों को हरियाणा की जनता से कोई प्यार है, और वे कोई अच्छी सरकार यहां कायम करना चाहते है तो उन्हें आज इस बिल को रिजैक्ट कर देना चाहिए और इस सरकार को बदल देना चाहिए । फिर देखिए कैसे हरियाणा का राज चलता है । स्पीकर साहब, बड़े–बड़ों के ईमान इन्होंने फिसला दिए । खान साहब बुजुर्ग हैं । बड़ी लड़ाई लड़ी इन्होंने देश के लिए । इन की बडी

नुरानी सूरत और फरिश्ता सीरत है । जब मैं इन से कहा करता था कि हाथ पैर हिलाओ तो आप का नम्बर मिनिस्टर बनने का आ सकता है तो कहते थे कि ''आखिरी उमर में क्या खाक मुसलमां होना है '' लेकिन अब एक कमसन को वजारती अख्स से खेलते हुए देखा तो खान साहब भी फिसल गए । वजीर बनने के बाद भी उन के दिल में आग है पर वे वजारत से चिमटे हुए हैं । एक भाई और बैठे हुए है चौधरी अब्दुल रजक साहब । खुदा को भी उन पर तरस है, बड़े नेक आदमी है । इन्होने देखा कि अगर खुरशीद साहब वजीर बन सकते हैं । तो मेरा भी नम्बर आ सकता है । इनका भी इमान हित गया । जहां तक खान साहब का सम्बन्ध है वे तो आखिरी वक्त में मुसलमान बन ही गये लेकिन रज्जाक साहब को लैलाय वजारत मिलनी मुश्किल है ।

तो स्पीकर साहब, जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा के साथ धक्का किया है और ये डिमान्डज हाउस के सामने पेश की है, उनका यह बिल्कुल गलत तरीका है । आठ करोड़ रुपया ये खर्च करना चाहते है, उसको खर्च करन के लिए पहल कोई स्कीम नहीं बनायी गयी, उसको प्लान में शामिल नहीं किया गया, दूसरी तरफ कहते हैं कि यह रुपया हम सेविंग में से खर्च कर लेंगे । इससे यह साबित होता है कि अगर ये पिछली स्कीम या प्लान में सेविंग करके आठ करोड़. रुपया बचा सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इन का यह बजट बिल्कुल बोगस होता है, सरासर खोखला होता है । क्या मतलव हुआ इस तरह की बजटिंग का?

आठ करोड़ रुपये की तो ये खुद लिखते हैं कि सेविंग कर सकते हैं, वह इसलिए सेविंग कर सकते हैं कि लोहारू लिफट इरीगेशन स्कीम बनायी जाये । जब आप अपनी स्कीम में से आठ–आठ करोड़ रुपया बचा लेते हैं तो आप ये प्लान और बजट बना कर पब्लिक को धोखा क्यों देते हो? इस तरीका का बजट बना कर फिर सप्लीमैटंरी लाते हैं । इस के अन्दर तो बड़े काम की बातें सुझाये ताकि आयन्दा अच्छा रिवाज डाल सकें ।

इन्होंने तीन करोड़ रुपया नई रोड़ के लिए मांगा है । स्पीकर साहब, आप को भी इस विषय में भली–भांति मालूम है कि जब बजट तैयार होता है तो उसके अन्दर एक–एक स्कीम होती है, एक–एक स्कीम का बाकायदा जस्टीफिकेशन होता है, एक–एक स्कीम का एस्टीमेट होता है तब वह स्कीम बजट में मेनशन होती है परून्तु यह सरकार बजट तो दो घन्टे में तैयार कर लेती है और सप्लीमैटंरी एस्टीमेटस एक करोड़ के जून में सोचती है । इन को जून के महीने में सूझता है कि इस नयी सड़क को बनाना है इसलिए एक करोड़ रुपया चाहिए । इतना जुल्म और इतना सितम न आपने देखा होगा और न सुना होगा । एक करोड़ रुपया मांग लेते हैं और सड़क मन्जूर कर लेते हैं । इन्होंने सप्लीमेटरी एस्टीमेटस में भी लिखा है कि– "Lump sum provision of add tional Roads to be sanctioned and started under non-plan including link roads - Rs 2,00,00,000." दो करोड़ रुपए का लम्प सम प्रोवीजन, बगैर किसी स्कीम के, बगैर सड़क का नाम बताये, बगैर हाउस को यह बताये कि यह दो करोड़ रुपया की किस चीज

के लिए चाहिए स्वीकृति लेना चाहते है । यह इस लिए स्वीकृति चाहते है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब इस रुपए को अपनी आस्तीन में ले कर बैठ जायें और पब्लिक को कुरप्ट करने के लिए सड्कों की रिश्वत दें । यह रुपया तो इस तरह से मांगा जा रहा है जिस प्रकार मिनिस्टर साहिबान अपनी डिसक्रिशनरी ग्रान्टस के लिए मांग रहे हों ।

स्पीकर साहब, आप इस तरफ ध्यान दें ये इतनी अन–प्रेसीडैन्टिड चीजें कभी भी सप्लीमेन्टरी बजट में नहीं आती हैं । सप्लीमेंटरी डिमान्डज का मकसद एक होता है और वह यह कि अगर बजट के अन्दर कोई चीज नजर–अन्दाज हो गयी है, कोई अदालती डिग्री की अमाउन्ट देनी हो, कोई ऐसी चीज हो जिस से हरियाणा का हर्जा होने का डर हो और पब्लिक इन्टैस्ट के लिए फौरन मुहैया करनी जरूरी हो, उन के लिए सम्प्लीमेंटरी डिमान्डज आती है । परन्तु यह सरकार तो एक करोड़ रुपया नई रोडज के लिए और दो करोड़ रुपया लम्पसम मांग रही है । क्या हाउस इस चीज को बरदाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं । मैं आप से क्या अर्ज करूं जहां देखें, जिस चीज को देखें यही हाल है इनका । इन्होने तो हरियाणा के साथ अजीब किस्म का ठट्ठा कर रखा है, यह सरकार यह नहीं सोचती है कि व्यास और रावी का पानी किस तरह से हमारे हिस्से में आयेगा, यमुना फीडर कैनाल कैसे बनेगी । रोपड़ से करनाल तक नहर कितने अर्से में ले जायेंगे । अगर वह पानी हमें नहीं मिला तो हरियाणा का सत्यानाश होगा । न ये

सेंटर के पास जाते हैं और न ही पंजाब से कोई बातचीत करते हैं । इन को तो यह लगा हुआ है कि गुड़गांव में अपने रिश्तेदारों के गांवों में सड़के बनवायें, लुहारू हल्के में लिफ्ट इरीगेशन बनवानी है ताकि अगले चुनाव में मुख्य मन्ती वहां से कामयाब हो सके ।

श्री राजेंद्र सिह : वह तो ड्रेन नम्बर आठ के पानी से लगेगी ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आपको भी पता हैकि हरियाणा को जो 5.2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना है पता नहीं वह मिलेगा या नहीं । अगर हरियाणा को पूरा पानी नहीं मिलता तो यह किस तरह से नहरें । चलायेंगे । वे नहरें खत्म हो जायेंगी । यह जो लोहारू स्कीम है इस में तो यह कहते है कि बरसात का पानी चलना है परन्तु औरों का क्या होगा?

स्पीकर साहब, मैं यह मानता हूं कि पब्लिक के काम होने चाहिए। कोई भी सरकार अगर डिवैल्पमेंट के काम तेजी से करेगी तो इस में खुशी होगी। लेकिन जिस तरीके से यह करती है क्या वाकई यह डिवैल्पमेट का ठीक तरीका है? क्या इस में कुरप्शन नहीं है? ये दो–दो करोड़ रुपया अपनी आस्तीन में ले कर। बैठना चाहते है । जिस तरीके से ये मिनिस्टरी बढ़ा रहे हैं, लोगों को कोटे दे रहे है, ओहदो बांट रहे है । उसका तो एक ही मकसद हैं हर तरीके से वजारत कायम रहे (विध्न.)

मेरे विषय में क्या जिक्र करते हो, मैंने तो बतौर चीफ मिनिस्टर के भी तनखाह नहीं ली थी लेकिन चौधरी बन्सी लाल जी तो दोनरें हाथों से तनख्वाह ले रहे हैं ।

मुख्य मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : आप ने तनख्वाह इस लिए नहीं ली कि मेज सैकेन्डल में ज्यादा खा गये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहव, मैं श्री पोसवाल की तरह जमीन वाला तो नहीँ हूं कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कह दिया कि मेरी जमीन एक्वायर कर लो, ताकि दस लाख का फायदा उठा जाऊं (विध्न) ।

स्पीकर साहब, किसी भाई ने कह दिया कि तुम को कोठी मिली हुई है। आपकी सरकार ने कानून बनाया है तो मैने ले ली । (विध्न) मेंने सोचा कि मैने बतौर चीफ मिनिस्टर के तो तनख्वाह नहीं ली, अगर आज मैं इस तनख्वाह और कोठी के लिए भी इन्कार कर दूंगा, तो जब चौधरी बंसी लाल जी अपोजीशन के लीडर बनेंगे तो वे किस मु 'ह से तनख्वाह लेंगे । मैने तो यह तनख्ताह और कोठी अपने भाई की मदद के लिए ली है हालांकि मैं इस कोठी में रहता नहीं हूं ।

स्पीकर साहब, मैं एक–एक डिमान्ड का क्या जिक्र करूं, इन्होंने अपनी सारी अक्ल जून के महीने के अन्दर लड़ाई है । इधर वजीरों के लिए पैसा मांग रहे हैं, रोड के लिए पैसा मांग रहे हैं, कम्बुनिटी डिवैल्पमेंट के लिए पैसा मांग रहे हैं ।

वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : यह तो एक हैड से दूसरे हैंड में ट्रांसफर कर रहे हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह तो आपने गलती की कि गलत हैंड में प्रोवीजन कर दिया । अकाउन्टैन्ट जनरल ने कहा है कि हैंड तो ठीक लिख दिया करो । इसकी सारी वजह यह है कि ये बहुत जल्दबाजी में बजट बनाते हैं । लोगों के साथ फराड करते हैं । ब्लाक की डिवैल्पमेंट की दूसरी और तीसरी स्टेजीज के लिए पैसा ले रहे हैं । आप जिस तरीके से चाहें पैसा लें, मार्किट कमेटियां बनायें, कमेटियों को तोड़े और उन पर एडमिनिस्ट्रेटर्ज लगा दें । जब से यह सरकार आयी है तब से ब्लाक्स में यह हाल है कि लोगों के चुने हुए नुमाइन्दे एक चपड़ासी को नौकरी पर नहीं लगा सकते है । चपड़ासी भी डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी से लगेगा। पंचायत अफसर की रिपोर्ट चौयरमैन पंचायत समिति नहीं लिख सकता है । बी०डी०ओ० चौयरमैन पंचायत समिति की बात मानने के लिए तैयार नहीं । यह हे हाल क्योंकि चौयरमैन का उन पर कोई अिख्त्यार नहीं है । आज पंचायती राज का बुरा हाल है और फिर उस पर पैसा बरबाद किया जा रहा है । मेरा तो ख्याल है कि वहां यदि एक–एक नायब–तहसीलदार लगा दिया जाय तो वह ऐसा काम करके दिखायेंगे जो कि पहले कभी नहीं हुआ है । अगर आप हरियाणा को फिर से बचाना चाहते हैं तो आप क्यों पब्लिक के चुने हुए एडमिनिस्ट्रेटर के अधि– कारों को छीनते जा रहे हैं? चेयरमैन बी०डी०ओ० को किसी काम में टोक नहीं सकता,

पंचायत अफसर की रिपोर्ट नहीं लिख सकता, अपने चपड़ासी को तबदील नहीं कर सकता, उसकी एक्सपलेनेशन नहीं मांग सकता, उसको हटा नहीं सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है । आप एडमिनिस्ट्रेशन चन्द अफिसर्ज के सहारे चलाना चाहते हैं । और कहते यह हैं कि हम पब्लिक के नुमाइन्दे हैं । स्पीकर साहब, इ न को क्या हक है कि यह हरियाणा के खजाने का पैसा बोगस पंचायती राज पर वेस्ट करें ।

इसी तरीके से रैस्ट हाउसों की तरफ आप निगाह कीजिए । बजट के अन्दर इन का जिक्र नहीं । बजट के बाद जून में जब गर्मी लगने लगी तो पोसवाल साहब कहने लगे कि रैस्ट–हाउस एयर कन्डीशन्ड होने चाहिए......

गृह मन्त्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : जनाब, हम काम करते हैं । तो रिलैक्स भी करते हैं । (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, तो मैं कह रहा था कि जब इन को गर्मी लगने लगी तो 7–8 नये रैस्ट–हाउस बनाने की स्कीम बना दी। आज कल के जमाने के अन्दर जब सब मिनिस्टरों के पास कारें हैं, कलास वन तथा कलास टू के सब अफसरों के पास कारें हैं या जीपें है तो लगभग एक दर्जन नये रैस्ट–हाउसों की क्या जरुरत है और फिर उन के लिए पैसा भी सप्लीमैट्री डिमान्डज के जरिये मांग रहे हैं । बजट का इन्तजार तो कर लेते । क्यों इस विधान का मजाक उड़ा रहे हैं? जैसे ही नई

नई चीजें इन्हें सूझती हैं वैसे ही सप्लीमैंटी डिमान्डज के अन्दर दे देते हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब जैसे कुछ बाजमोर इन्सान, चौधरी रणबीर सिंह और बहिन चन्द्रावती सोचेंगी, मुमकिन है चौधरी नेकी राम को भी ऐसा नेक ख्याल आ जाय, चौधरी माडू सिंह तो अपने सिर पर बिल्कुल सस्त पगड़ी बांधे बैठे है' और उन्होंने तो सोचने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : राव साहब, जो कुछ सोचना है यदि आप ही सोच लें तो बहुत मुनासिब होगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : जनाब, मैने तो सोच रखा है ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : लाइन पर लग रहे हैं ।...... (हंसी)

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यदि मैं अपने तरीके से सोचने लगूं तो इन का नम्बर नहीं आयेगा । मैं आप लोगों के लिये ही तो सारे पापड़ बेल रहा हूं । जितना मैं आप को बुरा कहूंगा, चौधरी बंसी लाल आपकी कदर करेंगे और आपकी कुछ चौधर बनेगी । अगर मैंखामोश हो जाऊंगा तो आप को झाड़े पड़ेगी । स्पीकर साहब, मैं कहां तक अर्ज करूं सारी सप्लीमेन्टरी डिमान्डज इसी किस्म की रखी हुई हैं ।

स्पीकर साहब, इन को मुख्यमन्त्री बने अढाई वर्ष हो गए हैं । अढाई वर्ष में नान–आफिशियल डे सिर्फ एक ही आया था । सरकार ने बाकी सारे नान–आफिशियल डे, आफिशियल डे में

बदल लिये थे । इस सैशन के नान–आफिशियल डे को भी, जो कि सिर्फ 3–4 दिन का है, आफिशियल डे में बदल चुके हैं । मैने यह सुना है कि यह साईने डाई तथा नान–स्टाप सिटिंग के लिए मोशनज भी ला रहे है । अढाई वर्ष के अन्दर इन्होंने जनता को कुछ कहने का मौका नहीं दिया है । अपोजीशन तो सैशन को लम्बा करना चाहती है और यह भागने की फिक्र में है । नो कान्फीडेन्स मोशन हमने जो दिया था वह भी वापिस हो चुका है । यह 53 आदमियों की मैजोरिटी कहते हैं । अपोजीशन में तो ले–देकर 28–29 आदमी होंगे । शायद हमारा कोई आदमी इन के अन्दर बैठा हो । फिर इन को आपोजीशन से क्या खतरा है? बजट में ये सब चीजें क्यों नहीं लाते हैं । एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर पूरा टाईम क्यों नहीं दिया जा रहा है? 19–20 करोड़ रुपए की डिमान्डज हैं । कम से कम इस के उपर 2 दिन की तो डिसकशन होनी चाहिए थी लेकिन दु:ख होता है हम जब यह सोचते हैं कि थह एप्रोप्रिएशन बिल इतनी जल्दी से चला जाएगा । हम इन को कुछ कहना नहीं चाहते । यदि इन को डर है तो इन को अपने अन्दर से है । हम तो यही कहते हैं कि अपनी पार्टी को सम्भालें । चीफ मिनिस्टर साहब को यह मालूम है कि इन की पार्टी में घुन लग चुका है, अब यह ज्यादा देर चलने वाली नहीं है । खतरा यहां से नहीं खतरा वहां से है । स्पीकर साहब, अब इन के अन्दर एक अलग ग्रुप बन चुका है और यह पोजीशन हार चुके हैं । यह सैशन चाहे दो दिन का बुलायें या तीन दिन का, सीनियर मिनिस्टर भी इन के साथ नहीं हैं और पार्टी के मैम्बर भी

इन के साथ नहीं है । सीनियर मिनिस्टर आज कल दिल्ली के अन्दर जा कर इसी बारे में बातें कर रहे हैं । हम तो कहते हैं, ठीक है, राज खराब है, पलटो! अपोजीशन तो साथ देगी ही क्योंकि वह तो बढ़िया राज चाहती है । बढ़िया राज कौन नहीं चाहेगा? मैं नाम नहीं लूंगा इन को खुद मालूम होगा, स्कीम बन रही है । हमारे जिम्मे इल्जाम न लगायें । इन के अपने ही दोस्त, यह काम कर रहे है जिनका काम ही हरियाणा में मिनिस्ट्री तोड़ना और (मिनिस्ट्री) वजारत बनाना है । यदि इन को वह अपना छोटा सा सीनियर मिनिस्टर दिखाई नहीं देता तो एक सवा छः फुट का आदमी तो दिखाई देता ही होगा जो जोर शोर से बातें करता है और इन की वजारत तोड़ना चाहता है और तोडू कर ही दम लेगा । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों हमारे ऊपर फज्ल इल्जाम लगाते हैं । अपनी करतूत और पार्टी को तो वे सम्भालें । अपोजीशन का तो एक ही काम है और वह यह कि हम जनता के हक के लिये लड़ाई लडते रहें और हक की बात कहते रहें । स्पीकर साहब, जिस सरकार ने चण्डीगढ बेच दिया उस सरकार को पैसा मांगने का हक नहीं है और वह सरकार हरियाणा की सरकार नहीं है? स्पीकर साहब, इस हाउस ने जून, 1967, में एक स्टेडिंग रैजोल्यूशन पास किया था कि चण्डीगढ के मामले में हम प्राईम मिनिस्टर का कोई आर्बिट्रेशन मन्जूर नहीं करेंगे । वही रैजोल्यूशन इसी हाउस के अन्दर रीइट्रेट किया गया । चीफ मिनिस्टर साहब ले कहा कि नये रैजोल्यूशन की जरुरत नहीं, हम उस रैजोल्यूशन से बाउन्ड हैं । प्राइम मिनिस्टर का आर्बिट्रेशन

आया और चण्डीगढ हरियाणा को नहीं पंजाब को दिया गया । फाजिल्का की बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वह तो पंजाब वालों की बात है । पंजाब वाले चाहते हैं कि फाजिल्का न दें और हम यह चाहते हैं कि यह हमें मिल जाय । हम इसे ले पायेंगे या नहीं ले पायेंगे, यह ज्यादा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है । हम इस के लिये सहयोग देने के लिये तैयार है । हरियाणा के लैजिसलेटर्ज के अन्दर वह हिम्मत होनी चाहिए जो पंजाब के अन्दर दिखाई देती है । गुरनाम सिंह ने फाजिल्का के ट्रांसफर की बात मान ली थी लेकिन उस असैमबली ने सरदार गुरनाम सिंह को

4 P.M.

बाहर कर दिया। स्पीकर साहब यह सरकार आज तक उस रैजोल्यूशन को नहीं बदलवा सकी है। जो यहां इसी सदन में पास किया गया था कि चण्डीगढ हरियाणा का हिस्सा है और हरियाणा को मिलना चाहिए । यदि यह इससे सहमत नहीं थी तो यह इस सरकार का फर्ज था कि यह रैजोल्यूशन लाती कि चण्डीगढ पंजाब को दे दिया जाए और जनता के सही नुमायन्दे जो यहां बैठे हुए हैं वे बताते कि चण्डीगढ़ को पंजाब को देने का क्या परिणाम होता है? इस सरकार का भी वही हाल होता जो पंजाब में सरदार गुरनाम सिंह का हुआ है । यह सरकार अगर वह रेजोल्यूशन नहीं बदलवाना चाहती है तो फिर असैम्बली तुड़वा कर जनता के सामने जाए और कहे कि हमने चण्डीगढ पंजाब को दे दिया है आप को मंजूर है या नहीं? लेकिन यह तो कुछ भी नहीं करना चाहती

सिवाए गद्दी से चिपके रहने के । चौधरी बंसी लाल को जनता और असैम्बली की राय लेने की जरुरत नहीं, यह तो आजकल फांस के लुई XIV बने बैठे हैं जो कहता था (व्यवधान)

स्पीकर साहब चण्डीगढ के मसले के बारे में मैं तो यह ही कहूंगा कि हमारा कोई दोस्त नहीं है ।

"It is a cause that lacks assistance and it is a wrong that needs

resistance."

अगर ये दरअसल में जनता के सही नुमायदे हों तो जनता की बहबूदी की तरफ ध्यान दें लेकिन इन को बेचारी जनता का ध्यान कहां है । इन का ध्यान तो मैम्बरों की तोडू फोड़ में, अफसरान को डिमोरेलाईज करने, उन से नाजायज काम लेने की तरफ लगा हुआ है । इन को तो सब के. साथ मिलकर हरियाणा की भलाई के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी । आज देश. के सामने बड़े बड़े मसले हैं । पता नहीं साल या छ. महीने के अन्दर क्या होना है. । आज जो टाईम है उस में तो हम सब मिलकर हरियाणा के हकों के लिए लड़े । मैं तो यही अर्ज करूग। कि इन बातों को ध्यान में रखें और अपने प्रांत की भलाई के लिए अगर यह सरकार कुछ कर सकती हो तो जरूर करे और जिस प्रकार ई। चीजें यह कर रही है उन को छेड़ दे । स्पीकर साहब मुझे अफसोस है कि मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया है।

गृह मन्त्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : स्पीकर साहब, मैं आप के द्वारा राव साहब को बताना चाहता हूं कि रिवाड़ी में मेरी जमीन जरूर है लेकिन एक ईंच जमीन भी किसी डिपार्टमेंट ने नहीं ली हूँ और मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो डिपार्टमेंट ले रहा है वह न ले क्योंकि वह अच्छी जमीन है और मंहगी भी है ।

श्री अध्यक्ष : खान साहब, क्या आप बोलना चाहते है?

(ii) PERSONAL EXPLANATION BY INDUSTRIES

MINISTER (KHAN ABDUL GHAFFAR KHAN)

उद्योग मन्त्री (खान अब्दुल गफ्फार खां) : जनाबे वाला हमारे मुकर्रम दोस्त और आपोजीशन के लीडर, जो अपने आप को पुराने पार्लियामेंन्टरियन कहते है, मैं नहीं कहता कि दूसरे भी ऐसा समझते है या नहीं लेकिन यह अपने आप को जरूर ऐसा समझते हैं, ने एक जोशीली तकरीर की, बहुत अच्छा किया । इन को तकरीर करने का हक था लेकिन इन को मुनासिब नही था कि यह दूसरों पर छींटे डालते ।

(व्यवधान)

जनाबवाला, इन्होंने बताया कि मैने वजारत को लेने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं । मैं राव साहब को यह बता दूं कि वजारत के लालची आप के दल के आदमी थे । आपको मालूम होना चाहिए कि आप वजारत से निकाले गए, मोकूफ किए गए । आप दूसरों को कहते हैं कि वजारत के लिए पापड़ बेले ।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं खान साहब सइं कहूंगा कि आपको बोलने का पूरा हक है लेकिन यहां तो प्रोसीजर के हिसाब से बोलें । खान साहब, आपके मुताल्लिक मैंने नादानिस्तां कोई वजाहत कर दी हो तो बता दें लेकिन स्पीकर साहब, गाली देने का यह मौका नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : पर्सनल एक्सप्लेनेशन खत्म करें, खान साहब ।

खान अब्दुल गफ्फार खां : अगर राव साहब इस को गाली समझते हैं तो मैं उन से माफी चाहता हूं । स्पीकर साहब, खुदावन्द ताला जानता है कि मेरे मन मे वजारत के लिए कोई चाह नहीं थी और न ही मैने कभी वजारत मांगी और न ही मागूगा । चीफ मिनिस्टर साहब यहां मौजूद हैं, गफ्फार खां को तो यह मासउम ही नहीं था कि मुझे वजीर बनना है । पांच बजे इनकी खिदमत में पहुंचा तब .मुझे पता लगा कि मुझे वजीर बना रहे हैं । मैने हाथ बांधकर चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि खुदा के वास्ते मुझे माफ करो, मैं वजीर नहीं बनना चाहता । अगर वजीर बनाना ही है तो फलां को बनाइए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता । मेरे मन में कभी भी इस चीज की तमन्ना नहीं रही है और न कभी करूंगा ।. राव साहब की तरह कुर्सी से सरेश होकर नहीं चिपटना

चाहता । मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ ही रहूंगा ।

मलिक मुख्तियार सिंह : और इस के साथ ही मरोगे भी ।

एक सदस्य : आप कौन सी कांग्रेस के साथ हैं?

(ii) PERSONAL FOOD & SUPPLIES

MINISTER (SHRI RAJENDER SINGH)

खाद्य व पूर्ति मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहब, राव साहब ने अपने भाषण में मेरे मुत्तालिक कहा कि मैं विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर जीत कर आया हूं और उन्होंने अपने आप को पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा अलमबरदार बताया है । स्पीकर साहब, मैं चौलेंज के साथ कहता हूं और पहले भी कह चुका हूं और अब आपके सामने भी बता देना चाहता हूं कि मैंने अपना नामीनेशन पेपर भर कर जब दाखिल किया तो उसमें एक खाना था कि आप किस पार्टी को बिलांग करते हैं । मैने उस खाना में लिखा था कि मैं किसी राजनैतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि इन्डिपेन्डेन्ट हूं । मैंने अपना निशान साईकिल मांगा था । विशाल हरियाणा पार्टी के उम्मीदवार तो ताराचन्द थे जिन्होंने सूरज का निशान लिया । एक प्रेम सिंह था उसने भी सूरज का निशान लिया था । (शोर)

इसलिये इनका यह कहना कि मैं विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट से जीत कर आया हूं, गलत है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह बताइए कि आपने प्लैज भरा था या नहीं?

श्री राजेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं आप को बता देना चाहता हूं कि मुझे हिन्दी का 'क' 'ख' भी नहीं आता है और राव साहब को यह पता था कि राजेन्द्र सिंह यानी मैं चुनाव में कामयाब हो जाऊंगा और इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी के सिम्बल को रिकोग्नाइज करने के लिए मेरे नाम का झूठा और फर्जी प्लैज हिन्दी में दिखाया और मैं हिन्दी अब भी जानता नहीं हूं और अब भी मैं दस्तखत अक्सर अंग्रेजी में करता हूं । कोशिश करने के बावजूद हालांकि मैं लैंग्वेज मिनिस्टर हूं मैं हिन्दी का नाम लिखवाकर उसकी नकल उतारने की कोशिश करता हूं । इसलिए यह झूठी बात है । मेरे प्लैज देने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वह प्लैज अगर कोई दिखाया है तो वह बोगस और झूठा है । अगर मैं उन कैडीडेट्स में होता तो मेरा उस टाई में नाम होता । मैंने तो अलग साईकल के निशान से इलैक्शन लड़ा और जीता ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब जो यह कह रहे हैं, यह तो सब कुछ गलत है, इन्होंने प्लैज ली थी ऐसा बोलने की

तो उनकी रोज की आदत है पर जो चौक से पैसे दिये थे, क्या वह भी झूठ था?

श्री राजेन्द्र सिंह : सब कुछ झूठ है (हंसी)

गृह मन्त्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : राठी साहब, आप भी उस वक्त विशाल हरियाणा पार्टी में थे? (व्यवधान)

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

DISCUSSION ON HARYANA APPROPRIATION (No. 3)

BILL, 1970 (RESUMPTION)

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे सामने जो एप्रोप्रिज्शन बिल आया है, मैं उसके बारे में अपने विचार रखना चाहती हूं । मैं सब से पहले तो अपनी सरकार को बधाई देती हूं कि हमारी स्टेट में उद्योग का कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है और उसके लिये जितना पैसा वह मांग रहे हैं, उसे देने में हमें कोई एतराज नहीं है और सरकार को जितने भी पैसे की जरूरत पड़ती है, ले, लेकिन इसके बावजूद मैं यह जरूर कहना चाहूंगी और मैने प्वायंन्ट आउट भी किया था कि यह 18 करोड़ रुपया, सारे का सारा पैसा नान– प्लान का पैसा हूँ और जो नान–प्लान का पैसा होता है उस पर हम को निगाह रखनी चाहिए कि क्या उसका इस्तेमाल ठीक किया जा रहा है कि नहीं । सरकार यह भी आश्वासन दे. कि वह नान–प्लान स्कीमों पर अधिक पैसा खर्च नहीं करेगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आगे मैं, आप को

बतलाना चाहती हूं कि 8 करोड़ रुपए की राशि सिविल सप्लाई विभाग के लिये अनाज खरीदने के लिये ही ली गई है और उस पैसे से जितना अनाज खरीदा गया है, उसका आधे से ज्यादा करनाल जिले से खरीदा गया है । इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें सुनने में आई हैं, कई बाते हैं, जिन को मैं आप के नोटिस में लाना चाहती हूं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, करनाल में 50 – 60 के करीब अनाज स्टोर करने के बिन बने हुए हैं जिन में से एक आधे बिन को देखा गया है । उस में जो माल पड़ा हुआ था, उस में 37 क्वींटल कम निकला है और जो अनाज खरीदा गया है, वह भी किसानों से 63 और 65 रुपए के हिसाब से खरीदा गया हूँ और उन्होंने पी–आर–आई (रिकार्ड) में 71 रुपए दिखाया हुआ है और बाद में उसको भी काट कर 75 रुपए किया गया है । ये बातें मेरे नोटिस में आई है और मैं समझती हूं कि किसानों के साथ यह ठगी है और इस के साथ साथ सरकार को भी ठगा गया है । अतः मेरी सरकार. से प्रार्थना है कि इस बारे में एक अलग से इन्क्वायरी करवाई जाए ताकि पता लग सके कि पैसे का हेरफेर कहां और कैसे हुआ है और जो जो लोग इस की पकड़ में आए, उन्हें सजाएं दी जाएं । इतना होने के बावजूद भी किसानों को बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं, लाडवे की मण्डी में सात–सात दिनों तक किसान पड़े रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुन– वाइँ नहीं हुई । डिप्टी स्पीकर साहिबा, देखने की बात तो यह है कि किस

तरह से सस्ते में अनाज खरीद कर जाली बिल बनाये गये ताकि सरकारी हिसाब किताब पूरा रखा जा सके । 8 करोड़ का अनाज खरीदा गया और उसका पूरा पैसा किसानों के पास नहीं गया । अफसरों के द्वारा घपला किया गया, इस बारे में तुक इन्डीपेंडेन्ट इन्क्वायरी होल्ड की जाए ।

दूसरी बात डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह है कि मैं मानती हूं कि बिजली के फैलाव में हमारे प्रान्त ने बहुत तरक्की की हूँ । इसको दोबारा दोहराने की कोई जरूरत नहीं है? इस के लिये हम अपने अफसरों, अपनी सरकार को भी बधाई देते हैं लेकिन बिजली के रेट्स बहुत ज्यादा हैं । मेरे इलाके में बिजली के रेट्स ऊंचे होने के कारण लोग ट्यूववैल नहीं लगा सकते । इतना बिजली का खर्चा वे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं और उन्होंने ट्यूबवैल लगाने के लिये सरकार से कर्जा ले रखा है । वहां पर पानी बहुत नीचा है, पर पानी है तो अच्छा । किसी गांव में चले जाइये, तीन तीन से ज्यादा कुएं नहीं होंगे । इस लिये मैं सरकार से कहूंगी कि बिजली की दरों को कम किया जाय ताकि लोग अच्छी प्रकार से काश्त कर सकें । अगर इतने. हाई रेट्स होंगे तो लोहारू, बाढडा, सतनाली और उसके आसपास के लोग कैसे. इतनी महंगी बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे? बिजली की दरें ऊंची होने के कारण लोग ट्यूबवैल नहीं लगा सकेंगे और काश्त नहीं हो सकेगी, लोग भूखे मरेंगे, गरीबी देश में आएगी, तो इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

एजुकेशन के बारे में मैने चौधरी माडू सिंह जी से भी सवाल पूछा कि क्या लड़कियों की एजुकेशन के लिये स्कूल खोले जायेंगे, जिस से शिक्षा बढ़ें । हालांकि यह बात हुमारे विधान में है कि हर नागरिक को साक्षर करना है लेकिन दुःख है कि आज 23 साल तक भी 10 फीसदी लौग एजुकेटिड नही हो सके । ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिये । सरकार को विशेषरूप से शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिये । अगली मेरी प्रार्थना है कि लोगों के लिये शिक्षा बिल्कुल की होनी चाहिये, गरीबी की वजह से लोग कम पढें लिखे हैं । मां–बाप अपने बच्चों के लिये, उनकी पढ़ाई के लिये 10 पैसे भी फीस के नहीं दे सकते और इधर हमारे अफसरों और मन्त्रियो का रहन–सहन एडवान्स कन्ट्रीज की तरह बढ़ता जा रहा है जिसका बोझा हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर पड़ता हूँ । इस चीज को बन्द किया जाना चाहिये । इस लिये मेरी सरकार से हम्बल रिक्वैस्ट है कि फ्री ऐजूकेशन के साथ साथ किताबें, कापियां, दूध और दोपहर का खाना भी बच्चों को मिलना चाहिये, तभी लोग मन लगाकर पढ़ सकेंगे और पढ़ लिख कर देश को उन्नत बना सकेंगे ।

एक और बात मैं अपने इलाके के बारे में कहना चाहती हूं । मैंने पहले भी मुख्यमन्त्री महोदय को कहा था कि सिवानी के आसपास के मुजारों की बहुत बुरी हालत हूँ, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । कहते हैं कि उन की भूमि छीन कर हरिजनों को दे दो । हमारे इलाके में भी हरिजन बसते हैं ।

काश्त के हिसाब से किसानों को वहां से हटाना ठीक नहीं है । जो 1947 के पहले के मुजारे है, उनको आज भी उखाड़ा जा रहा है । उन को उखाड़ कर हरिजनों को जमीन देना, यह कोई अच्छी बात प्रतीत नहीं होती । गरीब आदमियों के साथ ज्यादती की बात हो रही है । उनकी जमीन से उनको हटाकर अगर उनको बेघर करना है, तो दूसरी बात है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बातें कहना चाहती हूं । जो एम.एल.एज. होते हैं, हमारा काम जो होता है, जैसे मैं समझती हूं, वह होता है लैजिस्लेशन करने का, कानून बनाने का और अगर सरकार कोई पालिसी बनाती है तो उस में सलाह देने का, लेकिन मुझ इस बात क समझ नहीं आती कि अगर किसी की ट्रांसफर करवानी हो, या किसी को नौकरी दिलवाने की बात हो तो एम.एल.एज.. क्यों बीच में आते हैं? उनकी सिफारशो की क्यों जरूरत पड़ती है? यह काम तो अफसरों पर ही छोड़ना चाहिए । हां एक बात मैं कहूंगी कि आज कल पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी हद सै ज्यादा बढ़ चुकी हूँ । मेरे इलाके में सब से कम एजूकेशन है, वहां पर पांच या छः छोहरों ने बी.ए. पास किया हुआ है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती । इस लिए मैंयह चाहूंगी कि सरकार इस बात की गारंटी दे कि जितने लिखे पढ़े लड़के लड़कियां होंगी उन सब को नौकरी मिलेगी । अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो मैं यह समझूंगी कि यह सोशलिजम लाने का नारा लोगों को धोखा देने के लिए ही है

और हमारे विधान को एक्सप्लायट करने के लिए है । एक एम.एल.ए. का यह काम नहीं है कि वह लोगों को नौकरी दिलाता फिरे, यह तो सरकार का काम है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझती हूं कि अगर हम ने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चलाना है तो हम को डिवैल्पमैंट के सारे काम और ला एण्ड आर्डर का काम सब अफसरों पर छोड़ देने चाहिए । लेकिन अगर एम.एल.एज ने ही एग्जैक्टिव पोस्टों पर लगना है तो फिर एक लाख लोगों को जिनसे वोटे लेकर आते हैं क्यों धोखा देते हैं? वोट तो उनकी इस लिए ले कर आते हैं कि हम आप के हितों की रक्षा करेंगे, आप की मदद करेंगे लेकिन बाद में उनके साथ धोखा किया जाता है और औटोक्रेसी के तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं । मैं समझती हूं कि यह जो तरीका अपनाया जा रहा हैं यह ठीक नहीं है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं पुलिस के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। इसके बारे में मैं क्या बात कहूं ? इस वक्त पुलिस में जो लोग इन्डिसिप्लन फैला रहे हैं उन के बारे में अगर मैं वह लफ्ज कह दूं, जो मेरे मन में हैं, तो वह शायद अनपार्लियामैंट्री शब्द समझे जाएं और मुझे वह वापिस लेने पड़े । इस लिए मैं सिर्फ इतना ही कहती हूं कि पुलिस में इन्डिसिप्लिन बहुत ज्यादा फैल गया है । एक पुलिस के बड़े अफसर ने. इन्डिसिप्लिन फैलाया हुआ है और मैं समझती हूं कि उस में मुख्य मन्त्री साहब की भी सलाह होगी ।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : मुख्य मन्त्री की कोई सलाह नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्रीमती चन्द्रावती आई.जी. साहब को एक दिन धमकियां देंने के बाद मेरे पास आई थीं । जो अफसरान को धमकियां दे कर काम कराना चाहें उस की बात न मैं सुनूंगा और न ही हमारे आई.जी. साहब धमकियों के दवाब में आ सकते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुख्य मन्त्री साहब गलत ब्यानी कर रहे हैं । मैं जब इनके पास गई थी तो मैने इनको कहा था कि भाई साहब अगर पुलिस लोगों के साथ इस तरह से जुल्म करती रहेगी तो ऐसे काम कैसे चलेगा तो इन्होंने मुझे खुद कहा था कि आई.जी. साहब को जरा डांट देना । तो इनके कहने के मुताबिक. मैने उनको कहा था ।

श्री बंसी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह गलत बात कह रही हैं । हाउस में इस तरह से गैरजिम्मेदारी की बातें कहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए ।

श्रीमती चन्द्रावती : आप को भी चीफ मिनिस्टर बन जाने से गलत बात. कहने का अधिकार नहीं बनता और न ही अनपार्लियामैट्री लफ्जों का प्रयोग करने का. कोई हक है । उर्दू में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक कहावत है कि जब रहबर ही राहजन बन जाएं तो फिर लोग कहां रह सकते हैं । महेन्द्रगढ और नारनौल में जो कुछ हुआ उस को सब लोग जानते हैं ।

नारनौल से एक बारात गई हुई थी,उस घर में जब औरतें गायन गा रहीं थीं तो पुलिस के लोग उनके अन्दर घुस गए । एसपी. वहीं थे और कोई ऐक्शन नहीं लिया गया और एसपी. के खिलाफ, औरतों की बेइज्जती की वजह से नारनौल में दो महीने एजीटेशन चला । दादरी के एक हलवाई को पुलिस ने आग से जला कर खत्म कर दिया और अनेक लोगों पर झूठे मुकदमें बनाए गए । मुझे यह बातें यहां पर इस लिए कहनी पड़ रही है कि मैने इस के बारे में चिट्ठियां लिखीं और तारें दीं लेकिन उन के. ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई । पुलिस के एक अफसर को छोड़कर बाकी किसी भी पुलिस के अधिकारी को वहां पर भेज कर इन्क्वायरी करवा कर आप पता कर सकते हैं कि वहां पर लोगों के साथ कितना जुल्म हुआ है । आज लोहारू में भी वैसे ही हो रहा है । डिप्टी स्पीकर साहिबा जिन लोगों के हाथों में सरकार है यदि वे ही ला एण्ड आर्डर बिगाडेंगे तो ला एंड आर्डर कैसे कायम रह सकता हे यह ठीक है कि हम तो सफर करेंगे ही लेकिन आप को भी उस का नतीजा भुगतना पड़ेगा । बंगाल में जो आजकल हालात हो रहे हैं उनको देखते हुए आप को सबक सीखना चाहिए । वहां पर ऐसे हालात क्यों हुए? उस की बजह यह थी कि वहां पर भी गरीबों का ख्याल नहीं रखा जाता था । एक आदमी के पास तो दो करोड़ रुपए का मकान था और जो गरीब थे वे फुटपाथ पर सोते थे । इस लिए यहां पर भी अगर सरकार हालात को ठीक करने के लिए ध्यान नहीं देगी तो यहां पर भी बंगाल जैसे ही हालात पैदा हो सकते हैं । लोगों के ऊपर झूठे मुकदमें

बनाने कोई अच्छी बात नहीं है । हेतमपुरे में एक हुकम सिंह नाम का राजपूतों का लड़का है उस को मार मार कर उस की हड्डियां तोड़ू दी गई । (शेम शेम) डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर हम पार्टी मीटिंग में बोलें तो हम. को बोलने नहीं दिया जाता । इस लिए मजबूर हो कर मुझे यह सारी बातें हाउस में कहनी पड़ रही हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो नानआफिशियल डे लिया गया, मैं समझती हूं कि यह डैमोक्रेसी का गला घोंटने बाली बात है । ठीक है पार्टी का डिसिप्लिन होता है और हमें उस के साथ रहना पड़ता है और हम रहेंगे (विघ्न)

श्री बंसी लाल : वैसे तो आप सरकार तोड़ूने के लिए अपोजीशन के साथ कन्वैसिंग करती हैं, उनके साथ मीटिंग करती है ।

श्रीमती चन्द्रावती : मैं तो आज भी विदइन दी पार्टी चाहती हूं कि आप को बदला जाए । यह कोई छिपाने वाली बात नहीं है । बेशक जितनी बार चाहे बुलवा लीजिए । मैं तो यह चौलैंज से कहती हूं कि जो कुछ नारनौल, महेन्द्रगढ में हुआ है उस की आप इंक्वायरी करवाएं । हम को चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी पर एतकाद है । आप उन की ड्यूटी लगाएं, और बेशक आप अपने प्रिंसीपल सेक्रेटरी की ही ड्यूटी लगा दे और बह .इस बात की इन्क्वायरी करें कि दादरी महेन्द्रगढ और नारनौल में क्या क्या हुआ है? .हम कांग्रेस की सरकार को कायम रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं लेकिन अगर ‘इस में लोगों के साथ

बेइन्साफियां हों तो हम उनको दूर करवाने के लिए अपना ऐडी चोटी का जोर लगाएंगे और चाहेंगे कि कांग्रेस में और इस की सरकार में अच्छाईया फिर से आ सकें । बस मैं इतना कह कर अपना स्थान लेती हूं । जय हिन्द ।

मलिक मुख्तियार सिंह (सोनीपत) : हमारी वित्त मन्ती साहिबा ने 18 करोड़ रुपए की मांग हाउस के अन्दर रखी है जिस पर आज बहस हो रही है । मेरी तबीयत तौ नही थी कि मैं इस पर बोलृं क्योंकि कई रोज से बीमार चला आ रहा हूं ।

श्री बंसी लाल : अब आप ठीक हो गए हैं क्या?

मलिक मुख्तियार सिंह : बीमारी भी आप की ही लगाई हुई थी (हंसी) अभी मेरे से पहले बोलने वालों ने अपनी स्पीचों में बताया कि किस तरीके से सरकार बजट बनाती है । बजट तैयार करने का सिस्ट्म इतना डिफैक्टिव है जिस को देख कर हैरानी होती है । इतना लम्बा चौडा बजट जो ये आज लाए हैं इस को बजट सैशन में हमारे सामने रखना चाहिए था । बजट के अन्दरइन्होंने 12 करोड़ का घाटा दिखाया था, वह भी अनकवर्ड छोड़ा गया, पता नहीं सरकार रुपया कहां से लाती है । वैसे लोगों को धोखा देने के लिये कहते हैंकि कोई टैक्स नहीं लगाना चाहते और न कोई इस बारे में बिल लाना चाहते हैं लेकिन नोटीफिकेशन जारी कर देते हैं और उनके जरिये लोगों पर टैक्स लगा दिये जाते हैं और इन्डायरैक्ट टैक्स लगा दिये जाते हैं ।

इतना सब कुछ करने के बाद उन लोगों से शाबाश भी लेना चाहते हैं कि देखो हमने 12 करोड़ रुपये का धाटा होते हुये भी कोई टैक्स नहीं लगाया लेकिन वह टैक्स छोटी किस्म के ऐसे होते हैं .जो गरीब लोगों को ही देने पडते हैं । आप देखें कि सारे साल का बजट हमारे से पहले पास करवा कर अब फिर एकदम 18 करोड़ रुपये का बजट बना कर ले आये हैं जिसके बारे में काफी कुछ अभी लीडर आफ दी अपोजीशन ने बताया हूँ । मैं अर्ज करता हूं कि लोगों की किस्मत का फैसला इस विधान सभा के अन्दर किया जाता है और यहां पर जिस आटोक्रेसी के ढंग से और डिक्टेटराना तरीके से चीजे की जा रही हैं अगर उसे चौलैजं करने की मैंबरान के मुंह में जबान हो जो कि लाखों लोगों के नुमायंदे हैं तो मैं समझता हूं यह सारी बीमारी खत्म हो जाये । डिप्टी स्पीकर साहिबा यह 18 करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया गया है उसे यह मुख्य मन्त्री साहब एक दिन के अन्दर हमारे से पास कराकर लेकर भागना चाहते हैं और इस बेरहमी से इस रुपये को खर्च किया जा रहा है इन डिवैल्पमैट्स के कामों के अन्दर । मैं उसका बताना जरूरी नहीं समझता । यह तो अफसरों से लोगों से और ठेकेदारों से पता लगाया जा सकता है ।

उपाध्यक्षा : यह रुपया लेकर कहां भागेंगे जो आपने कहा है? (हंसी)

मलिक मुख्तियार सिंह : वह तो जब भागेंगे तब बताउंगा (हंसी) तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस बेरहमी से

यह इस रुपये को खर्च करते हैं उसके बारे में आम लोगों से, ठेकेदारों से पूछ सकते हैंकि किस तरह हिस्से मुकरर्र किये जातेहैं और साढ़े बारह फीसदी कमीशन कहीं एक महकमा से कहीं दूसरे महकमा से इक्टठा करके खर्च किया जाता है एम.एल.एज. के ऊपर । डिप्टी स्पीकर साहिबा आज इनकी सरकार में 19 वजीर हैं और इन में मैं आपको और स्पीकर साहब को शामिल नहीं करता । आप आदादोशुमार बनवा कर देख लें चाहे फाईनैंस वालों से चाहे किसी और से अंदाजा लगवा कर देख लें कि यह जो 19 वजीर हैं इन पर एक एक पर कितना खर्च आता हूँ । मैं अर्ज करता हूं कि हरियाणा सरकार एक वजीर पर एक महीने में 7 हजार रुपया खर्च करती है । इस तरह से हमारे से यह बजट पास करवा कर लूटते हैं । और एम.एल.एज. के बारे में भी सुन लो कि हरियाणा के अन्दर कैसे हालात चल रहे हैं । इन्होंने तो कांग्रेस के एम.एल. एज. को छूट दे रखी है कि चाहे किसी तरह से खाओ और किसी तरह से जनता को लूटो । ऐसे हो रहा है जैसे पहले जमाना में सुनते हैं कि जब एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई कर देता था तो जीतने वाला राजा अपनी फौज को एक दिन की लूट की छूट दे देता था और. एक दिन की लूट माफ कर दी जाती थी । आज एम.एल.एज. को लूट माफ कर रखी है मुख्य मन्ती जी ने, मुझे उनकी जात से कुछ नहीं कहना है लेकिन यह पोलिटिकल स्यासी करप्शन है ।

श्री बंसी लाल : क्या आप जो जी. टी. रोड पर लूट चलती थी उसकी बात तो नहीं कर रहे हो? वह लूट तो अब बंद हो गई है अब क्यों वहां बैठे हो? (हंसी)

मलिक मुख्तियार सिंह : मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से यह रुपया खर्च' होता है कि कारपोरेशन्ज के चेयरमैन बना दो, इम्प्रूवमैंट ट्रस्टस के चेयरमैन बना दो और उनकी कारें, कोठियां और तनखाहे भत्ते दे दो । वह अच्छा काम भी कर सकते हैं लेकिन यह बात तो गलत है कि उनको लोगों का नुमाईयंदा न रख कर नौकर बना दिया जाये । यहां का काम वह अच्छा कर सकते हैं इस लिये उनको नौकरी पर लगाने की बात ठीक नहीं । मैं समझता हूं कि इन तरीकों से हरियाणा की जनता की खून पसीने की कमाई बरबाद नहीं करनी चाहिए और इस तरह से लोगों की लूट खसूट जो हरियाणा में हो रही है उनको नहीं करानी चाहिये । इस मौका पर मुझे एक बात याद आई है । एक लाला के यहां एक जाट पाली की नौकरी पर लग गया । पाली हमारे यहां डंगर चराने वाले को कहते हैं जिसे उर्दू में चरवाहा भी कहते हैं । वह जाट उस लाला के जो काफी बड़ा जागीरदार था, डंगर चराने लगा । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह लाला उस पाली को रोज खीर और हलवा खिलाने लगा । वह जाट हलवा खीर खाता और खेतों में डंगर खुले छोड़ कर आप चादर तान कर सो जाता और डंगर तोगों की फसलों का नुक्सान करते और उनको उजाड़ देते लेकिन चूंकि वह जागीरदार के डंगर

थे इस लिये गरीब लोग कुछ न कहते थे । वहू जाट भला ऐसी नौकरी कब तक कर सकता. था । दो तीन महीने के बाद उकता गया सो सो कर । उसने लाला से कहा मुझे छुट्टी दे दो मैं नौकरी नहीं करना चाहता । लाला जी कहूने लगे कि भाई नौकरी नहीं करना चाहता तो न कर लेकिन यह बात तू भी याद रख कि मैने तेरे को ऐसा बिगाड़ दिया है कि तू और कहीं नौकरी भी नही कर सकेगा । इस पर जाट कहने लगा कि लाला एक बात मेरी भी सुन लो कि मैने भी तेरे डंगर ऐसे बिगाड़ दिये है कि इनको कोई दूसरा पाली सम्भाल भी नहीं सकेगा (हंसी) आज देखें क्या हालत हो रही है हरियाणा में । तो मै कहता हूं चौधरी साहब इनको छोड़ दो या इनको सम्भालो जो हरियाणा को बरबाद कर रहे हैं । शुरू में चौधरी साहब ने कहा कि लोग उनको बहुत डराते हैंकि मिनिस्टरी टौपल डाउन करं देंगे लेकिन मैं उन से कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात अब नहीं है टौपल डाउन करने की और आप भी अब बड़े फख्र के साथ कहते हो कि गिनती करा लो आपके साथ 53 हैं । हम भी तो यही कहते हैं कि आप ठीक हैं 53 हो और हम इधर 28 बैठे हैं अगर दो चार और की जरूरत हो तो और ले जाओ (हंसी) हम ने तो छुट्टी कर रखी है कि जिस भाई को लूट अच्छी लगती है वह उधर चला जाये कुछ भाई. गये भी है और उनसे हम ने पूछा तो वह कहने लगे क्या करे हल्के में कोई काम नहीं होता था, कोई पूछता नहीं था, अपने भी बुरे हाल थे, गुजारा नहीं होता था, खाने को नहीं मिलता था इसलिये मजबूरी थी । एक भाई उधर बैठे हैं इधर से

ही गये हैं नाम मैं उनका नहीं लेता लेकिन जब वक्त आयेगा तो उनके बारे में भी बताना ही पड़ेगा । वह हम से कहने लगे कि चौधरी साहब राय के वक्त आपके पास आ जायेंगे लेकिन अब तो जरा चाय पानी पी लेने दो (हंसी) तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आपकी मिनिस्ट्री टौपल डाउन करने की कोशिश हमारी तरफ से नहीं हो रही है आपकी तरफ से ही हो रही है । अभी एक कांग्रेस की मैंबर बोल रही थीं और आपके कारनामें आपके सामने खुद रख रही थीं (विघ्न) मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज इस किस्म के हालात हैं और यह हमें कहते फिरते हैं कि हम इनकी मिनिस्टरी को टौपल करना चाहते हैं । अगर इनको कोई डर होगा तो उनकी तरफ बैठे भाइयों से होगा । मैं कहता हूं कि जब आप 53 हो तो फिर भागे क्यों जा रहे हो? आज के नान आफिशियल डे को आफिशियल डे किया गया और कल को भी जैसे लीडर आफ दी अपोजीशन ने जिक्र किया कि नान स्टाप की तहरीक आ रही हूँ और नान स्टाप ही चलायेंगे । पता नहीं रोटी भी हमें यहां पर ही खानी पड़ेगी । मेरी समझ में नहीं आता कि जब यह 53 हैं और हम तो इधर 28 हैं तो फिर इनको डर किस बात का लग रहा है जो इतने तेजी से भागे जा रहे हैं । कम से कम उनलोगों के जजबात का तो कुछ न कुछ ख्याल करो जिनकी नुमायंदगी करने के लिए हम यहां पर आये हैं । वहां जनता से तो हम यह कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, चौकीदार है लेकिन बाद में उनको धोखा देते हैं । इन सारी बातों को हाउस के अन्दर रखने का समय मिलना चाहिए ताकि हूर एक

चीज को खोलकर कह सकें और जनता के ख्यालात या. अपने ख्यालात की तरजमानी की जा सके । लेकिन ये तो टाईम देना ही नहीं चाहते ।

उपाध्यक्षा : आप थोड़ी सीरोशनी ऐप्रोप्रिएशन बिल पर भी डालें ।

मलिक मुख्तियार सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, माफ कीजिएगा, मैं आज का मैम्बर नहीं हूं, मुझे. ऐप्रोप्रिएशन बिल का पता है, इसी पर बोल रहा हूं । आप बार बार टोकते है, चेयर की तरफ से ज्यादा टोकाटाकी नहीं होनी चाहिए । पता नहीं हमें क्यों नहीं बोलने देते?

श्री बंसी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने कहा है कि चेयर को बीच में नहीं बोलना चाहिए, इनके ये लपज वापिस होने चाहिए, ये लफ्ज चेयर की शान में ठीक नहीं । आनरेबल मैम्बर को रैलेवेंट होना चाहिए (व्यवधान) ।

मलिक मुख्तियार सिंह : अगर बीच में चेयर की तरफ से टोकाटाकी हो तो मेरा तार टूटू जाता है । जो कुछ मैं बोल रहा हूं, इससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन बिल पर और कुछ नहीं हो सकता (व्यवधान) मैं अर्ज कर रहा था कि चौधरी साहब भागना क्यों चाहते है । दोनों ही बातें हैं, भागना भी चाहते हैं और लड़ना भी चाहते हैं । लड़ाई करने के लिए भी तैयार हैं और भागने के लिए भी तैयार ।

श्री बंसी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं मैम्बर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे रैलेवेन्ट हों, ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोले । (व्यवधान)

मलिक मुख्तियार सिंह : स्टेट के अन्दर जो हालत चल रही है, उसकी बाबत बताना चाहता हूं । इन को रुपया किस तरह से दें? ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि बार बार मिनिस्टरी तोड़ना चाहते है । मैं पूछता हूं हमारे विषय में आपको क्या डर है? मैं आप को एश्योर कराना चाहता हूं कि हम नहीं तोड़ेंगे । भला अपोजीशन के 28 मैम्बर कैसे मिनिस्टरी तोड़ सकते हैं? अगर आप को डर है तो उनसे सै जो आपके अपने बीच बैठे हुए मिनिस्टर है । जो आज से चन्द रोज पहले 16 तारीख की शाम को, जैसे कि राव बीरेन्द्र सिंह जी ने जिक्र किया था कि एक व्यक्ति जो साढ़े छः फुट लम्बे है, ने उन्हें यहां चण्डीगढ से बुलाया था । हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वे गौर से सुन लें क्योंकि कोई बात छुपाने से नहीं छुपती । जहां पर इन्होंने इनकी ननद के घर 78 थामसन रोड पर, डाक्टर कमला के घर रात को डेढ़ बजे तक साजिश की

वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : बिल्कुल गलत बात है ।

मलिक मुख्तियार सिंह : अगर आप धर्म उठाकर और अपने लड़के की कस्म उठाकर कह दें कि यह गलत बात है तो मैं

हाउस का मुल्जिम हूंगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप हाउस की एक कमेटी मुकर्रर करें, वह कमेटी जो सजा मुझे दे मैं मानने के लिए तैयार हूं । और मैं यह कहता हूं कि यह ठीक बात है कि वहां पर रात के डेढ़ वजे तक साजिश होती रही ।

श्री बंसी लाल : क्या यह सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स पर डिसकशन हो रही है?

मलिक मुख्तियार सिंह : मैं ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोल रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं वह क्वाईट रैलेवेंट है (व्यवधान)

श्री बंसी लाल : साढ़े पांच बजे मुझे बोलना है (व्यवधान) ।

मलिक मुख्तियार सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये जनता को बदनाम करना चाहते हैं । अपनी ही हाई कमांड के अन्दर ये साजिशें करते हैं । वे महानुभाव अपनी कार से दिल्ली नहीं गये, बस से गये ताकि कहीं चीफ मिनिस्टर साहब को पता न लग जाये कि रात के डेढ़ बजे से पौने छरू बजे तक साजिश करते रहे ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : यह गलत बात है (व्यवधान) ।

मलिक मुख्तियार सिंह : प्रोफैसर शेर सिंह की मारफत उस आदमी को बुलाया गया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये बातें छुपाने से नहीं छुपती । इन बातों का जनता को पता होना चाहिए और चौधरी साहब को अहसास होना चाहिए कि ये इनके डर से भागना चाहते हैं

Shri Bansi Lal : Madam, **Deputy Speaker :** the hon. Member is not speaking on the Appropriation Bill. Either he should be asked to resume his seat or he should come to the Appropriation Bill.

Deputy Speaker : I have already requested him to be relevant.

Shri Bansi La! : The hon. Member is wasting the time of the House.

Malik Mukhtiar Singh : I am speaking on the Appropriation Bill and am quite relevant.

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, मैं आप से रिक्वैस्ट करती हूं कि आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोले । वैसे आप को टाईम भी काफी हो गया है बोलते हुए । आप का टाईम खत्म हो चुका है ।

मलिक मुख्तियार सिंह : टाईम तो मेरा बहुत बाकी पड़ा है । अगर चौधरी साहब को अच्छा नहीं लगता और उनकी हिदायतों के मुताबिक नहीं है तो मुझे बता दें ।

उपाध्यक्षा : हिदायत की कोई बात नहीं है । आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें ।

मलिक मुख्तियार सिंह : आपको तो हमें बोलने के लिए आजादी देनी चाहिए । कम से कम इन मैम्बरों को तो पता चले कि यह बीमारी कहां से शुरू हुई है । यह बीमारी खुद इन के घरों के अन्दर फैली हुई है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये कहते हैं कि यहां पर दिखाने के लिए हमारे पास एक टीम है । इस टीम के मैम्बरों को इस तरह से कमरों के अन्दर जबरदस्ती बांध कर रखा जाता है ताकि वे रिवोल्ट न कर जाएं । सात आठ मैम्बर किसी एक मैम्बर की जेब में पड़े हैं, अगर चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं पता तो मैं बताये देता हूं ताकि ज्यादा के लिए ये मोहतात रहें और हमारी तरफ से कोई अन्देशा महसूस न करें कि मिनिस्टरी हम गिराना चाहते हैं । ये अपने घर को सम्भाल लें ।

उपाध्यक्षा : यह इनका पार्टी मैटर है

मलिक मुफ्तियार सिंह : मुझे इनके साथ हमदर्दी नहीं है, स्टेट के साथ हम– दर्दी है । 18 करोड़ रुपए का जो सप्लीमेटरी ऐस्टीमेट्स हमारे सामने पास करने के लिए रखे हैं ये इस मिनिस्टरी के लिए मांगा है, स्टेट के लिए नहीं । इन्होंने स्टेट के पैसे को लूटमार करने के लिए खुली छुट्टी दे रखी है । इस तरह से लूटमार नहीं करनी चाहिए, ढंग से स्टेट को चलाना चाहिए । हमारी वित्त मन्ती महोदया, 18 करोड़ रुपये की डिमांड्ज

हम से पास करवाकर लेना चाहती हैं । मैं इन मैम्बर साहिबान को बता देना चाहता हूं कि यह रुपया आप देंगे किस को? किस को देना चाहते हैं? क्या आप उन को देना चाहते हैं जो सोलिडेरेटी, होमियोजैनिटी और ज्वायंट रिस्पोंसिबिलिटी की बात करते हैं? यह चीज आप अपने अन्दर महसूस कर लें और सोच लें कि किस को देना है । ये जो पीछे बैठे हुए मिनिस्टर हैं जो यहां सोग मनाने के लिए आयें हैं ? (व्यवधान) ।

उपाध्यक्षा : अगर आनरेबल मैम्बर बोलना चाहते हैं तो अपनी स्पीच वाइड–अप करें ।

मलिक मुख्तियार सिंह : अगर आप हुक्म दें तो मैं बैठ जाता हूं ।

उपाध्यक्षा : और भी मैम्बर बोलना चाहते हैं, आप से रिक्वैस्ट है कि आप वाइंड–अप करें ।

मलिक मुख्तियार सिह : मैं यहां रामायण पढ़ने के लिए नहीं आया मैं अपने (विघ्न) ।

Shri Bansi Lal : Madam, Deputy Speaker, the time left is only 45 minutes when other Members from both sides have also to speak. The hon. Member should not be allowed to repeat one thing again and again. He simply wants to waste the time of the House and should be asked to cut short his speech. Other party is also there. Other members also want to

speak. The distribution of time should be proportionate.

Deputy Speaker : It is my duty. I am requesting the hon. Member to wind up as other members also want to speak. He should now wind up so that 1 could give time to the other members.

WALK OUT

मलिक मुख्तियार सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसका हुक्म मानूं । आपका हुक्म मानूं या इन की बात मानूं । चेयर पर तो आप बैठी हुई हैं परन्तु पता नहीं क्यों ये आपका काम कर रहे हैं? मैं एक पुराना पार्लियामैन्टेरियरन हूं और जानता हूं कि किस तरह से ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोला जाता है परन्तु ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई मैं नया आदमी हूं ।

As a protest I do not want to continue my Speech and stage a walk out.

(4t this stage Malik Mukhtiar Singh staged a walk out)

DISCUSSION ON HARYANA APPROPRIATION (No. 3) BILL 1970 (RESUMPTION)

समाज कल्याण मन्त्री (सूबेदार प्रभु सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आन ए प्वायंट आफ आर्डर मेरी एक गुजारिश है । चौधरी मुख्तियार सिंह ने शुरू में कहा था कि इस सरकार के वजीर डिवैल्पमेंट के काम में साढ़े बारह परसेंन्ट कमीशन लेते हैं । वे या तो इन शब्दों को वापिस लें या इन्हें प्रोसीडिंग्ज से

निकाल दे ना चाहिए क्योंकि ये लफ्ज गलत है । इस तरह की बात करने का उनका यह बड़ा गलत तरीका है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्षा : जब उन्होंने ये शब्द कहे थे उस वक्त आप मेरे नोटिस में लाते । खैर, मैं रिकार्ड देख कर अपना फैसला दूंगी । (शोर)

(कुछ सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

उपाध्यक्षा : श्रीमती शारदा रानी ।

चौधरी बनवारी राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके बाद आपने मुझे टाईम देने का वायदा किया था ।

उपाध्यक्षा : मैं अपने वायदे को भूली नहीं हूं, आप को जरूर टाईम दिया जाएगा ।

चौधरी जय सिंह राठी : श्रीमती शारदा रानी के बाद क्या मुझे टाईम मिलेगा?

उपाध्यक्षा : आप आपस में फैसला कर लीजिए ।

चौधरी लाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम ।

उपाध्यक्षा : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए ।

चौधरी लाल सिंह : मैं प्वायंट आफ आर्डर कर रहा हूं (ऊंचे स्वर में)।

उपाध्यक्षा : अगर आप हाउस के अन्दर इस तरह से बोलेंगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगी ।

चौधरी लाल सिंह : मैं हाउस का मैम्बर हूं ।

उपाध्यक्षा : वह तो ठीक है परन्तु हाउस में इस तरह से नही बोला जाता । जब तक मैं इस सीट पर हूं मैंहाउस को आर्डर में रखूंगी । मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि कोई मैम्बर इधर का है या उधर का हूँ । (विरोधी पक्ष की तरफ से प्रशंसा) मैं लीडर आफ दी हाउस से रिक्वैस्ट करूंगी कि वे अपने मैम्बर को कहें कि वे इस तरह से हाउस के अन्दर न बोलें । अगर वे आयदा इस तरह से बोलेंगे तो मैं उन्हें बिल्कुल एलाउ नहीं करूंगी और

चौधरी लाल सिंह : मैं यहा बोलने के लिए आया हूं (शोर)

उपाध्यक्षा : जब मैं कहूंगी तब बोल सकेंगे ।

Deputy Speaker : You will speak when you are called upon to do so. Otherwise, you will not speak. This is not your House. It is a House. I will name you if you spoke like that.,

Shri Bansi Lal : Madam, Deputy Speaker, I would

also like to point out at this stage that I mentioned it twice, thrice or rather four times when Chaudhri Mukhtiar Singh was speaking that the time given to the parties, the Opposition and the Treasury Benches should be accor ding to the ratio of their members. Rao Birender Singh spoke for 40 minutes and Chaudhri Mukhtiar Singh, another member from the opposition spoke for 21 minutes. Only one member from our side, Shrimati Chandravati, has spoken for 16 minutes, Madam, Deputy Speaker, we want fair distribution of the time and I would request the Chair that fair distribution of time should be there.

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, जब स्पीकर साहब चेयर पर थे उस वक्त कितना टाईम दिया गया या कितना नहीं दिया गया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती लेकिन अब मैं जितना टाईम इधर दुंगी उतना ही टाईम उधर दूंगी । (विरोधी पक्ष की तरफ से प्रशंसा)

Shri Bansi Lai : Chair is Chair whether the Speaker is presiding or the Deputy Speaker is presiding. The distribution of time should be fair.

उपाध्यक्षा : सब को टाईम ईक्वल मिलेगा । अभी तक की रवायात के मुताबिक तो यह है कि एक मैम्बर इधर से बोले और एक मैम्बर उधर से बोले । जब तक मैं चेयर पर हूं, मेरे लिए दोनों पार्टीज बराबर हैं । मैने हमेशा दोनों को ईक्वल समझा है । अगर इससे पहले यह चीज मेरे नोटिस में आ जाती तो मैं ईक्वल टाईम देती । मेरी नालेज से पहले यह चीज हो गई ।

श्री बंसी लाल : ईक्वल नहीं, हमें ज्यादा टाईम दिया जाए ।

उपाध्यक्षा : ज्यादा नहीं, ईक्वल टाईम दिया जाएगा ।

Shri Bansi Lal : It cannot be under any rule.

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, एप्रोप्रिऐशन बिल्ज के लिए इन्होंने एक दिन रखा है और उसके साथ और बिजनैस भी रखी है । तो इसमें हमारा कसूर नहीं है अगर हाउस को कम टाईम मिल रहा है । अगर ये ज्यादा टाईम के लिए इंसिस्ट करते हैं तो इस बिजनैस के लिए कम से कम' दो या तीन दिन चाहिएं ताकि मैम्बरों के हिसाब से टाईम मिले । अगर ये इस बात को नहीं मानते हैं और इंनसिस्ट करते हैं कि एक ही दिन में होना चाहिए तो अपोजीशनै का यह हक है कि उसे ज्यादा टाईम मिले । (विघ्न)

Shri Bansi Lal : The House has fixed the time on the recommendations of the Business Advisory Committee. Now they want to waste our time.

राव बीरेन्द्र सिंह : अपोजीशन का हक ज्यादा है । हमारी बात अगर ये मानें तो तीन दिन तक डिसकशन करायें । एप्रोप्रिएशन । बिल तीन है । अगर टाईम कम रखते हैं और सिर्फ अपोजीशन का गला घोंटने के लिए कम रखते हैं तो किस हिसाब से ये ज्यादा टाईम मांगते है ।

उपाध्यक्षा : अपोजीशन को पूरा टाईम मिल रहा है । श्रीमती शारदा रानी आप बोलिए ।

श्रीमती शारदा रानी कुँवर (बल्लभगढ) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आज ऐप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर बहस हो रही है । हम सब जानते हैं कि हरियाणा एक डैमोक्रेटिक स्टेट है, हम सब एम०एल०एज० हैं, चाहे कोई ट्रेजरी बैन्चिज पर हैं या अपोजीशन में हैं और आप यह समझती हैं कि डैमोक्रेसी की रक्षा के लिए हमारा और अपोजीशन का दोनों का ही कर्त्तव्य है कि जनता का जो पैसा है उसे अच्छी तरह से यूज किया जाये और जो भी मैम्बर्ज हैं उन को यह चाहिए कि उसके .लिए अच्छी सजैशन्ज दें । मैम्बर्ज को चाहिए कि वे बतायें कि यहां पं सा ठीक इस्तेमाल हो रहा है और वहां पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन बड़ी शर्म आती है कि जब हम देखते हैं कि इस हाउस के बड़े बडे़ अच्छे अच्छे मैम्बर्ज, बड़े पुराने मैम्बर्ज, बड़े अच्छे पार्लियामैन्टेरियन्ज इन बातों में न जाकर किसी को रिजैक्टीड माल बताते हैं, किसी की डंगरों के साथ तुलना करते हैं और किसी के बारे में दूसरी बातें करते हैं । मैं सोचती हूं किसी भी डैमोक्रसी के लिए यह चीज ठीक नहीं है । मगर जब हमारे किसी पार्लियामैटेरियन ने कुछ बातें कही है तो मैं समझती हूं कि उन के जवाब में कुछ कहना चाहिए । हमारे यहां पर बड़े वरिष्ठ मैम्बर बैठे हैं राव साहब । उन्होंने कहा कि गवर्नमंट का ज्यादातर पैसा एक मैम्बर की कंस्टिच्यूएंसी की तरफ जाता है, एक मैम्बर के

इलाके की तरफ जाता है क्योंकि वह मैम्बर सब से ज्यादा पावरफुल मैम्बर स्टेंट का है । मै सोचती हूं, मैडम, उन्हें अपना टाईम याद करना चाहिए वह पी०डब्ल्यू०डी ० मिनिस्टर थे

राव बीरेन्द्र सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सदर साहिबा, मैं यह अर्ज करूंगा कि ये ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें ।

कुछ आवाजें : उसी पर बोल रही हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह मौजूदा सरकार की बात करें । पिछली सरकार की बात करने का यह मौका नहीं है ।

श्री बंसी लाल : इन के काले कारनामों की बातें जरूर होनी चाहिएं ।

श्रीमती शारदा रानी : जब ऐप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, मेरा कर्त्तव्य है कि उनको सही करके लोगा को बताऊं ताकि सुनने वाले लोगों को कोई गलतफहमी न रहे ।

मैडम, वे पी०डब्लयू० डी० मिनिस्टर भी रहे और कुछ टाईम के लिए चीफ मिनिस्टर भी रहे । मुझे याद है कि सड़कें या दूसरे डिवैल्पमेंट के काम जो

5.00 P.M.

कुछ भी वे कर सकते थे उन्होंने रिवाड़ी साईड पर ही किये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप के गांव में तो मैंने सड़क बनवायी थी ।

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : मैने आप के टाईम में कोई भी सड़क बनती हुई नहीं देखी । वह सड़क आपने नहीं बनवायी, जो हमारे गांव में बनी हुई है वह तो श्री मूल चन्द जैन जी ने बनवायी थी । वह रिकार्ड पर मौजूद है । तो मैडम, मुझे याद है यह दिल्ली–मथुरा रोड़ जो इस समय चमकती हुई है उसके दोनों तरफ कोई भी डिवैल्पमेंट का काम, बिजली का काम, सड़क का काम, ट्यूबवैल का काम, या स्कूलों का काम उनके टाईम में नहीं हुआ । लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज जिसके लिए ये कहते हैं कि वह मैम्बर सारे डिवैल्पमैंट के काम अपनी ही तरफ ले गये, ठीक है मैं मानती हूं वे अपनी तरफ को ले गये हैं । कुछ वक्त पहले उस इलाके की हालत यह थी कि एक एक बच्चा, एक एक बून्द, एक एक घूंट और एक एक गिलास पानी के लिए रोता रह जाता था परन्तु पानी नहीं मिलता था । मैडम, वह इलाका इस प्रकार का है जहां पर एक बार बाजरे की रोटी मिल पाती है तो दूर सरी बार नहीं मिल पाती है । इसलिए उन लोगों का भी वही अधिकार है जो इस स्टेट के दूसरे हिस्सों का अधिकार है । इस स्टेट के दूसरे हिस्सों की तरह वे भी दुनिया की चमक को देखें, पेट भर कर रोटी खायें और दुनियां की दूसरी चीजों को भी देखें । अगर एक नग्लैक्टिड हिस्से की तरफ स्टेट का ज्यादा पैसा चला

जाता है तो उस में कौन सा गुनाह हो गया, कौन सा इ तना बड़ा कसूर हो गया?

मैडम, जैसा कि अभी राव साहब ने कहा और जैसा कि ये समझते हैं कि हम सब चीफ मिनिस्टर साहब के पिछलग्गू हैं इस बारे में अर्ज यह है कि वे इसलिए इस बात को कहुते है कि उन के साथी कुछ मैम्बर्ज कांग्रेस में आ गये हैं और उन के कहने के मुताबिक वे रिजैक्टिड माल हो गये हैं । यह गलत बात है उन को इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए । वे भी राव साहब की तरह से वोटों की मेजोरिटी से हाउस में चुन कर आये हैं । वे भी जनता के चुने हुए मैम्बर है, वे यह भी समझते हैं कि यह स्टेट एक छोटी सी. स्टेट है, यह नयी बिल्ट स्टेट है । यह स्टेट इस लिए नहीं है कि यहां. पर आये दिनों इलैक्शनो का भार जनता पर लादा जाये और जनता को परेशान किया जाये ।रू वे यह सोच समझ कर कांग्रेस की ओर आये हैं कि स्टेट के लिए एक मजबूत गवर्नमेंट की जरूरत है । वे यह समझते हैं कि स्टेट के लिए ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो स्टेट का विकास करे, डिवैल्पमेंट करे ।

चौधरी जय सिंह राठी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम । डिप्टी स्पीकर. साहिबा, ये मैम्बरों को हिदायतें, ये इनस्ट्रक्शन्ज, ये खुदशात, क्या ये ऐप्रोप्रिएशन बिल का कोई हिस्सा है?

उपाध्यक्षा : यह आपका प्वायंट आफ आर्डर नही है । हरेक मैम्बर को पूरी आजादी है वह अपने दिल की भावना और अपनी बात कह सकता है । इसलिए शारदा जी को पूरी आजादी है और उसको बोलने की इजाजत देती हूं. ।

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : मैडम, मैं चौधरी जय सिंह राठी से यह कहना चाहती हूं कि यदि मैं ऐप्रोप्रिएशन बिल पर नहीं बोल रही हूं तो राव साहब और चौधरी मुख्तियार सिंह जी से पूछिए कि क्या वे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोले थे? तो मैडम मैं यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने अर्थात् राव साहब ने एक बात कह कर जनता को गुमराह करना चाहा है । वे कहते है कि चण्डीगढ को बेच दिया गया है । मैं तो यह कहूंगी कि चण्डीगढ बिका नहीं था बल्कि आज से काफी दिन पहले चोरी हो गया था । इस सरकार ने तो चण्डीगढ के बदले में कई ग ना कीमत का माल ले कर चण्डीगढ को ट्रेस किया है (प्रशंसा) यह चण्डीगढ की बात तो बहुत पुरानी पड़ गयी है । इन सब बातों को तो राव साहब आपको छेड़ना भी नहीं चाहिए था ।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह माल कहां है?

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : वह माल हमारे पास है । अगर हमें वह म नहीं मिलेगा तो चण्डीगढ हमें मिलेगा । मैडम, राव साहब ने कहा कि सारा रुपया चला गया, खून खराबा हो रहा है, इर–रेगूलेरेटीज हो रही हैं, बेतुका पैसा खर्च हो रहा है । आप

और हम सब जानते है' कि इस वक्त हरियाणा के अन्दर क्रान्ति लाई जा रही है और वह भी विकास की क्रान्ति । मेरे विचार से आने वाली पीढ़ी इस इतिहास को बड़े गौर से पढ़ा करेगी ।

राव बीरेन्द्र सिंह : हां, यह काला जमाना नहीं बदलेग1. ।

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : राव साहब, यह काला जमाना नहीं है यह स्वर्ण युग का इतिहास होगा । आप जानते हैं कि जब क्रान्ति आया करती है चाहे वह किसी भी किस्म की हो, आप क्रान्तियों के इतिहास को उठा कर देख लीजिए रूस क।, योरुप का उन सब में कुछ न कुछ इर–रेगूलेरेटीज होती रही ह, कुछ लोगों को तकलीफें भी होती रही है और धीरे धीरे वे सम्भल जाते रहे है ।

मैडम, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था लेकिन जब राव साहब ने कहा कि ''मैंने आपकी तरफ निगाहें नहीं डाली है '' तो मैं उन निगाहों की करतूतें आप को बता देना चाहती हूं । ये हम लोगों को बहुत कुछ कह रहे थे कि मैम्बर को उठा लिया, किडनेप कर लिया और भी पता नहीं क्या क्या कहा । मैम्बरों को रिजैक्टीड माल बताया गया । तो खैर जो कुछ इन्होंने कहा वह इनका कसूर नहीं हूँ, वह कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि अब तो अंगूर खट्टे है ।

मैडम मुझे याद है कि एक बार निगाहों की बात आयी और उनको यह जुर्रत हुई कि मेरी तरफ निगाह करने से कुछ बात बन जाये । वे मेरे यहां आये । पहले तो उन्होंने चौधरी रणबीर सिंह जी को भेजा, उन के पीछे हमारे एक एम०एल०ए० के भाई भी थे जो हरियाणा सरकार में एक उच्च अधिकारी भी हैं (शोर) वे अर्थात् चौधरी रणबीर सिंह जी एक बार भगवत दयाल के यहां भी चाय पीने वे लिए गये थे और मैं भी यह सोच रही थी कि वे मेरे यहां किस लिए आये है? (शोर)

चौधरी रणबीर सिंह : शारदा बहिन के यहां हमने चाय भी पी थी । पांच मिनट से ज्यादा टाईम चाय पीने मे नहीं लगाया । (शोर)

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : फार करट्सी–सेक चाय तो मैंने पिलानी ही थी । (शोर)

चौधरी रणबीर सिंह : जितना टाईम चाय बनाने में शारदा बहिन ने लगाया, इस के अतिरिक्त हम ज्यादा समय तक वहां नहीं रहे । बहिन ने खुद कहा कि आप चाय पीकर ही जाना ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या चाय पीने का टाईम रात के तीन बजे होता है?

चौधरी रणबीर सिंह अगर कांग्रेस पार्टी के मैम्बर के साथ चाय पीना भी जुर्म है, तो उसका मैं मुल्जिम हूं । उस समय सवेरे के छह बजे थे ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : अपोजीशन लीडर के साथ चाय पीने का क्या मतलब है?

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, उन्होंने अभी कहा कि राव साहब बाद में आये । तो इससे असत्य भाषण कोई नहीं हो सकता । लाला बनारसी दास जी मैं आपकी तरह से कांग्रेस छोड़ कर नहीं गया । जब कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी छोड़ कर भाग गये । पता नहीं कितनी ही पार्टियां आपने बदली हैं ।

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी बहिन जी कहू रही थीं कि रात के तीन बज गये थे । तो बहिन जी आप ने दरवाजा ही नही खोलना चाहिए था । हमें समझ नहीं आया यह क्यों खोला गया, क्या मामला है? (शोर)

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : एक्सक्यूज मी मैडम । श्री मंगल सैन जी को मै बता देना चाहती हूं कि जब ये गये उस समय मेरा दरवाजा बन्द था, निश्चित रूप से बन्द था ।

श्री मंगल सैन : मैं तो उनके साथ नहीं था ।

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : मैं तो चौधरी रणबीर सिंह जी की बात कर रही हूं । आप मेरे घर नहीं आ सकते हैं और न ही आपकी इतनी हिम्मत है ।

Deputy Speaker : I would request the hourable lady member to address the Chair.

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : मैडम ऐप्रोप्रिएशन बिल पर कुछ गलत बातें कह कर गुमराह किया जा सकता है । तो मैं उनको सही बात बताऊंगी । मैं वह निगाह वाली बात भी वहां हाउस में बताना चाहती हूं ।

Deputy Speaker : Please do not refer to this word again and again (Laughter)

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : मैडम, अब बात चली है इसको पूरा' करना चाहिए क्योंकि अधूरी रखने से मेरे ख्याल में लोगों की नजरों में यह बात गलत की जा सकती है । इस लिये मैं आप से इजाजत चाहती हूं । आप मुझे सिर्फ यही बात कहने दें, उसके पश्चात मैं अपने प्यायंट पर आ जाऊंगी ।

मैं बता रही थी कि चौधरी रणबीर सिंह जी का नाम सुन कर मैने दरवाजा खोला । चौधरी रणबीर सिंह हमारे कांग्रेस के सदस्य थे । मेरी समझ में नहीं आया कि हमारे इतने बुजुर्ग साथी रात के समय किस लिये आये हैं । उनके साथ हमारे अपने एम. एल. ए. के भाई थे जो कि हरियाणा गवर्नमैटं में एक अफसर हैं । वे तो मुझे देख कर वहां से भाग गये । उस के बाद वहां

राव साहब आये । उन्होंने मुझे काफी कुछ कहा और खूब लालच भी दिया जो कुछ कह सकते थे कहा लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहां पर दाल नहीं गलेगी तो फिर उनकी निगाह उठाने की जुर्रत नहीं पड़ी । यही नहीं मैडम, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि एक बड़े गलत और भद्दे तरीके से इन्होंने मेरे से ब्लैक–मेल करना चाहा । मेरे ख्याल में हरियाणा के सारे लोग जानते होंगे । अखबारों में वह जलील से जलील बातें इन्होंने छपवायी जिसको कोई भी रीजनेबल आदमी कम से कम एक लेडी की इज्जत पर, एक हरियाणा की बहिन की शान में ऐसी बातें नहीं करवा सकता और फिर उनके बदले में मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गयी । कुछ आदमी मेरे पास आये, मैं उनकी शक्ल देख कर बता सकती हूं अदरवाइज वे मेरे लिये अनजान आदमी थे । अगर मैं उन की शक्ल दोबारा देखूं तो मैं उन को पहचान सकती हूं । इस तरीके की बातें इन लोगों ने की हैं । मैं यह समझती हूं कि जितने भी मैम्बर यहां बैठे हैं और जो इस कांग्रेस सरकार का साथ दे रहे हैं वे इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं ।

मैं मानती हूं राव साहब एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छी परसनैलटी रखते है और कभी कभी लोग उन की वेकार की बातों से बहक भी जाते हैं । (व्यवधान)

ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके मन में हरियाणा स्टेट के लिये प्यार नहीं है । मैं तो ऐसा समझती हूं कि सबके मन में हरियाणा स्टेट के लिये प्यार है । एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर

डिमान्ड्ज रखी गयी हैं । आज हमारे यहां डिवैल्पमेंट का काम हो रहा है । जूई कैनाल अपने में ही एक मिसाल है । सब जानते है कि भागीरथ ऋषि यहां पर गंगा को लाये थे अर्थात् ऊपर के पहाडों का पानी नीचे लाये थे और जनता आज तक उनकी पूजा करती है । हमारी सरकार नीचे से ऊपर पानी ले जाकर लोगों को सिंचाई की सुविधा देना चाहती है । शायद जनता को पानी ऊपर पहुंचने की आशा भी नहीं होगी । इस तरह के हुमारे यहां .आज काम हो रहे हैं जिन की आशा नहीं थी । हमारी डिवैल्पमैटं क्योंकि तेजी से हो रही हैं इस लिये यह सही है कि कुछ गल्तियां होंगी । मैं अपने कुछ विचार रखना चाहती हूं और यह आशा करती हूं कि सरकार उनको ऐप्रीशियेट करके, उन पर विचार करेगी ।

मैडम, यहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । इस में कोई शक नहीं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के युग से, पता नहीं शायद उससे भी पहले से हमारे देश में बहुत खराब चला आ रहा है । कारण कोई गवर्नमैण्ट या कोई दूसरी चीज नहीं होती इसका कारण तो सब जानते हैं कि इस देश में नेशनल करैक्टर की कमी है । हम अपने. देश या प्रदेश के हित को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ पहले पूरे करना चाहते हैं । जब हम किसी पद के ऊपर लग जाते हैं तो हमारे अन्दर कुछ बदले की भावना आ जाती है । हमारे अन्दर अपना घर भरने की इच्छा प्रबल होती है । मैं ऐसा समझती हूं कि

नेशनल करैक्टर के अभाव में वह स्वाभाविक ही है और केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान भर में यही समस्या है । मैं समझती हूं हमें इस को दूर करने के लिये कुछ करना चाहिए ।

मैने देखा है कि आफिसिज के अन्दर फाइलें पड़ी रहती हैं और कोई भी काम जल्दी नहीं होता । काफी फाइलें महीनों पड़ी रहती हैं और आफिसर्ज उन्हें नहीं निकालते । जहां तक मैं समझती हूं इसका कारण यह है कि हमारे आफिसर्ज को यह लगा रहता है कि पता नहीं यदि मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी नौकरी पर कोई खतरा पड़ जाय या यदि ऐसा न किया तो कोई और मुसीबत आ पड़े । मैं चाहूंगी कि उनकी सर्विसिज की सिक्योरिटी होनी चाहिये । वे यह भी सोचते हैं कि आज यदि इस गवर्नमैण्ट के कहने पर कुछ कर देंगे तो शायद कल को जब दूसरी गवर्नमेंट आयेगी तो उनको शन्ट आउट कर देगी । मैडम, मैं चाहती हूं कि विकटेमाइजेशन को रोकने के लिये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट स्थापित की जानी चाहिये। जिससे कि कर्मचारियों व अफसरों को न्याय मिल सके और उनको उन्हें गवर्नमैण्ट के शन्ट आउट करने की संभावना न हो । इस से. विकास के सारे काम पूरे हो सकेंगे तथा वे लोक मन के साथ काम करेंगे ।

मैडम, मेरा दूसरा सुझाव एजुकेशन के बारे में है । चौधरी हरद्वारी लाल जी ने भी हाउस में बताया था कि पढ़ाई स्कूलों में ठीक नहीं होती, कालेजों में ठीक नहीं दो ती और

यूनिवर्सिटी में भी ठीक नहीं हो रही है । पढ़ाई का स्टैडर्ड जो होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है । स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने से ऊंचा नहीं होता बल्कि स्टैंडर्ड प्क मनोवृत्ति बदलने से ऊंचा होता है । मैं समझती हूं कि वह मनोवृत्ति पुन : दली जा सकती है और उसका बदला जाना बहुत जरूरी है । हमारे आज के स्कूलों से निकलने वाले जो बच्चे हैं वह क्लर्की या कागजी काम करते के अलावा और कुछ नहीं कर सकते । उनको यह सिखाया जाना चाहिये कि श्रम की महत्ता क्या है । उनको यह भी सिखाया जाना चाहिये कि यदि वे किसी भी फील्ड में श्रम करेंगे तो इससे न केवल अपना जीवनयापन ही करेंगे बल्कि स्टेट को भी आगे बढ़ाने मे मदद कर सकेंगे । स्कूलों के कैरिकुलम या पाठ्यक्रम में इसके लिये परिवर्तन करने की जरूरत है । मैं चाहती हूं कि इस मशीन के युग में ये कुछ तो करें । शिक्षा ऐसी हो कि छोटी 2 मशीनों द्वारा बच्चे कुछ करने योग्य हो सके । लडकों को साईन्स के लिये एनकरेज किया जाये और शिक्षा में साईन्स के ऊपर जोर दिया जाये । जो उन्हें लैक्चर्ज दिये जायें, वह ऐसे हों जिनसे कि उन के दिलों में श्रम से घृणा पैदा न हो जाये ।

मैडम, तीसरी बात मैं एनीमल हसबैडंरी के बारे में कहना चाहती हूं । एनीमल हसबैडरी के बारे में हमारी सरकार ने जो पैसा दे रखा है, मैइसकी कदर करती हूं और उसका पूरा समर्थन करती हूं । एक चीज जो मुझे थोड़ी सी खटकती है वह डिसक्रिमिनेशन की है । जब मैने देखा कि सरकार कहां—कहां

मिल्क सैंटर खोलने वाली है तो ऐसा लगा जैसे हमारी स्टेट के एक हिस्से और दूसरे के बीच थोड़ा सा डिसक्रिभिनेशन हो रहा है ।

हमारे बल्लभगढ की तरफ मिल्क सैंटर की हरियाणा सरकार की कोई प्लान नहीं है जबकि जीन्द की तरफ हरियाणा गवर्नमैंट की प्लान है । यह ठीक है कि वहां पर (बल्लभगढ में) दिल्ली मिल्क स्कीम की प्लान है फिर भी वहां पर लोगों को दूध का उचित पैसा नहीं मिल पाता है । बल्लभगढ और गुड़गांव की तरफ मैने देखा है कि वहां पर लोगों को जितना पैसा हरियाणा सरकार की स्कीम के अनुसार दूध से प्राप्त होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है । मेरे ख्याल से हरियाणा गवर्नमेटं को वहां पर भी स्कीम अपने हाथ में लेनी चाहिए तभी वह वहां के लोगों को कुछ फायदा पहुंचा सकती हूँ अन्यथा नहीं । (व्यवधान)

महन्त गंगा सागर (झज्जर) : काट ले, ले काट ले,

ये गर्दनें हैं काट ले,

मगर तेरे खंजर पे रहेगा,

हम हजारों का लहू ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने मुझे इस सरकार की 18–19 करोड़ रुपये की सप्लीमैटरी डिमान्डज और ऐप्रोंप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया है इस के लिये मैं आपका बहुत ही

शुक्रगुजार हूं । यह सरकार जो कि लम्बी–चौड़ी डींगें मारती है, उसका जिक्र आपके सामने काफी जेरे बहस आया है । हाउस में कई बार मैजोरिटी का जिक्र आया है और इस सरकार ने जो किऐप्रोप्रिएशन बिल हाउस में लाई है, 53 सदस्यों का रिकार्ड दिखाया है । आप मुलाहिजा फरमायें, इन वजीर साहिबान की सच्चा पर, कि आया इनमें डिफैक्टर्ज की मैजॉरिटी है या नहीं है । जिस सरकार ने यह बजट तैयार किया है हमें उसमें डिफैक्टर्ज की तादाद ज्यादा नजर आती है क्योंकि हमारे कई साथी पदवियों के लिये इस सरकार में गए हुए हैं ।

स्वास्थ्य मन्त्री (खुरशीद अहमद) : महन्त साहब, आप किस कैटेगरी में

आते हैं?

महन्त गंगा सागर : आप हमारी फिक्र मत कीजिये । हमें तो खुशी है कि हुमारे भाइयों को किसी वजह से कुर्सियां तो मिल गई । आपको तो खुश होना चाहिए हमने इन डिफैक्टज साथियों से सुना है कि यह कैबिनट तो अभी बनी रहेगी। इस सरकार के ला–एन्ड–आर्डर की स्थिति के बारे में बहिन श्रीमती चन्द्रावती ने बोलते हुए बतलाया है कि लोगों को अनाज निकालने की मशीनों से निकाला गया, हलवाईयों को जलाकर मारा गया, इसलिए यह सब कुछ अपनी जुबान से हमें अब कहने की जरूरत नहीं है । इन लोगों ने अपने आप ही ला–एन्ड–आर्डर को खराब

किया है और सबसे ज्यादा खराब तो स्थिति तब थी जब कि चंडीगढ़ का प्रश्न हमारे सामने था ।

हरियाणा की जनता के लिए चंडीगढ़ का प्रश्न जिंदगी और मौत का था । लेकिन यह लोग जाकर हरियाणा की जनता को गुमराह करते रहे और कहते. रहे कि यह तो पुराना इशु है, अब इसका जिक्र क्यों करते हो । लेकिन हरियाणा की जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है । रोजाना बहुत से लोग यहां सैशन देखने आते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढते हैं, अब उनको ज्यादा दिनों तक बहकाया नहीं जा सकता इस सरकार ने अपनी गल्ती के कारण चंडीगढ़ को खो दिया और हरियाणा की जनता को काफी नुकसान पहुंचाया है । जनता इसे कभी नहीं भूलेगी और जब भी उनको मौका मिलेगा वह इसका बदला लेगी ।

डिप्टी स्पीकर महोदय, इस सरकार ने इन वजीरों के लिए कई लाख का बजट पेश किया है फर्नीचर और रेस्ट हाउस के लिए । हम लोग कोई विलायत के तो रहने वाले हैं नहीं जो कूलर्ज और एयर कडीशनज के बगैर नहीं रइ सकते । हमारे घरों मे कौन से एयर कंडीशनर और कूलर लगे हुए हैं । इस छोटी सी स्टेट पर लाखों रुपए का बोझ महज रेस्ट हाउस की मुरम्मत और एयर कंडीशनर के लिए फजूल है । आप लिस्ट देख लीजिए एक मद सिर्फ रेस्ट हाउस की है उसमें किसी और चीज का जिक्र नहीं है । कहीं दादरी का रेस्ट हाउस है कहीं भिवानी का रेस्ट हाउस और वजीरौ की कोठियों के फर्नीचर तथा कूलर खरीदने तथा रैस्ट

हाउस के एयर कंडीशनर खरीदने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है । इससे जाहिर है कि जो सस्कार अपने आपको प्रजातन्त्र की सरकार कहती है वह प्रजातन्त्र की सरकार नहीं बल्कि वह उन लोगों को प्रलोभन देकर रोके रखना चाहती है । श्रीमती ओम प्रभा जैन जो कि हमारी फाईनेंस मिनिस्टर हैं, ने अपनी स्पीच में कई आंकड़े बतलाए थे कि यह पैसा इतने टाईम ज्यादा है, यह पैसा उस बजट से दस गुणा ज्यादा है, यह बजट से चार गुणा ज्यादा है । इसमें कोई शक नहीं कि हर साल हर स्टेट का केपीटल बढ्ता रहता है और यह स्वाभाविक भी है । अगर हमारा बजट दुगुना हो गया है तो यह सरकार की कोई काबलियत की वाले नही है क्योंकि टैक्स बढे हैं, हमारे रिसोरसिज बढे हैं । अगर यह सरकार क्रेडिट लेना चाहती है तो यह इसकी खोखली बात है कि बजट इतना बढ़ गया है । मैंतो इसकी तारीफ तब करूं जब कि यह सरकार लोगों की जरूरत के मुताबिक पैसा खर्च करे । जहां पैसा खर्च होना है वहीं पर हो, उसमें से एक पैसा भी न खाया जाए । अगर ऐसा इंतजाम हो जाए तो हम समझते हैं कि जो इन्कम बढ़ी है उस पैसे का ठीक तरीके से इस्तेमाल हो सके । लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि अगर कहीं सड़क बनाई गई है तो वहां सड़क की जरूरत को मद्देनजर रखकर नहीं बनाई है सिफ इस लिए बनाई है अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो कुछ साथी उठकर जोर से बोलने लगेंगे और अगर वह कहे तो मैं नाम भी ले सकता हूं । (व्यवधान)

हमारे कुछ साथी जो पहले हमारे पास बैठते थे आज उधर बैठकर बड़ी डींग मार रहे हैं, यह कह कर भागे थे कि हमें तो पैसा कमाना है, हम उधर जाकर पैसा कमा लेगे ताकी अगला इलैक्शन हम लड़ सकें (व्यवधान) पोसवाल साहब, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं ।

डिप्टी स्पीकर महोदया, वे साथी जो आज उधर जा कर बैठे हुए हैं ऐसे ही लोगों के लिए ये इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट बनाए गए हैं । यह एक खुशामद ही समझिए । ये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट इन लोगों के घर बनाने का मसाला है । ऐसे ही लोगों के रिश्तेदारों तथा दोस्तों को नौकरी दिलवाने के लिए ये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बनाए गए हैं । मैं सरकार से सीधा सवाल करूंगा कि इन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों ने सिवाए तनखवाह देने के अलावा क्या काम किया है? हमारी इस छोटी सी स्टेट के ऊपर यह एक बड़ा भारी बोझ है । यही कारण है कि आज नान–प्लान पर इतना खर्चा हो रहा है । अनाज खरीदने के लिए आठ करोड़ रुपया रखा गया है ।

उपाध्यक्षा : आप से रिक्वैस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट और बोल सकते हैं क्योंकि आनरेबल मिनिस्टर ने जवाब देना है और एक मैम्बर को इधर से बोलना है ।

चौधरी जय सिंह राठी : अभी तो थोड़ा ही टाईम हुआ है आप हाउस एक्सटैडं कर दें ।

उपाध्यक्षा : अगर आप प्रपोजल लाये तो एक्सटेंड हो सकता है । यह मेरे हाथ की बात नहीं है ।

महंत गंगा सागर : सरकार ने किसानों से अनाज खरीदने के लिए अनाज की कीमतें मुकर्रर कर दी । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अनाज खरीदने में बड़ी गड़बड़ी की जाती है । इन लोगों ने इस तरह से किया है कि जो अनाज बारिश में खराब हो गया उसको कम कीमत पर खरीदा और उसको अपने स्टाक में रखकर ज्यादा कीमत पर बेचा और इस प्रकार बीच में पैसा खाया गया है । इस के अलावा इन्होंने एक और बिजनेस बना रखा है और वह यह कि लोग किसी इंक्वारी के बहाने या किसी और कारण से एक मंडी में गेहूं की परचेज बन्द करा देते हैं और इस कारण वहां गेहूं मन्दा हो जाता है । इन के आदमी वहां से गेहूं खरीद कर दूसरी मन्डी जहां पर कि गेहूं तेज होता है, बेच देते हैं । लेकिन इस बात की कोई इन्क्वायरी नहीं है ।

श्री माडू सिंह जो कि आज शिक्षा मन्त्री हैं, हमारे साथी रहे हैं । उनके साथ हमारी बातें होती रहीं हैं । वे बेचारे भी फाईनेन्स मिनिस्टर की तरह से तंग हैं । ये लोग बाहर जाकर सब बातें हमे बताते है लेकिन यहां कुछ मजबूरियां हैं । तालीम के अन्दर अगर सही पूछा जाए तो सब से बुरा उसी दिन हरियाणा की तालीम का .हो गया जिस दिन मास्टरों के लिए यह कानून बन गया कि उन को अपने जिले से बाहर भी जाना पड़ेगा । पिछले

सैशन में भी यहां पर काफी बहस हुई । मास्टर घर से बाहर बैठे हुए यह महसूस करते हैं कि हमारे साथ बहुत भेदभाव सरकार द्वारा हुआ है । इसी तरह पुलिस के अन्दर जो आफिसर का जिक्र आया, बड़े आफिसर्ज से तो ये कई किस्म के काम ले लेते हैं, कहीं सी०आई०डी० करवानी हो, कहीं सरकार बचानी हो लेकिन उन बेचारे सिपाहियों ने क्या बिगाड़ा हैं जिन को अब छी 12–15 रुपए पंजाब से कम मिलते हैं ।

उपाध्यक्षा : महन्त गंगा सागर जी, आप अपना भाषण वाईन्ड–अप करें क्योंकि और बहुत से मैम्बर बोलने वाले बैठे हैं । आप ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और बोल सकते हैं । चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बोलना है ।

Shri Bansi Lal : I have to start at 5.30 P.M. The other members have also to speak.

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप चीफ मिनिस्टर साहब से कहें कि टाईम बढ़ा लें । अभी बहुत से मैम्बर बोलने वाले बैठे हैं ।

Shri Bansi Lal : We do not want to extend the time. I will start at 5.30 P.M.

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप कहिये चीफ मिनिस्टर साहब को समझाइये, मान जायेंगे, भले आदमी हैं । टाईम के हिसाब से मैने बात की थी, अभी तो सिर्फ 2 ही

आदमियों को टाईम मिला है अभी और मैम्बर बोलने वाले बैठे हैं ।

Shri Bansi Lal: I will start at 5.30 P.M. The members should not be allowed to speak in this way. There is repetition after repetition.

उपाध्यक्षा : देखिए राव साहब, मैने टर्न से एक मैम्बर को आपकी तरफ से बुलवाया है और एक को इधर से बुलवाया है । मैने सब को बराबर टाईम दिया हैं । महन्त गंगा सागर जी, आप जल्दी ही अपना भाषण वाईड अप करिये ।

महंत गंगा सागर : डिप्टी स्पीकर साहिबा, तो मैं कहू रहा था कि इस सरकार ने यह जो इतनी बड़ी राशि 18– 19 करोड़ रुपये की मांग की हैं मैं इसका सरासर विरोध करता हूं क्योंकि जो डिफेक्टर सरकार हो, उसको छोटी सी गरीब स्टेट का भारी रुपया लेकर खर्च करने की इजाजतन ही है । अनाज खरीद कर इस ने लाखों रुपये की गपलेबाजी की है । बस में यह कहता हुआ, इसका सख्त विरोध करता हूं और अपना स्थान लेता हूं ।

श्री कंवर सिंह दहिया : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आन ए प्वायंट आफ आर्डर प्लीज । आनरेबल मेम्बर ने इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों के खर्च के बारे में हा. कि पब्लिक का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है । तो मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप के द्वारा उन से क्या पूछ सकता हूं कि क्या उनके मन्दिरों में जो लाखों रुपये आता है, उसका हिसाब क्या है? (व्यवधान) ।

उपाध्यक्षा : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । चौधरी बनवारी राम अब आप बोल सकते हैं ।

चौधरी बनवारी राम (जुंडला, अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, परसों राव साहब ने दल बदलने की बात कही थी । मैं उन का सम्मान करता हूं, उनके बारे में मेरे दिल में बहुत आदर है चीफ मिनिस्टर साहब का भी आदर करता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैने दल नहीं बदला । पांच इलैक्शन रिपब्लिकन पार्टी से मैने लड़े लेकिन पार्टियों की मजबूरी होती है सो 6–7 महीने में सारे हालात देखकर मैने यह फैसला किया था कि मैं विशाल हरियाणा पार्टी की तरफ से जाऊं या पंडित भगवतदयाल जी के साथ जाऊं । चार मुख्य मन्त्री पहले फेल हो चुके हैं, पंडित जी हवन कर रहे थे और हमारे चौधरी रणबीर सिंह जी तिलक लगाये बैठे थे तो मैने सोचा कि तिलक वाले मुख्य मन्त्री हो जायेंगे तो बेड़ा गर्क हो जायेगा । इस लिये श्री जगजीवन राम जी की पार्टी मुझे अच्छी लगी, मैं इधर आ गया । इस में दल बदलने की कौन सी बात है । यह सब झूठ बोला जा रहा है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी एक और प्रार्थना है कि यहां हाउस में अंग्रेजी नहीं बोली जानी चाहिये क्योंकि बहुत से मैम्बर अंग्रेजी नहीं जानते, और .जो जनता बाहर गांवों से सैशन की कार्यवाही देखने के लिये आती है, वह भी बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं होते जो कि इस सदन की कार्यवाही को सभझ सकें । आप ही बताएं कि अगर हाउस की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी तो उन

बेचारों के पल्ले क्या पड़ेगा? यहां इस हाउस में सब काम हिन्दी में होना चाहिए । दो साल हो गये शिमला में एक सेमीनार हुआ था, वहां भी मैने कहा था कि हिन्दी बोली जाये, अंग्रेजी नहीं, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यहां पर स्पीचे वगैरह हिन्दी में होनी चाहिये । डिप्टी स्पीकर साहिबा, राव साहब ने जो पीछे दल बदलने की बात को कहा था, उस बारे में मैं कह रहा था कि इस हाउस में कितना झूठ बोला जाता हूँ, हम यहां हाउस में आते हैं, पब्लिक द्वारा भेजे जाते है, और शपथ खाते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे (व्यवधान)

उपाध्यक्षा : देखिए चौधरी बनवारी राम जी, यहां पर और भी कई मैम्बरों ने बोलना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बोलना है आप अपना भाषण बहुत ही छोटा करें ताकि दूसरों को भी समय दिया जा सके ।

चौधरी बनवारी राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे एक मिसाल याद आई है, मिसाल कह कर मैं अपना भाषण बन्द करूंगा । पुराने समय में पंच फैसला किया करते थे जिस तरह आज एम०एल०ए० हैं, प्रजा ने इन्हें चुन कर भेजा है कि जनता का भला करें, ठीक ठीक इन्साफ करें झूठ न बोलें । एक बादशाह ने सोचा कि पंचों की परीक्षा लें कि यह सही फैसला करते हैं या गल्त करते हैं । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस बादशाह ने एक छोटे से दुकानदार से 100 रुपया ले लिया और दिया नहीं । राजसिंहासन चलता रहा, बादशाह ने पंचों की परीक्षा लेनी थी । सेठ रोजाना

बादशाह से पैसे मांगने आता तो बादशाह ने पंचों को चुलाया और कहा कि यह सेठ मेरे ऊपर झूठा 100 रुपए का इलजाम लगा रहा है, इसका फैसला करो, अगर यह झूठा हे तो इस को पुलिस के हवाले करो । पंचों ने सेठ को कहा कि कोई सबूत दो कोई लिखित पढत दो तो सेठ घर गया और सोचने लगा कि क्या करूं, वह घर से न आया । पंचों ने बादशाह से पूछा कि सेठ नहीं आया तो बादशाह ने कहा कि उसका घर दूर है । इस पर पर्चो ने बादशाह से कहा कि बादशाह साहब सेठ सच्चा है उसका 100 रूपए लाया आगने जरूर लिया है, उसे उसके पैसे वापिस कर दो, तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह भी पंच थे जो इतने अच्छे फैसले करते थे और सच्चाई को पहचानते थे तो यह भी पंच हैं, जो (व्यवधान) ।

उपाध्यक्षा : देखिये चौधरी बनवारी राम जी, यह न मै .. ... अनार्गालगामे टरी है, आम ऐसे शब्द इस्तेमाल न करें । इस को हाउस की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाए । आप केवल अपने ही सबजैक्ट पर बोल सकते हैं ।

चौधरी बनवारी राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अब अपने सबजैवट की ही तरफ आता हूं । हमारी सरकार ने बहुत तेजी से तरक्की की है । बिजली के बारे में बहुत उन्नति की है लेकिन सरकार ने जो बैकवर्ड क्लासिज और बैकवर्ड कास्ट के बारे में फैसला किया है, वह लागू नहीं हो रहा है । मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार सरकार दूसरे कामों में तेजी से तरक्की कर

रही है, वहां तन गरीबों की भलाई के लिये भी शीघ्र ही कुछ न कुछ कदम उठग! जाने चाहिए (व्यवधान) ।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, मैं आप से प्रार्थना करती हूं कि आग अपनी स्पीच को कम करें क्योंकि मुख्य मन्त्री साहब ने भी बोलना है ।

चौधरी बनवारी राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो स्पीच कर रहा हूं, मैने मिसाल नहीं दी उपदेश दिया था । अब मैं बैठ जाता हूं ।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल इस सदन मे डिमांड्ज पर बहस होती रही और आज सारा दिन ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बहस होती रही है । अच्छा होता अगर लीडर आफ दी आपोजीशन और जनसंघ पार्टी के नेता इस एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए अपना कोई कस्टूदिटब सुझाव देते । मुझे बड़ा अफसोस है कि न ही एप्रोप्रिएशन बिल पर बोले और न ही उन्होंने कोई कनक्रीट सुझाव ही दिया । सुझाव इन्सान तभी दे सकता हूँ जब उसके दिमाग का संतुलन ठीक हो । जिस आदमी को हर समय कुर्सी ही दिखाई देती रहे और वह भाई वजारत की कुर्सी पर बैठ कर दो बार डिसमिस हो चुके हों, एक बार मिनिस्टर थे डिसमिस होकर घर गये दूसरी बार चीफ मिनिस्टर खुद शी डिसमिस हुए और असैम्बली को भी डिजौलव करवाया । जिस भाई का यह इतिहास हो वह अच्छा सुझाव कहां

से दे सकता है । लीडर आफ दी आपोजीशन ने कहा कि यह इतनी बड़ी रकम सप्लीमैन्ट्री डिमांड्ज के लिये क्यों लाई गई है? डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमें बड़ा गौरव है इस बात का कि हम अपनी बड़ी सप्लीमैन्ट्री डिमांड्ज की रकम इस बार हाउस में लाए हैं । यह इस लिये लाई गई है कि हम ने डिवैल्पमैन्ट का काम बहुत तेजी के साथ किया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह बजट में लाई जानी चाहिये थी ।

श्री बंसी लाल : बजट में भी आई थी, बजट भी पास हुआ था ।

(इस समय श्री अध्यक्षा पदासीन हुए)

आनरेबल सदस्यगण विरोधी पार्टी की ओर से बार बार यह कहा जाता है कि यह बजट में आनी चाहिये थी । स्पीकर साहिब, जब भी कोई बात आये, उस पर मैम्बर साहिबान को बोलने के लिये और किटिसिजम करने के लिये अपरचूनिटी मिलनी चाहिये, लेकिन क्रिटिसिजम हैल्दी होना चाहिये और उन्हें सही किस्म की बातें करनी चाहियें । मगर सदन के टाइम को गल्त ढंग से इस्तेमाल करना, चुटकले सुनाना, यहां पर बार बार रैपिटीशन करना, पोलिटिक्स की बातें करन।, कोई अच्छा सुझाव न देना, मैं समझता हूं आपोजीशन का यह तरीका न ही ठीक है और न ही इन तरीकों से यह सरकार को तोड़ू सकते हैं । आज तक जितने

सैशन हुए, हर सैशन में, स्पीकर साहिब, आपोजीशन के नेतागण दो तीन महीन पहले से ही पब्लिक मीटिंग्ज करके भाषण देने लग जाते हैं कि हम अगली बार सरकार तोड़ कर आयेंगे और कई बार तो ऐसा होता है कि यह बसें भर कर अपने साथ लाते हैं हार डालने वालों की, लेकिन वापिस ऐसे जाते हूँ जैसे ऐम्बूलैन्स मैं आये हों । यह इनका हाल है । मैं विरोधी पार्टी के नेता से और उनके दूसरे साथियों से कहूंगा कि हम पब्लिक के चुने हुए नुमायंदे हैं, प्रजातंत्र है, डैमोक्रेसी है इस में जनता का पैसा हम यहां बैठ कर खर्च करते हैं, उस पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिये और सही इस्तेमाल उसका तभी हो सकता है जब सारे मैम्बर साहिबान अपने फरायज को समझें । क्वैश्चन आवर जब होता हूँ तो उस में भाषण होने लग जाते हैं, सब्मिशन और सजैशन होने लग जाते है । जब यहां पर सप्लीमैप्ट्री डिमांड्ज आयें या ऐप्रोप्रिएशन बिल आये तो उस पर अगर हैल्दी नुक्ताचीनी की जाए तो बात समझ में आ सकती है लेकिन देखा गया है कि बगैर किसी वजह के प्वायंट आफ आर्डर रेज करके बीच में इन्ट्रप्ट करने की कोशिश की जाती है ।

चौधरी जय सिंह राठी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, स्पीकर साहब आपने आबजर्वेशन की थी कि सब को एप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोलना चाहिये । क्या यह चीज चीफ मिनिस्टर साहिब पर लागू नहीं होती?

Mr. Speaker : After all when you start a speech there is an introduction to it. When the Leader of the Opposition spoke he also gave some introduction. What the Leader of the House k now trying to say is that he is impressing that the time, valuable time, should be properly utilised .

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या चीफ मिनिस्टर या कोई मितनेंस्टर यह कहे कि क्वेश्चन आवर में सुझाव आने शुरू हो जाते हैं तो वह चेयर पर रिफलैक्शन नहीं है? मैं समझता हूं कि चेयर के बारे में इस तरह का एसरार्शन नटी किया जाना चाहिये ।

Shri Bansi Lal : He is a good dramatist. (Laughter)

Mr. Speaker : The truth is, what are supplementaries ? Supplementaries are really suggestions to be put in a different manner, in a question form with a view to getting something done for the constituency or for the people. There is no doubt, there have been explanations. But what happens at times is that you give a background before you ask a question. I don't mind it occasionally. (Laughter)

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, कभी कभी की बात तो हो सकती हूँ तेकिन मैं हमेशा तो ऐसे नहीं करता ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहिब, लीडर आफ दी आपोजीशन ने बहुत सी बातें कही हैं । हकीकत तो यह है कि उन की बातों में कोई सदाकत नहीं हूं बल्कि पोलिटिक्स क्रस्ट्रेशन का एक रिफ्लैक्शन था । उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटीसाइज किया । स्पीकर साहब, मैं इस बात का दावा करता हूं कि आज की जितनी .अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है पिछले 25– 30 साल के इतिहास में ऐसी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आज तक कभी नहीं हुई । (शोर)

राब बीरेन्द्र सिंह : कोई और भी कहता है या अपने आप ही अपनी तारीफ कर रहे हो?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री प्रभु सिंह) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब, हाउस में जिस तरह का डिसिप्लिन चल रहा है उसको आप मेनटेन करें वरना यह 10 हैं और हम 50 है, हमारा शोर कहां तक जा सकता है ।

Mr. Speaker : If you remember Rao Sahib, there was some interruption and then I had said that when any member or Leader of the House or the Leader of the Opposition speaks there should not be any interruption.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, कुछ अर्से के लिये आज के लीडर आफ दी आपोजीशन इस प्रांत के मुख्य मन्त्री बन गए थे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप की मदद से ही बने थे ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, उस थोड़े से अर्से में जब यह मुख्य मन्त्री रहे तो इन्होंने सिवाये अपने जिले के अपने विरोधियों को पिटवाने कूटने और उन पर झूठे मुकदमे बनाने के और कोई काम नहीं किया ।

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल गलत (शोर)

श्री बंसी लाल : एक ही काम किया है और अपना पूरा टाइम पूरा वक्त इसी चीज पर इस्तेमाल किया है

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल गलत (शोर)

मलिक मुख्तियार सिंह : उनका गुस्सा हमारे ऊपर क्यों उतारते हो फिर? (हंसी) ।

Shri S. P. Jaiswal : On a point of order, Sir. May I draw your attention to Rule 100 of the Rules of Business, wherein it is laid down that no personal charge, no reflection shall be made against any member on the floor of the House ?

श्री बंसी लाल : यह वकालत तो शिमला में जा कर कर लेना । (शोर)

Shri S.P. Jaiswal : May I again seek your ruling, Sir, Whether the remarks of the Chief Minister fall within Rule 100 or not ? At the same time, I do expect from Chaudhri Bansi Lal not to come down to such a low level, otherwise I may tell him that 1 will hit him back much harder than he will ever be able to do.

Mr. Speaker : You are right, Mr. Jaiswal, that no personal remarks can be made. But, I may tell you that I have been hearing the speeches made on the Floor of the House. What has been said on this side of the House, has been said on that side also, but no indecent remarks have been made. That was all out of humour from both sides. However, the standard that you now want to maintain should have been kept from the very beginning.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, दो रोज से मेरा नाम ले ले कर मेरे खिलाफ बातें कही जा रही हूँ' तो उनका जवाब देना मेरा पूरा हक बनता है ।' स्पीकर साहब, जिस समय लीडर आफ दी आपोजीशन मुख्य मन्त्री थे तो वह अपने राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे बनाने में और उनको विक्टेमाईज

करने में लगे रहते थे

राव बीरेन्द्र सिंह : गलत गलत (शोर)

श्री बंसी लाल : आज कोई पोलिटिक्ल विक्टेमाईजेशन नहीं हो रही है और न होती है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : बड़े लार्ज स्केल पर हो रही है ।

श्री बंसी लाल : लीडर आफ दी आपोजीशन ने कहा कि आज मैं मैम्बरों को समझाने में लगा रहता हूं । स्पीकर साहब, यहां तो मैम्बरान की तादाद बढती ही रही है । मैम्बरान को संभालने या उनके पीछे पीछे भागने का काम तो लीडर आफ दी

आपोजीशन का था जब वह मुख्य मन्त्री थे । यह बातें मैं ही नहीं कहता, इतिहास बताता है कि इस भागमभाग की वजह से ही तब सदन तोड़ा गया और इनको मुख्य मन्त्री पद से और उनकी कैबिनट को डिसमिस. किया. गया । इससे बड़ा इतिहास और हिस्टारीकल फैक्ट और क्या हो सकता है...

राव बीरेन्द्र सिंह : उसमें आप भी शामिल थे ।

श्री बंसी लाल : मैं इस लिये था कि मैं मैम्बर था लेकिन यह तो चीफ मिनिस्टर थे । आज मैं मुख्य मन्त्री हूं और आज की कांग्रेस सरकार पूरे प्रांत में पापुलर सरकार है और इस सरकार की आज इज्जत है हर जगह पर । वजह है कि ढाई साल से यह भाई इस सदन के मैम्बर हैं वरना यह तो 9 महीने मे ही असैम्बली तुड़ा गये थे (शोर) लीडर आफ दी आपोजीशन ने लोहारू और जुई कैनाल का जिक्र किया है । स्पीकर साहब, लोहारू और जुई कैनाल जो हम ने बनाई हैं वह ड़ाट अफैक्टिड एरियाज के लिये बनाई है' । हर साल वहां ड्राट अफैक्टिड एरियाज में पैसा खर्च करना पड़ता था, वहां पर पशु मर जाते थे, लोग रोजगार की तलाश में अपने इलाका से बाहिर जाते थे । अगर हम ने उन लोगों को एक फसल का पानी दे दिया तो बुरा नहीं किया अच्छा ही किया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : बजट में लाते, प्लान में लाते ।

श्री बंसी लाल : इस के लिये मैं शुक्रगुजार हूं चौधरी हरद्वारी लाल जी का, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही । उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया तेकिन सही काम को सही भी कहा । वैसे मैं उनकी बहुत सी बातों से मुतफिक नहीं हूं ? (विघ्न) यहां मेरी सरकार ने या मैं ने स्पीकर साहब, तोशाम के इलाका लोहारू, भिवानी के इलाका के लिये काम किया । वहां रिवाड़ी के इलाका को भी हम भूले नहीं और रिवाडी तहसील में उसी रफतार से काम किया गय। और गुडगांव के सारे जिला में उसी रफतार से काम किया गया है । मैंने उनकी तरह नहीं किया है कि मेरे इलाका में जो स्कूल अपग्रेड हुए थे वह राव साहब के वक्त में टूट गये, जहां सड़कों का काम हो रहा था वह वहीं पर रोक दिया गया' और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की स्कीम मेरे हल्का की जो थी उसके पाइप उठवा दूसरी जगह पता नहीं रिवाड़ी बगैरा पहुंचा दिये गये थे

राव बीरेन्द्र सिंह : आप के कहने से ही तो सारा काम होता था (शोर)

श्री बंसी लाल : लीडर आफ दी आपोजीशन ने चंडीगढ़ इशु पर भी बड़ा जोर लगा लगा कर बात कही जैसे कि ज्यादा जोर लगा कर बात कहने से बहुत असर होता है । लेकिन में कहना चाहता हूं कि अगर जोर से बात कहने का असर होता हो और अगर इस तरह से यह सरकार टूट जाती हो तो यह रिवाड़ी से चलते हुए हारन बजाते हुए आते । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता

। दुनियां जानती है लीडर आफ दी आपोजीशन को कि उन की हर बात बे बुनियाद है, हर बात गलत होती है और हर बात जो वह कहते हैं उस में अलटीरियर मोटिव होता है, वह जनता की भलाई नही चाहते अगर वह जनता की भलाई चाहते होते तो दो बार डिसमिस न होते । डिसमिसल भी शब्द इन के साथ दो बार लगा हुआ हैं (शोर) हमारे प्रांत में डिसमिस होने वाले को कहा करते थे कि फलां आदमी बारां पत्थर बाहर हो गया है (शोर) इसका मतलब है कि यह तो बारह की बजाये 24 पत्थर बाहर हो चुके हैं (हंसी)

राव बीरेन्द्र सिंह : हरियाणा की सेवा करता था इसलिये हुआ (शोर)

श्री बंसी लाल : स्पीकर सहब, कितने शर्म की बात है । लेकिन शर्म तो इनके पास फटकी भी नहीं है । चंडीगढ़ की बात तो इन्होंने बजट सैशन में भी काफी उछालने की कोशिश की और आज भी इन्होंने कहा कि हमारे सदन का एक रैजोल्यूशन था जो कि आर्बिट्रेशन के मामला पर यूनैनीमसली पास किया गया था कि आर्बिट्रेशन नहीं होनी चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के इशू पर आर्बीट्रेशन अब भी नहीं हुई है

राव बीरेन्द्र सिंह : तो फिर और क्या हुआ हे?

श्री बंसी लाल : हम अपनी तरफ से मानें या न मानें आर्बिट्रेशन का इसमें कोई सवाल नहीं, न ही हमारे सामने यह

सवाल आया न डिसकस हुआ और न ही आर्बिट्रेशन हुआ । चंडीगढ़ इशु पर तो सैटूंल गवर्नमेंट का अवार्ड आया (शोर) बजट सैशन में हमने उसको उस केन्द्रीय सरकार के फैसले को जो उन्होंने किया बाईज्जत तौर पर देश की भलाई में माना और देश हित में इज्जत से उस फैसला को दिल से माना है

मलिक मुख्तियार सिंह : अवार्ड तो हमेशा आर्बिट्रेशन में ही होता है, चौधरी साहब ।

श्री बंसी लाल : दूसरी बात जो लीडर आफ दी आपोजीशन ने कही, वह यह कि अफसरान को डीमारेलाईज किया जा रहा है । आज के हमारे अफसर कितने अच्छे है कितने कम्पीटैंट हैं और कितना अच्छा काम करते हैं इसी बात से जाहिर है कि आज पूरे देश मे हरियाणा प्रदेश की डिवैल्पमैंट की धाक बैठी हुई है । अगर अफसर डीमारेलाइज होते तो इतना काम न होता । यह इतना काम इसलिए हो रहा है कि आज अफसरों को सरकार पर एतबार है और अफसरों पर सरकार को है । हमारे प्रांत के जो अफसर है उन पर मुझे फख है और नाज है (प्रशंसा)

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या यह दिल से कहते हो?

श्री बंसी लाल : दिल से ही कह रहा हूं और आपकी तरह नहीं कर रहा हूं । स्पीकर साहब, जब यह चीफ मिनिस्टर थे तो गुड़गांव जिला के डी. सी. इनके किसी मिलने वाले के घर पर जो कि अनडिजायरेबल व्यक्ति था खाना खाने नहीं गये इस लिये

वह तबदील हो गए । आज ऐसा नहीं होता है । आज लोगों की पूरी इज्जत होती है।

स्पीकर साहिब, जमीन की बाबत, इन्होंने मेरे एक कुलीग पर इल्जाम लगाने की कोशिश की और उस का जवाब भी रिकार्ड में आ चुका है । यह मेरे

6.00PM

कुलीग के ऊपर इल्जाम नहीं, इनको अपनी जमीन का स्कैडल याद आ गया होगा जिसको फिरोज गान्धी ने लोक सभा में उठाया था । उस स्कैंडल के अन्दर जब इल्जाम साबित होने लगा था तो इन्होंने सरदार प्रताप सिंह कैरों के पांव पकड़ लिए थे । अल्टीमेटली जब इल्जाम साबित हुआ तो सरदार प्रताप सिंह कैरों ने इनको डिसमिस करा दिया । अगर कोई स्कैडल की बात न होती तो ये डिसमिस न होते । बाद में कहने लगे कि मैं मिनिस्टरी नहीं चाहता था । सरदार प्रताप सिह कैरों ने इन से इस्तीफा मांगा था और कहा था कि अगर इस्तीफा नहीं दिया तो डिसमिस करके निकालेंगे । उन्होंने इनको काफी टाईम दिया कि इस्तीफा दे दो, लेकिन नहीं' दिया और हाई कमांड को कहने लगे कि मुझे बचाओ (व्यवधान) राव साहब और चौधरी मुख्तियार सिंह ने कहा कि कांग्रेस के मैम्बरों को लूट की छूट दे रखी है । इनको ऐसे लफ्ज नहीं बरतने चाहिए । कांग्रेस के मैम्बर बहुत अच्छे मैम्बर है शरीफ आदमीहै । अगर कांग्रेस के मैम्बर लूटते तो

जनता इन्हें यहां न भेजती । इस किस्म की आदत तो चौधरी मुख्तियार सिंह और उनकी पार्टी के मैम्बरों में हो सकती है

मलिक मुख्तियार सिंह : अगर एक पैसे की एक भी मिसाल साबित कर दें कि मैने कहीं पैसा खाया है तो हरियाणा छोड़ने के लिए तैयार हूं (व्यवधान)

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर महोदया मुख्तियार सिंह ने कहा था कि जी. टी रोड़ पर बनी हुई मेरी कोठी पर चौधरी बंसी लाल जी रात के तीन तीन बजे तक काफी और चाय पीते रहे । ये बतायें कि इन्हे चौधरी मुख्तियार सिंह ने कितनी बार लूटा है? (हंसी... शोर)

श्री बंसी लाल : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं? (हंसी)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपके ऊपर तो कोई ऐलीगेशन नहीं था ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : आपने कैसे हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि लूट मचाई हुई है, क्या आपके पास कोई ऐग्जाम्पल है?

मलिक मुख्तियार सिंह : मैं ने तो आपको सिंगल–आउट नहीं किया था श्री बंसी लाल रू स्पीकर साहब, एक आनरेबल सदस्या श्रीमती चन्द्रावती जी ने पुलिस मर इल्जाम लगाया । मैं आपकी मारफत उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी स्टेट की पुलिस

बहुत एफिशिएंट हूँ, बहुत अच्छी है, अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे ढंग से और पूरी ईमानदारी के साथ सरअंजाम देती है । मुझे हरियाणा की पुलिस पर नाज और फख्र हूँ । खास तौर पर जिस स्थान के अधिकारियों पर इल्जाम लगाये गये हैं वे बहुत अच्छे है । उन पर लगाये गये इल्जाम बे बुनियाद और गलत हैं । ये इल्जाम सिर्फ इस लिए लगाये गए हैं कि अगर कोई मैम्बर यह चाहे कि पुलिस के अफसर, उनकी धमकियों से प्रभावित होकर उनके काम करें और दादरी के किसी शरीफ बनिये के बेटे को अपनी दुकान पर काम करते हुए, नीचे उतार कर सड़क पर पीटे तो पुलिस ऐसी बात मानने के लिए तैयार नहीं । हमारी पुलिस ऐसा नहीं करने देगी । आप पुलिस को कितनी ही गालियां दें, ला एंड आर्डर कायम रखना इन लोगों का फर्ज है ।

श्रीमती चन्द्रावती : आन ए प्वायंट, आफ आर्डर, सर । देखिए मैं आपको बता देती हूं, ऐसे ही बातें करने से कोई फायदा नहीं, आप दादरी के लोगों से पूछ लें, मुझे भी 15 साल वहां रहते हुए हो गये हैं । वहां के एस. पी. और आई. जी. को क्यों ट्रांस्फार किया है, इसकी आप किसी भी आफिसर से इक्वायरी करवाकर देख लें । इससे साबित हो जायेगा कि वहां प्र क्या हुआ, नारनौल में क्या हुआ? मै चौलेंज करती हूं कि वहां पर पुलिस ने ज्यादतियां की हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपको बाद में टाईम दे दूंगा, आप बैठ जाएं ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, अगर लोकल अधिकारियों को कोई आदमी धमकियां देना चाहे, धमकियों से काम लेना चाहे तो सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती । किसी भी स्टेज पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और यही वजह है कि स्टेट का इन्तजाम अच्छी तरह से, ठीक ढंग से चल रहा है क्योंकि हम इस किस्म की बातें नहीं होने देते ।

स्पीकर साहब, चौधरी रणबीर सिंह जी ने कल डिमांड्ज के ऊपर बोलते हुए कहा था कि स्टेट के रुपये का काफी ज्यादा हिस्सा हिसार जिले में खर्च हो रहा है । एक बात तो मैंमानता हूं कि डिवैल्पमेंट का काम हिसार जिले में भी हो रहा है और खूब हो रहा है, मैं मना नहीं करता, लेकिन यह भी ठीक है कि हिसार के इलावा स्टेट के दूसरे जिलों को भी इग्नोर नहीं किया गया, हर जिले में काम हो रहा है, रोहतक जिले में काफी काम हो रहा है । इस सरकार के वजूद में आने के बाद जो सब से पहला काम सरकार ने डिवैल्पमेट का किया है वह है गोहाना तहसील के फ्लड को कंट्रोल करने का काम । स्पीकर साहब, चौधरी रणबीर सिंह जी ने कई बार यह भी कहा कि जब मैं वजीर था तो मैने यह किया, वह किया । यदि मुझे ठीक ढंग से याद है, लेकिन पता नहीं इन्हें ठीक तरह से याद भी है या नहीं । जिस महकमे के ये वजीर हुआ करते थे उस का काम ये सिर्फ अपने ही इलाके में किया करते थे । रोहतक जिले से बाहर की बात तो इन्होंने कभी सोची ही नहीं थी । जो आज मेरी कंस्टीच्युएंसी है उस में एक

बार चौधरी रणबीर सिंह जी का जाने का प्रोग्राम बना था । ये मौके पर ऐलान करके आये थे कि जूई गांव मे एक महीने के अन्दर अन्दर बिजली लगा दी जाएगी । आज इनको मिनिस्टरी से हटे हुए कई साल हो गये हैं लेकिन उस जगह पर अब मेरे आने पर बिजली लगी है । ये इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर रहे हैं । इन्होंने बहुत सी परसनल बातों का जिक्र किया कि मैने यह किया, वह किया, स्पीकर साहब, मुझे पता नहीं कि इन्होंने अपनी मिनिस्टरी के टाईम में क्या काम किया, ज्यादा किया होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात मैं आपके नोटिस में ला देना चाहता हूं । मै आपके जरिए सदन में लाना चाहता हूं कि जिस दिन हरियाणा प्रान्त बना था उस दिन तक हरियाणा प्रदेश में 1251 गांवों में बिजली लगी हुई थी । आप देख लें कि जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस ने इस प्रदेश का कार्यभार सम्भाला उस दिन कुल 1262 गांवों को बिजली लगी हुई थी । उसके बाद सवा दो सालों में मौजूदा सरकार ने 2776 गांवों को बिजली लगाई और आज हमारा प्रोग्राम यह है कि 26 जनवरी, 1971 तक हमारे प्रान्त के हर एक गांव तक बिजली पहुंचा दी जाएगी । स्पीकर साहब, जिस दिन से कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का कार्यभार सम्भाला है, प्रदेश में 29900 ट्यूबवैल्ज को बिजली के कुनैक्शन पिछले सवा दो सालों में दिए । और आज तक मौजूदा सरकार ने 43321 नये ट्यूबवैल्ज को बिजली दी है । पहले कुनै.क्शनों के मुकाबले में 149 फीसदी इन्क्रीज हुई है । स्पीकर साहब, पिछली संख्या के मुकाबले में इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्ज की संख्या 21 मई, 1968 को

359606 थी और 15 अगस्त, 1970 को 498000 थी । इसी तरह, स्पीकर साहब, 21 मई, 1988 को बिजली के सब–स्टेशन्स की तादाद 54 थी और 15–8–70 को यह तादाद 97 थीं । (प्रशंसा) हमने 43 सब–स्टेशन बनाये हैं सवा दो साल में । बिजली की जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन लाइन्ज थीं वे 21–5–68 को 20,939 किलोमीटर थीं । हमने 29,561 किलोमीटर लम्बी लाईन्ज खीचीं हैं । आज इनकी लम्बाई 50,500 किलोमीटर के करीब है । आज हमारे प्रान्त में एग्रीकल्चर के ऊपर बिजली की जो कंजम्पशन है वह टोटल कंजम्पशन का 42 परसैन्ट है और यह पर सैन्टेज हमारी कटरी में हाईएस्ट है ।

स्पीकर साहब, अब मैं ट्रांस्पोर्ट की चर्चा करूंगा । 31 मार्च, 1968 को हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के पास कुल 567 गाड़ियां थीं जबकि 1 अगस्त, 1970 को 880 गाड़ियां थीं और अगले 6 महीने में, इस करन्ट इयर के दौरान, हम तीन सौ गाडिया ओर ऐड करेंगे । प्रोफिट रोडवेज में 1967–68 में 65 लाख रुपये था, 1969–70 में यह प्रोफिट 102 लाख हो गया और इस साल–अप्रैल, 1970 से जुलाई, 1970 तक, 83.78 लाख हुआ । दिन प्रति दिन हमारी प्रगति हो रही है । फिर 1968–69 में फी मील प्रोफिट 34 पैसे था जबकि 1970–71 में यह 60 पैसे होगा । 60 पैसे फी मील जो प्रोफिट है यह किसी रोडवेज का कटरी में हाईएस्ट है। इससे ज्यादा और क्या प्रोग्रेस हो सकती है? स्पीकर साहब, मैंज्यादा जगहों का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि समय ज्यादा

लगेगा मगर इतना कहूंगा कि हम प्रान्त में कई जगहों पर नए बस स्टैन्ड बना रहे हैं, शैड बना रहे हैं, गाड़ियों में सुधार कर रहे हैं और हमारी रोडवेज बहुत अच्छी तरह, बड़ी खूबी के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है ।

श्री मंगल सैन : ओवरलोडिंग के बारे में भी बता दें?

गृह मन्त्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : आप जैसे बैठेंगे तो ओवरलोडिंग तो होगी ही । (हंसी)

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, अब मैं एजुकेशन के बारे मे जिक्र करूंगा ।

Mr. Speaker : How long will you take now

Shri Bansi Lal: 15 minutes.

(Interrupt ions)

Rao Birender Singh : I also want 15 minutes on personal explanation. It is very necessary. Personal attacks have been made on me.

श्री बंसी लाल : डिसमिसल का क्या पर्सनल ऐक्सपेलेनशन, सर

Mr. Speaker : Then, in that case, if the House agrees we may extend the time by 15 minutes.

Rao Birender Singh : Net now. There is no rule.

(Interruptions)

Mr. Speaker : Shri Bansi Lal ji, we have agreed to finish all the financial business by 6.15 P.M. and there are only 7 minutes more. Thereafter I could give them time for personal explanation.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, वर्ष 1969–70 में हमने 75 स्कूल अपग्रेड किए प्राइमरी से मिडल और 1970–71 में प्राइमरी से मिडल हमने 85 किए। मिडल से हाई, 69– 70 में 77 किए और 70– 71 में 90 स्कूल अपग्रेड किए । तो तालीम को तरफ भी हमारी प्रगति हुई है ।

स्पीकर साहिब, सड्कों की अगर मैं चर्चा करूं तो जब हमारा प्रान्त बना उस समय हमारे प्रान्त में 5,111 किलोमीटर पक्की सड़कें थीं और 1,386 गांव सड़क पर लगते थे । पिछले दो साल में हमने 1, 400 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई और 700 गाँवों को सड़क से कुनैक्ट किया । इसी तरह, स्पीकर साहब, सड़कों के ऊपर जो खर्च हूँ, वह 66–67 में 131 लाख था, 67–68 में 156 लाख था, 1968– 69 में 200 लाख था 1969–70 में 540 लाख था और इस साल मेरा ख्याल है 1,060 लाख होगा । तो सड़कों में भी हमने प्रगति की है ।

स्पीकर साहब, सदन के माननीय सदस्यों ने रैस्ट–हाउसिज की बडी चर्चा की । इन्होंने कहा कि रैस्ट–हाउसिज पर बड़ा पैसा खर्च किया है । यह ठीक बात है, हमने रैस्ट हाउसिज पर पैसा खर्च किया है और इस क्रिटिसिज्म

से, स्पीकर साहब, हम काम बंद नहीँ करेंगे । बाकी रैस्ट हाउसिज पर भी पैसा खर्च करेंगे । हर तहसील हैडक्वार्टर पर रैस्ट–हाउस बनाएंगे । एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था । हम उस सुझाव को मानते हैं । यत्र ठीक बात है कि हमने रैस्ट हाउसिज को एयर–कंडिशन्ड किया है । हम और भी रैस्ट–हाउसिज एयर–कंडिशन्ड करेंगे । थह प्रोग्रेस की निशानी है, अचछी चीज की निशानी है । किटिसिज्म से सरकार यह काम नहीं रोकेगी ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, इस देश की एवरेज आमदनी प्रति दिन 40 पैसे फी आदमी है मगर अफसोस की बात है कि यहां लैटरीन में भी पंखे लग रहे है ।

श्री बंसी लाल : इसी तरह से, स्पीकर साहब, कंस्ट्रक्शन के बहुत से काम हमारे प्रान्त में चालू हैं । इनमें एक सड़क हम बना रहे हैं पंचकुला और मोहरी रेलवे स्टेशन– अम्बाला और शाहबाद के बीच में । उससे हम हरियाणा की हदूद में जाते हुए देहली जा सकते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि रिकार्ड टाईम में यह सड़क तैयार होगी । सिर्फ तीन ब्रिजिज को छोड़ कर सड़क का बहुत सा काम कम्पलीट होने जा रहा है । इसमें 107 कलवर्टस बनने थे, जिनमें से 6 या साढे पांच महीने में 104 बनाकर पी डबल्यू० डी० ने तैयार कर दिए है । यह खुशी की बात है यह महकमें की तारीफ करन योग्य बात है । इसी तरह से, स्पीकर साहब, बहुत से कालेजिज की बिल्डिंग्ज, होस्टल्ज की

बिल्डिंग्ज और हास्पीटल्ज की बिल्डिग्ज प्रान्त में बन रहा है । तो कंस्ट्रक्शन का काम भी हमारा बड़ी तेजी से चालू है ।

श्री मंगल सैन : यूनिवर्सिटी की बात भी करें ।

श्री बंसी लाल : कौन सी की?

श्री मंगल सैन : रोहतक वाली (हंसी) ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, फलड कन्ट्रोल के बारे मे कल फाईनैन्स मिािनस्टर महोदया ने बताया था कि हुमने कितना काम किया है और लोहारू कैनाल जो होगी उस में फलड का ही सारा पानी होगा । ड्रेन नम्बर 8 आगे झज्जर तहसील के एक प्वायंट से लोहारू कैनाल की शक्ल में बदल जाएगी । तो इस तरफ भी हमारा काम बड़ी तेजी से आगे बढ रहा है ।

अब, स्पीकर साहब, मैं चर्चा करना चाहूंगा पीने के पानी की । पीने के पानी के बारे में स्पीकर साहब, पोजीशन यह है कि आज की कांग्रेस की सग्कार आने से पहले सिर्फ 170 गांवों को पीने का पानी दिया गया था मगर पिछले दो सालों मै मौंजूदा कांग्रेस सरकार ने 150 से ज्यादा और गांवों को पानी दिया है ।

स्पीकर साहब, डिवैल्पमैंट के काम के बारे मे क्हने को अभी बहुत गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं कि आपके ऊपर टाईम का प्रैशर है ।

श्री अध्यक्ष : अभी एक मिनट और है ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, डिवैल्पमैटं के विषय मे तौ मै यही अर्ज करूंगा कि हमारा डिवैल्पमैंट का काम बहुत तेजी से चन रहा है, इम्पलीमेंटेशन भी काफी तेजी सै है और बड़ी एफोशैन्सी के साथ हो रही है । इसी कारण सें हमें ये सप्लीमैटंरी एस्टीमेट्स लाने पड़े । सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स आना तौ प्रान्त की डिवैल्पमेट की सब से अच्छी निशानी है ।

Rao Birender Singh : On a point of personal explanation, Sir. Mr. Speaker : May I ask you later.

Rao Birender Singh : I only wanted to draw your attention. It is to be immediately after the speech.

Mr. Speaker : I will certainly help. Had you not raised this, the business might have been completed by now.

Rao Birender Singh : I wanted to draw your attention..

Mr. Speaker : I will certainly help. But let us finish this business first.

Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up consideration of the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is-

That schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE I

Mr. Speaker : Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir,

1 beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill he passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill he passed

The motion was carried.

Rao Birender Singh (Ateli) : Sir, I would like to draw your attention to rule 63, which reads—

"Any member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the Assembly

Provided that such explanation, if permittd, shall be made at the earliest possible opportunity before the business for the day is entered upon, and shall be limited to the circumstances which are the subject of the explanation and no speech or debate thereon shall be allowed by the Speaker."

That is 'at the earliest

Mr. Speaker : I shall try to' do it.

Rao Birender Singh : The earliest opportunity is immediately after the speech.

Mr. Speaker : Possibly

2. THE HARYANA APPROPRIATION (No. 4) BILL, 1970

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1970.

Finance Minister : I beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up consideration of the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is That Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE I

Mr. Speaker : Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Questions—That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved -

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be

passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No 4) Bill be passed.

The motion was carried.

3. THE HARYANA APPROPRIATION (No. 5) BILL, 1970

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 1970.

Finance Minister : I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up consideration of the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jain) : I beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana appropriation (No. 5) Bill he passed.

The motion was carried.

PERSONAL EXPLANATION BY RAO BIRENDER SINGH

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली) : स्पीकर साहब, आपने वक्त तो बहुत थोड़ा दिया है । रूल के हिसाब से तो मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने कर पहले ही समय मिलना चाहिए था । चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझ पर तीन हमले किये हैं । मैं उनके मुत्तालिक तो क्या कहूं, आप सभी जानते हैं जैसे वे हैं और जो कुछ हैं । मै उनके विषय में कुछ कह कर अपनी जबान गन्दी नहीं करूंगा । उन्होंने मेरे दो बार डिसमिसल का जिक्र किया और टविस्ट करके इन्होंने इल्जाम लगाने की कोशिश की है । आप सब बखूबी बाकिफ हैं कि किन हालात में पहली बार पंजाब की मिनिस्टरी से मेरी डिसमिसल हुई थी और यह भी आप सब जानते हैं कि मैंने किस की खातिर लड़ाइयां लड़ी थीं, जिसके लिए म्रुझे कुर्बानी करनी पड़ी और जिसका सिला मुझे वह मिला था ।

स्पीकर साहब, सरदार प्रताप सिंह कैरों का मै पक्का स्पोर्टर था । सगेके साथ मिनिस्टरी में मैं करीब पांच साल रहा । यह आप सब को मालूम है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों और श्री गाडगिल की अनबन हुई । आज के दिन तो दोनों मरहूम हमारे बीच में नहीहैलेकिन वाक्यात फाईलपर मौजूद है । श्री गाडगिल नेमुझे सरदार प्रताप सिंह कैरों के लिए गल्त इस्तेमाल करना चाहा और मैने गाडगिल साहब की बात मानने से इन्कार कर दिया । उसके बाद मेरा गाडगिल साहब के साथ झगड़ा हुआ और वह दो–सौ, चार–सौ सफे की फाइल पर आज भी मौजूद है । यह सब पब्लिक इन्ट्रेस्ट और वजीरों की इज्जत कायम रखने के लिए और डेमोक्रेसी की इज्जत कायम रखने के लिए किया गया था ।

मुख्य मन्त्री (श्री बंसी लाल) : स्पीकर साहव, राव साहब की डिसमिसल की जो मैंने चर्चा की है वह हिसटौरिकल ट्रेड है । उनकी डिसमिसल के पीछे फैक्टस क्या थे क्या उन चीजों में आज जाने की कोई जरूरत है? (व्यवधान)

Mr. Speaker : Certain remark was made against the honourable member of this House and he has something more to say about it, i.e. to give the background or the reasons why so and so was dismissed. So I think this is in the interest of all members that the member should be allowed to clarify everything.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहव, मैं यह सबमिट करूंगा कि यदि वे इल्जामात जिनकी बिना पर इनको डिसमिस या गया

था, गलत थे तो राव साहब ने कई दिनों तक रिट करने के लिये वकीलों को क्यों कन्सल्ट किया झा? उस बक्त वे रिट में जाकर उस डिसमिसल को एऐलेन्अ नहीं कर पाये थे । उनको अब पर्सनल एक्यप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी?

Rao Birender Singh : On a Point of order, Sir, The hon, Chief Minister is trying to waste the time of the House. May I know Sir, whether, when a member is on his leg on a personal explanation, the member, who has levelled charges against him, can speak and waste the time ? I think, nobody else can speak.

Mr. Speaker : Now, I will request the honourable members to bear in mind that after all, practically all those members against whom allegations were made, got a chance, rather a reasonable chance, to explain their position. So, here also Rao Sahib may explain his position.

Shri Bansi Lal : It is a statement of fact, rather a historical fact, which cannot be denied. I am not saying anything from my own aide.

Mr. Speaker : As you say, it is a historical truth. But, there may be political reasons or other reasons behind it.

Shri Bansi Lal : I would like to submit one point. He should have given this explanation only if it was an allegation from my side. In my speech, whatever I had said on the Floor of the House, is a historical fact. It is a fact which he also admits.

Rao Birender Singh : No, he is stating more than

that. He said that there was an allegation against me. This was, on the other hand, a political game and not allegation. I will need, Sir, more time to clarify the position. A number of allegations have been made against me.

Mr. Speaker : I will give you more time tomorrow. But I must say that if a person was dismissed, his dismissal must have been based on some allegations.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, सर इसमें कोई गल्त बात नही है, क्योंकि यह तो एक हिस्टौरिकल फैक्ट है । इस हाउस में सफाई देने का जरूरत भी नहीं है और आप भी यह कह गये है कि इनको डिसमिस किया गया था ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इनके राज्य सभा के मैम्बर बनने के लिये भी जिक्र किया गया था ।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, उस वक्त इन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दी थी । आज वह कैसे दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : आज इस लिये कि यह मामला फिर उठाया गया है **श्री बंसी लाल** : स्पीकर साहब, जैसे मैंने कई बार पहले भी कहा है कि यह तो हिसटौरिकल ट्रुथ है जो हमेशा कायम कहेगा ।

Rao Birender Singh : No, it cannot go unchallenged.

Mr. Speaker : Chaudhri Sahib, you have yourself

agreed that the dismissal must have been based on certain allegations and you mentioned that.

Shri Bansi Lal : He cannot be allowed to give personal explanation. A constitutional point is involved. It may be seen whether he can give these clarifications on the Floor of the House. May I point out that time is over according to the watch ?

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या जब किसी आनरेबल मैम्बर को हाउस में पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का टाइम दे दिया जाये तो कोई दूसरा मैम्बर उसको रोक सकता है और यह कह सकता है कि आप ऐसा नहीं कह सकते या एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते?

Mr. Speaker : I have already said that he will get time, rather a reasonable time.

गृह मन्त्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : स्पीकर साहब, मेरी तो एक सुजैशन है और वह यह कि आप इन दोनों को अपने मैम्बर में बुला लीजिये और वहां इस मामले को तय कर लीजिये । (हंसी)

Mr. Speaker : The House is adjourned till 9-30 A.M. tomorrow morning.

6.30 P.M

(The Sabha then adjourned till 9.30 A. M. on Friday, the 28th August, 1970)